

LWSS शिमला, कवालाग, तहसील शिमला
(ग्रामीण), जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
हेतु प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण, का सामाजिक
समाघात आकलन अध्ययन

हिमाचल प्रदेश भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और
पारदर्शिता अधिकार (सामाजिक प्रभाव आकलन और सहमति) नियम, 2015 के
तहत

मसौदा रिपोर्ट

द्वारा

प्लान फाउंडेशन शिमला हि० प्र०

प्रस्तुत:

हिमाचल प्रदेश सामाजिक समाघात आकलन
इकाई शिमला हि० प्र०

विषय-सूची

कार्यकारी सारांश.....	XI
-----------------------	----

1. परियोजना की पृष्ठभूमि एवं विवरण	1
1.1 परियोजना की पृष्ठभूमि.....	1
1.1.1 कवालाग गाँव – संक्षिप्त परिचय.....	2
1.2 अंतर्राज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहलू.....	3
1.2.1 परियोजना विकासकर्ता की पृष्ठभूमि.....	3
1.3 परियोजना का औचित्य एवं सार्वजनिक उद्देश्य	4
1.3.1 परियोजना का औचित्य.....	4
1.3.2 सार्वजनिक उद्देश्य.....	5
1.4 परियोजना का विवरण.....	6
1.4.1 परियोजना का आकार.....	6
1.4.2 स्थान.....	7
1.4.3 क्षमता एवं उत्पादन.....	7
1.4.4 परियोजना लागत एवं जोखिम.....	8
1.5 विकल्पों का परीक्षण.....	9
1.6 परियोजना निर्माण के चरण.....	10
1.7 मुख्य डिजाइन विशेषताएँ, आकार एवं सुविधाओं के प्रकार	10
1.8 कार्यबल की आवश्यकता	11
1.8.1 मानव संसाधन एवं रोजगार आवश्यकता.....	11
1.9 पर्यावरणीय प्रभाव एवं तकनीकी व्यवहार्यता	11
1.10 लागू कानून एवं नीतियाँ	12
1.10.1 सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन की तैयारी.....	13
1.10.2 भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया.....	13
1.10.3 आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013.....	14
1.10.4 हिमाचल प्रदेश आरएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015	14
2. टीम संरचना, दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली एवं सामाजिक प्रभाव आकलन की समय-सारणी.....	15
2.1 एसआईए टीम की संरचना.....	15
2.2 प्रयुक्त कार्यप्रणाली एवं उपकरणों का विवरण और औचित्य	17
2.2.1 उद्देश्य.....	17
2.2.2 उद्देश्य.....	17
2.2.3 दृष्टिकोण एवं कार्यप्रणाली.....	18
2.2.4 कार्यप्रणाली का औचित्य.....	18
2.3 परियोजना एवं पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी की समीक्षा.....	20
2.3.1 हितधारकों की पहचान.....	20
2.4 डेटा संग्रह की कार्यप्रणाली.....	20
2.4.1 द्वितीयक डेटा.....	21

2.4.2	प्राथमिक डेटा.....	21
2.5	सर्वेक्षण उपकरणों की तैयारी एवं उपयोग	21
2.6	क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं स्थल सत्यापन.....	22
2.7	नमूना चयन की कार्यप्रणाली.....	22
2.8	डेटा विश्लेषण एवं व्याख्या.....	23
2.9	सामाजिक प्रभाव आकलन का दृष्टिकोण	23
2.10	सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना	24
2.11	सूचना एवं डेटा स्रोत	25
2.12	क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं परामर्श की समय-सारणी	25
2.13	जन सुनवाई एवं परामर्श प्रक्रिया	25
2.14	कार्यप्रणाली की सीमाएँ	25
2.15	कार्यप्रणाली संबंधी दृष्टिकोण का सारांश.....	26
3.	भूमि आकलन	29
3.1	भूमि सूची एवं प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी	29
3.2	परियोजना के प्रभावधीन सम्पूर्ण क्षेत्र	30
3.3	अधिग्रहण का दायरा.....	31
3.4	परियोजना के लिए कुल भूमि आवश्यकता.....	32
3.4.1	आसपास की सार्वजनिक या अनुपयोगी भूमि का वर्तमान उपयोग	32
3.5	पहले से खरीदी, हस्तांतरित, पट्टे पर ली गई या अधिग्रहित भूमि तथा प्रत्येक भू-भाग का प्रस्तावित उपयोग	33
3.6	अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि की मात्रा एवं स्थान.....	34
3.7	भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग एवं वर्गीकरण	34
3.8	जोतों का आकार एवं स्वामित्व का स्वरूप	35
3.9	भूमि वितरण एवं प्रभावित आवासीय मकानों की संख्या.....	36
3.10	भूमि आकलन का सारांश.....	37
4.	प्रभावित परिवारों एवं परिसंपत्तियों का अनुमान एवं गणना	38
4.1	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोग	38
4.1.1	किरायेदार, पट्टाधारी एवं अन्य कब्जाधारी.....	40
4.1.2	साझा संपत्ति संसाधनों पर निर्भरता.....	40
4.1.3	आजीविका के लिए भूमि पर निर्भरता.....	41
4.1.4	अनुसूचित जनजाति एवं पारंपरिक वनवासी.....	42
4.1.5	राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि.....	42
4.2	भौतिक विस्थापन एवं आवासीय संरचनाएँ.....	43
4.3	साझा संपत्ति एवं सामुदायिक परिसंपत्तियाँ.....	43
4.4	प्रभावित परिवारों एवं परिसंपत्तियों का सारांश	44
4.5	प्रभावित व्यक्तियों एवं परिसंपत्तियों का समग्र आकलन.....	45
5.	सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रोफाइल.....	46
5.1	परियोजना क्षेत्र में परियोजना से प्रभावित लोगों (पी ए पी एस) की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल	46
5.2	पारिवारिक/रिश्तेदारी के स्वरूप.....	47
5.3	प्रशासनिक, संस्थागत, सांस्कृतिक एवं नागरिक समाज का संदर्भ	48

5.4	क्षेत्रीय गतिशीलता एवं ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएँ	49
5.5	जीवन-पर्यावरण की गुणवत्ता.....	50
5.6	समग्र आकलन.....	52
6.	सामाजिक प्रभाव	53
6.1	प्रभावों की पहचान का ढाँचा एवं दृष्टिकोण.....	53
6.2	परियोजना के विभिन्न चरणों में सामाजिक प्रभाव.....	54
6.2.1	भूमि अधिग्रहण एवं पूर्व निर्माण चरण.....	54
6.2.2	निर्माण चरण.....	55
6.2.3	संचालन चरण.....	55
6.3	पीएपीएस द्वारा अनुभव किए गए/व्यक्त सामाजिक प्रभाव.....	58
6.4	पीएपीएस /पीएफएस में परियोजना एवं भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के संबंध में जागरूकता.....	59
6.5	पीएपीएस के विचार एवं सहमति/सहयोग की इच्छा.....	59
6.6	मुआवजा संबंधी प्राथमिकताएँ	60
6.7	सामाजिक प्रभावों का समग्र आकलन	61
7.	लागत एवं लाभ का विश्लेषण तथा अधिग्रहण संबंधी सिफारिशें.....	62
7.1	सार्वजनिक उद्देश्य का आकलन	62
7.1.1	पेयजल अवसंरचना का पूरा होना.....	62
7.1.2	जल संचरण में सुधार.....	63
7.1.3	सार्वजनिक सेवा एवं सामाजिक हित.....	63
7.1.4	मौजूदा सार्वजनिक निवेश का उपयोग.....	63
7.1.5	मौजूदा भूमि मुद्दे का समाधान.....	63
7.2	कम-विस्थापन वाले विकल्प एवं न्यूनतम भूमि आवश्यकता	64
7.3	सामाजिक प्रभावों की प्रकृति एवं तीव्रता	65
7.3.1	स्थायी सामाजिक प्रभाव.....	66
7.3.2	अस्थायी निर्माण प्रभाव.....	66
7.3.3	दीर्घकालिक सार्वजनिक लाभ.....	66
7.4	प्रस्तावित शमन उपायों की व्यवहार्यता.....	67
7.4.1	भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा.....	67
7.4.2	यातायात एवं पहुंच प्रबंधन.....	67
7.4.3	धूल, शोर एवं निर्माण प्रबंधन.....	68
7.4.4	सार्वजनिक एवं व्यावसायिक सुरक्षा.....	68
7.4.5	उपयोगिताओं की सुरक्षा.....	68
7.4.6	हितधारक संचार एवं शिकायत निवारण.....	68
7.5	समग्र आकलन एवं सिफारिशें	69
7.5.1	उचित मुआवजा एवं कानूनी अनुपालन.....	70
7.5.2	निर्माण एवं पर्यावरण प्रबंधन.....	70
7.5.3	हितधारक सहभागिता.....	70
7.5.4	अंतिम आकलन.....	70
8.	सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना.....	72

8.1	शमन का दृष्टिकोण	72
8.2	प्रभावों से बचाव, शमन एवं मुआवजा संबंधी उपाय.....	73
8.2.1	बचाव संबंधी उपाय.....	73
8.2.2	निर्माण के दौरान शमन उपाय.....	73
8.3	मुआवजा एवं लागू पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन उपाय.....	74
8.3.1	अधिग्रहित भूमि का मुआवजा.....	75
8.3.2	संरचनाएँ एवं भौतिक विस्थापन.....	75
8.3.3	आजीविका एवं आय पर प्रभाव.....	75
8.3.4	किरायेदार, पट्टाधारी एवं अन्य कब्जाधारी.....	75
8.4	निर्माण-संबंधी सामाजिक प्रभावों के उपाय	76
8.5	हितधारक सहभागिता एवं सूचना प्रकटीकरण.....	76
8.6	शिकायत निवारण.....	77
8.7	निगरानी एवं कार्यान्वयन.....	77
8.8	पात्रता ढाँचा.....	78
8.9	संस्थागत जिम्मेदारियाँ.....	79
8.10	एसआईएमपी के कार्यान्वयन हेतु व्यय	80
8.11	कार्यान्वयन अनुसूची.....	80
8.12	समग्र प्रबंधन प्रतिबद्धता	81
9.	निष्कर्ष.....	82
9.1	आकलन का उद्देश्य एवं प्रमुख निष्कर्ष	82
9.2	सार्वजनिक उद्देश्य एवं अधिग्रहण की आवश्यकता	83
9.3	सामाजिक प्रभाव एवं शमन	83
9.4	विकल्प एवं भूमि आवश्यकता.....	84
9.5	समग्र आकलन.....	84
9.6	आगे की कार्यवाही	85
9.7	समापन वक्तव्य.....	85
10.	संदर्भ	87
11.	परिशिष्ट	88

तालिकाओं की सूची

तालिका 0-1 सामाजिक प्रभाव आकलन के प्रमुख निष्कर्षों का सार	xii
तालिका 2-1 एसआईटीम का गठन	16
तालिका 2-2 एसआईटी की क्षेत्रीय सर्वेक्षण टीम	16
तालिका 2-3 एसआईटी में विचार की गई प्रभाव श्रेणियां और मुद्दे	23
तालिका 3-1 शिमला में एलडब्ल्यूएसएस के लिए अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि	29
तालिका 3-2 अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की प्रकृति और वर्गीकरण	35
तालिका 3-3 अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि और मौजूदा भूमि उपयोग का सारांश	37
तालिका 4-1 दौरान परामर्श की गई प्रभावित पारिवारिक शाखाओं के प्रतिनिधि	38
तालिका 4-2 प्रभावित परिवारों और परिसंपत्तियों का सारांश	44
तालिका 5-1 प्रभावित परिवार की सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं का सारांश	47
तालिका 6-1 परियोजना चरण के अनुसार सामाजिक प्रभाव एवं प्रबंधन उपाय	56
तालिका 7-1 पहचानी गई सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता	65
तालिका 8-1 निर्माण-चरण के सामाजिक प्रभाव और प्रस्तावित प्रबंधन उपाय	73
तालिका 8-2 सामाजिक प्रभाव प्रबंधन निगरानी रूपरेखा	77
तालिका 8-3 प्रभाव श्रेणियां और लागू प्रबंधन उपाय	78

आकृतियों की सूची

आकृति 2-1 एसआईए की टीम संरचना, दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली एवं समय-सारणी – सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए कार्यप्रणालीगत ढाँचा	19
आकृति 4-1 स्व० श्री दुर्गा सिंह का पारिवारिक चार्ट	39

शब्दावली

- एक्ट (ACT) का मतलब है: भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)।
- प्रभावित क्षेत्र का मतलब है वह क्षेत्र जिसे उचित सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के मकसद से अधिसूचित किया गया हो।
- प्रभावित परिवार में शामिल हैं:
 1. ऐसा परिवार जिसकी ज़मीन या कोई अन्य अचल संपत्ति अधिग्रहित की गई हो।
 2. ऐसा परिवार जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, लेकिन परिवार का कोई सदस्य खेतिहर मज़दूर, किरायेदार (किसी भी तरह की किरायेदारी या उपभोग अधिकार रखने वाला), बटाईदार या कारीगर हो सकता है, या जो ज़मीन अधिग्रहण से पहले तीन साल तक प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहा हो और जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत ज़मीन अधिग्रहण से प्रभावित हुआ हो।
 3. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी जिन्होंने ज़मीन अधिग्रहण के कारण अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के तहत मान्यता प्राप्त अपने वन अधिकारों में से कोई अधिकार खो दिया हो।
 4. ऐसा परिवार जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत ज़मीन अधिग्रहण से पहले तीन साल तक वनों या जल निकायों पर निर्भर रहा हो, और इसमें वन उपज इकट्ठा करने वाले, शिकारी, मछुआरे और नाविक शामिल हैं, और ज़मीन अधिग्रहण के कारण उनकी आजीविका प्रभावित हुई हो।
 5. परिवार का कोई सदस्य जिसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने अपनी किसी योजना के तहत ज़मीन आवंटित की हो और ऐसी ज़मीन अधिग्रहण के दायरे में हो।
 6. ऐसा परिवार जो ज़मीन अधिग्रहण से पहले पिछले तीन साल या उससे अधिक समय से शहरी क्षेत्रों में किसी ज़मीन पर रह रहा हो, या जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत ज़मीन अधिग्रहण से पहले तीन साल तक ऐसी ज़मीन के अधिग्रहण से प्रभावित हुआ हो।
- कृषि भूमि का मतलब है ऐसी भूमि जिसका इस्तेमाल इन कामों के लिए किया जाता है:
 1. खेती या बागवानी।
 2. डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, मछली पालन, रेशम कीट पालन, बीज उत्पादन, पशु प्रजनन या औषधीय जड़ी-बूटियों की नर्सरी।
 3. फसलें, पेड़, घास या बगीचे की उपज उगाना; और

4. मवेशियों को चराने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज़मीन।

- गरीबी रेखा से नीचे या BPL परिवार का मतलब है वे परिवार जो भारत के योजना आयोग द्वारा समय-समय पर तय की गई गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, और साथ ही वे परिवार जो हिमाचल प्रदेश की BPL सूची में शामिल हैं।
- केंद्र सरकार का मतलब है भारत सरकार।
- मुआवजे का मतलब है वह राशि जो 2013 के अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्रोजेक्ट के लिए ली गई निजी संपत्ति, ढांचों और अन्य संपत्तियों के लिए दी जानी है, जिसमें पुनर्वास और फिर से बसाने के अधिकार भी शामिल हैं।
- परिवार में कोई व्यक्ति, उसका जीवनसाथी, नाबालिग बच्चे, और उस पर निर्भर नाबालिग भाई-बहन शामिल हैं: बशर्ते कि विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और परिवारों द्वारा छोड़ी गई महिलाओं को अलग परिवार माना जाएगा।
- ज़मीन में ज़मीन से मिलने वाले फायदे और ज़मीन से जुड़ी या ज़मीन से जुड़ी किसी चीज़ से स्थायी रूप से जुड़ी चीज़ें शामिल हैं।
- ज़मीन अधिग्रहण का मतलब है 'ज़मीन अधिग्रहण, पुनर्वास और फिर से बसाने में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' के तहत ज़मीन का अधिग्रहण।
- भूमिहीन का मतलब है ऐसा व्यक्ति या लोगों का वर्ग जो: उस समय लागू किसी राज्य कानून के तहत ऐसा माना गया हो या बताया गया हो; या अगर क्लॉज़ (i) के तहत भूमिहीन के तौर पर नहीं बताया गया है, तो उचित सरकार द्वारा बताया गया हो; • ज़मीन के मालिक में कोई भी व्यक्ति शामिल है-
- जिसका नाम संबंधित अथॉरिटी के रिकॉर्ड में ज़मीन या इमारत या उसके किसी हिस्से के मालिक के तौर पर दर्ज हो; या
- कोई भी व्यक्ति जिसे 'अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2)' या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत वन अधिकार दिए गए हों; या
- जो राज्य के किसी कानून के तहत ज़मीन पर पट्टा अधिकार पाने का हकदार हो, जिसमें आवंटित ज़मीनें भी शामिल हैं; या
- कोई भी व्यक्ति जिसे कोर्ट या अथॉरिटी के आदेश से ऐसा घोषित किया गया हो;
- मार्केट वैल्यू का मतलब है एक्ट 2013 की धारा 26 के अनुसार तय की गई ज़मीन की कीमत।
- नोटिफिकेशन का मतलब है भारत के राजपत्र (Gazette of India) या, जैसा भी मामला हो, किसी राज्य के राजपत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन और "नोटिफाई" शब्द का अर्थ उसी के अनुसार लगाया जाएगा।

- पब्लिक पर्पस (सार्वजनिक उद्देश्य) का मतलब है एक्ट 2013 की धारा 2 की उप-धारा (1) के तहत बताई गई गतिविधियां।
- पुनर्वास और पुनर्स्थापन (R & R) का मतलब है RFCTLARR एक्ट 2013 के अनुसार पुनर्वास और पुनर्स्थापन करना।
- शेड्यूल्ड एरियाज़ (अनुसूचित क्षेत्र) का मतलब है पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) एक्ट, 1996 (1996 का 40) के प्रावधानों की धारा 2 में परिभाषित अनुसूचित क्षेत्र।
- सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट (सामाजिक प्रभाव आकलन) का मतलब है एक्ट की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत किया गया आकलन।
- सोशल इम्पैक्ट मैनेजमेंट प्लान (सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना) का मतलब है एक्ट की धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रक्रिया के हिस्से के रूप में तैयार की गई योजना।
- राज्य सरकार या "सरकार" का मतलब है हिमाचल प्रदेश सरकार।

किरायेदार वे लोग हैं जिनके पास ज़मीन के अधिग्रहण से पहले तीन साल तक संपत्ति के मालिक के साथ वास्तविक किरायेदारी समझौते रहे हों।

पूर्ण रूप

हि प्र लो नी वि	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग
प्र लो नी वि	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग
ल डबल्यू एस एस	लिफ्ट जल आपूर्ति योजना
पी ए एफ	परियोजना से प्रभावित परिवार
पी ए पी	परियोजना से प्रभावित हि व्यक्ति
आर & आर	पुनर्वास और पुनर्स्थापन
आर एफ सी टी एल ए आर आर एक्ट	भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
एस आई ए	सामाजिक प्रभाव आकलन
एसईएयू	सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई
एसआईएमपी	सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना

कार्यकारी सारांश

परियोजना की पृष्ठभूमि

प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण शिमला की लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम (एलडबल्यूएसएस) से संबंधित है। विशेष रूप से यह अश्वनी खड्ड से कवालाग प्रथम चरण तथा कवालाग से कसुम्पटी द्वितीय चरण तक राइजिंग मेन के प्रतिस्थापन संबंधी उप-कार्य के अंतर्गत संचरण पाइपलाइन के शेष भाग से जुड़ा है।

वृहद परियोजना वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई थी और प्रस्तावित अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण भाग पहले ही पूरा किया जा चुका है। कवालाग वाटर पंप हाउस के निकट शेष भाग को नियोजित पाइपलाइन संरेखण पूरा करने के लिए निजी भूमि के सीमित क्षेत्र की आवश्यकता है। प्रस्तावित अधिग्रहण अप-मोहाल कवालाग में, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (एचपीपीडबल्यूडी) की मेहली-जुंगगा सड़क के साथ, तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला में स्थित है।

अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित कुल भूमि 0-04-50 हेक्टेयर है। यह अधिग्रहण मौजूदा सार्वजनिक पेयजल अवसंरचना परियोजना को पूरा करने से संबंधित है।

एसआईए का उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र

सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के सामाजिक प्रभावों का आकलन करने तथा सक्षम प्राधिकारी के विचारार्थ संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किया गया है।

आकलन में निम्नलिखित का परीक्षण किया गया:

- प्रस्तावित अधिग्रहण से संबंधित आवश्यकता एवं सार्वजनिक उद्देश्य;
- अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विस्तार, स्थान एवं वर्तमान उपयोग;
- संभावित रूप से प्रभावित व्यक्ति एवं संपत्ति संबंधी हित;
- भूमि अधिग्रहण से बचने अथवा उसे न्यूनतम करने की संभावना;
- अधिग्रहण, निर्माण एवं संचालन के दौरान संभावित सामाजिक प्रभाव;
- प्रभावित व्यक्तियों एवं अन्य हितधारकों के विचार एवं चिंताएँ; तथा
- पहचाने गए प्रतिकूल प्रभावों से बचने, उन्हें कम करने एवं क्षतिपूर्ति करने हेतु आवश्यक उपाय।

आकलन उपलब्ध परियोजना एवं भूमि अभिलेखों की समीक्षा, क्षेत्रीय जांच, परिवार-स्तरीय जानकारी, हितधारक परामर्श तथा पहचाने गए सामाजिक प्रभावों के विश्लेषण के माध्यम से किया गया।

भूमि की आवश्यकता एवं प्रभावित व्यक्ति

प्रस्तावित अधिग्रहण में लगभग 450 वर्ग मीटर निजी भूमि शामिल है। यह भूमि मौजूदा एचपीपीडबल्यूडी मेहली-जुंन्गा सड़क कॉरिडोर से संबंधित है और संचरण पाइपलाइन के शेष भाग के लिए आवश्यक है।

आकलन में प्रभावित निजी भूमि हित के संबंध में एक विस्तारित परिवार तथा परामर्श के दौरान प्रतिनिधित्व करने वाली चार पारिवारिक शाखाओं की पहचान हुई। वास्तविक कानूनी स्वामित्व एवं संबंधित हिस्सेदारी की पुष्टि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान प्रमाणित राजस्व अभिलेखों से की जानी है।

मूल्यांकन में निम्नलिखित की पहचान की गई:

तालिका 0-1 सामाजिक प्रभाव आकलन के प्रमुख निष्कर्षों का सार

मूल्यांकन श्रेणी (Assessment Category)	निष्कर्ष (Finding)
अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित निजी भूमि	0-04-50 हेक्टेयर
प्रभावित परिवार / परामर्शित शाखाएं	एक विस्तृत (संयुक्त) परिवार; चार पारिवारिक शाखाओं का प्रतिनिधित्व
आवासीय संरचनाएं	कोई पहचान नहीं हुई
व्यावसायिक संरचनाएं	कोई पहचान नहीं हुई
भौतिक विस्थापन	कोई पहचान नहीं हुई
किरायेदार / पट्टेदार (लीज़धारक)	कोई पहचान नहीं हुई
अतिक्रमणकारी	कोई पहचान नहीं हुई
अधिग्रहीत भूमि पर प्रत्यक्ष आजीविका निर्भरता	कोई पहचान नहीं हुई
सामान्य संपत्ति संसाधन / सामुदायिक संपत्तियां	कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पाया गया
मुख्य स्थायी प्रभाव	निजी भूमि का अधिग्रहण
मुख्य अस्थायी प्रभाव	निर्माण संबंधी व्यवधान, यातायात, धूल, शोर, पहुंच (आवाजाही) और सुरक्षा

व्यक्तिगत कानूनी भूमि स्वामियों तथा उनके संबंधित हिस्सों की पहचान की पुष्टि मुआवजा निर्धारित एवं वितरित किए जाने से पहले प्रमाणित राजस्व अभिलेखों के माध्यम से की जानी चाहिए।

सार्वजनिक उद्देश्य एवं आवश्यकता

प्रस्तावित अधिग्रहण सीधे मौजूदा सार्वजनिक पेयजल संचरण परियोजना को पूरा करने से जुड़ा है। वृहद परियोजना में पहले ही पर्याप्त सार्वजनिक निवेश किया जा चुका है और शेष पाइपलाइन खंड नियोजित संचरण अवसंरचना को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

अतः प्रस्तावित अधिग्रहण वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक विकास के बजाय सार्वजनिक जलापूर्ति अवसंरचना को पूरा करने से संबंधित है।

आकलन में भूमि अधिग्रहण को न्यूनतम करने की आवश्यकता पर भी विचार किया गया। चूँकि व्यापक संचरण प्रणाली का अधिकांश भाग पहले ही लागू किया जा चुका है, इस चरण में स्थापित संरेखण को बदलने के लिए परियोजना डिजाइन में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है तथा अतिरिक्त भूमि आवश्यकता, तकनीकी कार्य, अनुमोदन, लागत और कार्यान्वयन समय पर प्रभाव पड़ सकता है।

एसआईए के लिए उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसा कोई स्पष्ट रूप से व्यावहारिक वैकल्पिक संरेखण नहीं पहचाना गया है जो स्थापित परियोजना विन्यास को प्रभावित किए बिना प्रस्तावित भूमि आवश्यकता से बच सके। तथापि, अंतिम भूमि आवश्यकता की पुष्टि स्वीकृत इंजीनियरिंग ड्राइंग, संरेखण और भूमि अनुसूची के साथ की जानी चाहिए।

सार्वजनिक उद्देश्य एवं वैधानिक अनुपालन के संबंध में अंतिम निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (आरएफसी टी एल ए आर आर अधिनियम, 2013), हिमाचल प्रदेश उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (सामाजिक प्रभाव आकलन एवं सहमति) नियम, 2015 तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा।

प्रमुख सामाजिक प्रभाव

एसआईए में एक प्रमुख स्थायी प्रभाव तथा निर्माण से संबंधित कई अस्थायी प्रभावों की पहचान की गई है।

स्थायी प्रभाव

प्रमुख स्थायी प्रभाव निजी भूमि तथा उससे संबंधित निजी संपत्ति हित का अधिग्रहण है। इस प्रभाव के लिए निर्धारित अधिग्रहण प्रक्रिया के माध्यम से कानूनी रूप से हकदार व्यक्तियों को मुआवजा तथा अन्य लागू वैधानिक हकदारियों का निर्धारण एवं भुगतान आवश्यक है।

निर्माण के दौरान अस्थायी प्रभाव

- खुदाई से होने वाला व्यवधान;
- निर्माण एवं वाहनों की आवाजाही से उत्पन्न धूल;
- निर्माण संबंधी शोर;
- यातायात एवं आवागमन से संबंधित असुविधा;
- पहुँच में अस्थायी अवरोध या व्यवधान;
- खुदाई एवं निर्माण गतिविधियों से जुड़े सुरक्षा जोखिम।

इन प्रभावों का प्रबंधन उचित निर्माण योजना, यातायात प्रबंधन, धूल एवं शोर नियंत्रण, सुरक्षित पहुँच व्यवस्था, बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेत, जल निकासी प्रबंधन तथा अस्थायी रूप से प्रभावित क्षेत्रों की बहाली के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है।

जिन प्रभावों की पहचान नहीं हुई

आकलन में भौतिक विस्थापन, आवासीय या वाणिज्यिक संरचनाओं की क्षति, किरायेदार अथवा पट्टेदार, या अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि पर प्रत्यक्ष आजीविका निर्भरता की पहचान नहीं हुई। सामुदायिक संपत्तियों अथवा सामुदायिक परिसंपत्तियों पर भी कोई प्रत्यक्ष प्रभाव पहचान में नहीं आया।

अतः इन श्रेणियों के लिए संबंधित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन उपाय वर्तमान में एसआईएम में पहचाने गए प्रभावों के आधार पर लागू नहीं होते, बशर्ते वैधानिक अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान इसका सत्यापन किया जाए।

परामर्श के निष्कर्ष

प्रभावित भूमि, वर्तमान उपयोग, परिवार एवं स्वामित्व संबंधी जानकारी, अधिग्रहण से संबंधित चिंताओं तथा मुआवजे से संबंधित अपेक्षाओं को समझने के लिए परामर्श एवं क्षेत्रीय जांच की गई।

परामर्श से सामने आई प्रमुख चिंता निजी भूमि हित की उचित मान्यता तथा अधिग्रहण प्रक्रिया के माध्यम से उचित मुआवजा प्राप्त करने से संबंधित है।

परामर्श के निष्कर्ष उन व्यक्तियों द्वारा व्यक्त विचारों को दर्शाते हैं जिन्होंने एसआईएम प्रक्रिया में भाग लिया। ये निष्कर्ष कानूनी स्वामित्व, मुआवजा हकदारी या अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का निर्धारण नहीं करते; ये प्रमाणित अभिलेखों तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले निर्धारण के अधीन हैं।

मुआवजा एवं हकदारियाँ

अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा तथा अन्य लागू वैधानिक हकदारियाँ उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013), लागू हिमाचल प्रदेश नियमों तथा अन्य संबंधित सरकारी प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाएँगी।

मुआवजा निर्धारित एवं वितरित किए जाने से पहले प्रभावित भूमि के वास्तविक स्वामित्व एवं संबंधित हितों की पुष्टि प्रमाणित राजस्व अभिलेखों से की जानी चाहिए।

चूँकि भौतिक विस्थापन, प्रभावित संरचनाओं अथवा अधिग्रहित भूमि पर प्रत्यक्ष आजीविका निर्भरता की पहचान नहीं हुई है, इसलिए वर्तमान चरण में इन श्रेणियों के लिए कोई परियोजना-विशिष्ट पुनर्वास उपाय निर्धारित नहीं किया गया है। यदि अधिग्रहण अथवा कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान पात्र प्रभाव की पुष्टि होती है, तो लागू वैधानिक प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए।

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन

आकलन के माध्यम से पहचाने गए प्रभावों से निपटने के लिए सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) तैयार की गई है।

- शेष पाइपलाइन खंड के लिए आवश्यक भूमि तक ही अधिग्रहण सीमित रखना;
- स्वामित्व एवं प्रभावित हितों का सत्यापन;
- कानून के अनुसार समयबद्ध तरीके से मुआवजे का निर्धारण एवं भुगतान;
- निर्माण के दौरान आसपास की संपत्तियों तथा मौजूदा सड़क तक पहुँच बनाए रखना;
- यातायात प्रबंधन एवं सार्वजनिक सुरक्षा उपाय;
- धूल एवं शोर नियंत्रण;
- खुदाई से निकली सामग्री एवं निर्माण अपशिष्ट का उचित प्रबंधन;
- मौजूदा जल निकासी एवं आसपास की भूमि का संरक्षण;
- प्रभावित व्यक्तियों के साथ निरंतर संवाद;
- शिकायत निवारण;
- पहचाने गए तथा अप्रत्याशित सामाजिक प्रभावों की निगरानी।

एसआईएमपी में पूर्व-अधिग्रहण, अधिग्रहण, पूर्व-निर्माण, निर्माण तथा निर्माण-पश्चात चरणों के लिए उपाय प्रदान किए गए हैं।

प्रमुख कार्यान्वयन संबंधी विचार

भूमि एवं स्वामित्व का सत्यापन: अंतिम अधिग्रहण क्षेत्र, सीमाओं और कानूनी स्वामित्व की पुष्टि स्वीकृत परियोजना संरेखण, भूमि अनुसूची और प्रमाणित राजस्व अभिलेखों के माध्यम से की जानी चाहिए।

मुआवजा: मुआवजा एवं लागू वैधानिक हकदारियों का निर्धारण और भुगतान आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 तथा लागू नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए।

निर्माण प्रबंधन: निर्माण की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि सड़क उपयोगकर्ताओं और आसपास की संपत्तियों को न्यूनतम व्यवधान हो तथा जहाँ व्यावहारिक हो सुरक्षित पहुँच बनी रहे।

सार्वजनिक सुरक्षा: मौजूदा सड़क के किनारे खुदाई वाले क्षेत्रों एवं निर्माण गतिविधियों को उचित बैरिकेडिंग, संकेतों और प्रबंधन के साथ संचालित किया जाना चाहिए।

संवाद एवं शिकायतें: प्रभावित व्यक्तियों को अधिग्रहण एवं निर्माण के दौरान जानकारी प्राप्त करने और अपनी चिंताएँ उठाने के लिए स्पष्ट माध्यम उपलब्ध रहना चाहिए।

निगरानी: अस्थायी प्रभावों, शिकायतों तथा किसी भी अप्रत्याशित सामाजिक प्रभाव का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए और कार्यान्वयन के दौरान उनका समाधान किया जाना चाहिए।

1.परियोजना की पृष्ठभूमि एवं विवरण

1.1 परियोजना की पृष्ठभूमि

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक, वाणिज्यिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य सेवा एवं पर्यटन केंद्र है। समुद्र तल से लगभग 2,200 मीटर की ऊँचाई पर स्थित यह शहर पहाड़ी धाराओं एवं घाटियों की जटिल भौगोलिक संरचना में फैला हुआ है। इसकी तीव्र ढलान वाली भौगोलिक स्थिति तथा बिखरी हुई बस्ती का स्वरूप शहरी अवसंरचना के प्रावधान एवं रखरखाव के लिए विशेष चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।

पिछले कई दशकों में शिमला में निरंतर शहरी विकास, निर्मित क्षेत्रों का विस्तार तथा सार्वजनिक सेवाओं की बढ़ती मांग देखी गई है। मौसमी पर्यटन, विशेषकर पर्यटकों की अधिक आमद वाले समय में, शहर की अवसंरचना पर अतिरिक्त दबाव डालता है। आवश्यक शहरी सेवाओं में विश्वसनीय पेयजल आपूर्ति एक महत्वपूर्ण चिंता बनी हुई है, क्योंकि शहर की भौगोलिक स्थिति, मुख्य शहरी क्षेत्र के बाहर स्थित सतही जल स्रोतों पर निर्भरता तथा उपभोक्ताओं तक पानी पहुँचाने के लिए आवश्यक अवसंरचना इसके प्रमुख कारण हैं।

शिमला की पेयजल आपूर्ति मुख्यतः सतही जल स्रोतों और उनसे संबंधित योजनाओं पर निर्भर है, जिनमें गिरी, गुम्मा, अश्वनी खड्ड, चैर, सिओग और चरोट शामिल हैं। इनमें से कई स्रोत मुख्य शहरी क्षेत्र से बाहर तथा कम ऊँचाई पर स्थित हैं, जिसके कारण उपचार एवं वितरण सुविधाओं तक पानी पहुँचाने से पहले पंपिंग प्रणालियों के माध्यम से पानी उठाना पड़ता है। इस प्रणाली में इनटेक संरचनाएँ, पंपिंग स्टेशन, संचरण मेन, उपचार संयंत्र, भंडारण जलाशय तथा वितरण नेटवर्क शामिल हैं।

भौगोलिक स्थिति इस प्रणाली के संचालन को सीधे प्रभावित करती है। ऊँचाई में महत्वपूर्ण अंतर के कारण विभिन्न चरणों में पंपिंग की आवश्यकता होती है, जिससे ऊर्जा और रखरखाव संबंधी आवश्यकताएँ बढ़ती हैं। संचरण एवं वितरण नेटवर्क पुरानी होती अवसंरचना, कठिन भू-भाग एवं भू-स्थितियों से जुड़ी लीकेज, पाइप विफलता तथा अन्य परिचालन समस्याओं के प्रति भी संवेदनशील है।

जल उपलब्धता में मौसमी अंतर भी होता है। शुष्क अवधि में स्रोतों का प्रवाह कम हो सकता है और इसी अवधि में मांग बढ़ सकती है। साथ ही, शहरी विस्तार और पानी के उपयोग के बदलते स्वरूप मौजूदा अवसंरचना पर दबाव बढ़ाते रहते हैं। ये कारक शहर की दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए जलापूर्ति अवसंरचना के विस्तार तथा मौजूदा प्रणालियों के कुशल संचालन दोनों को महत्वपूर्ण बनाते हैं।

सरकार-ए-हिमाचल प्रदेश ने शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (एसजेपीनल) के माध्यम से शहर की जलापूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए अवसंरचना सुधार कार्य किए हैं। इनमें स्रोत एवं संचरण अवसंरचना का विस्तार एवं पुनर्वास, पुरानी पाइपलाइनों का प्रतिस्थापन, पंपिंग एवं उपचार सुविधाओं में सुधार, भंडारण क्षमता में वृद्धि तथा परिचालन दक्षता सुधारने के उपाय शामिल हैं।

वर्तमान प्रस्ताव इन्हीं व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। इसमें लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम (एलडबल्यूएसएस), शिमला के अंतर्गत संचरण पाइपलाइन के शेष भाग को पूरा करने के लिए आवश्यक निजी स्वामित्व वाली भूमि के एक छोटे भू-भाग का अधिग्रहण शामिल है। भूमि अप-मोहाल कवालाग में कवालाग वाटर पंप हाउस के निकट मौजूदा एचपीपीडबल्यूडी मेहली-जुन्गा सड़क के किनारे स्थित है।

अतः यह प्रस्ताव किसी नए जलापूर्ति कॉरिडोर या नई स्वतंत्र जल अवसंरचना परियोजना के लिए नहीं है। यह पहले से काफी हद तक निष्पादित संचरण प्रणाली के शेष भाग को पूरा करने से संबंधित है।

1.1.1 कवालाग गाँव - संक्षिप्त परिचय

कवालाग, ग्राम पंचायत पुजारली तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला में मेहली-जुन्गा सड़क के किनारे स्थित है। क्षेत्र का स्वरूप मुख्यतः पहाड़ी है तथा यहाँ बिखरा हुआ आवासीय विकास, कृषि भूमि, वनस्पति और सार्वजनिक अवसंरचना मौजूद है।

उपलब्ध परियोजना जानकारी के अनुसार स्थानीय आबादी की आजीविका गतिविधियों में कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार शामिल हैं। क्षेत्र में सड़क संपर्क तथा बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच उपलब्ध है।

वर्तमान परियोजना के संदर्भ में कवालाग महत्वपूर्ण है क्योंकि कवालाग वाटर पंप हाउस प्रस्तावित अधिग्रहण स्थल के आसपास स्थित है। प्रस्तावित पाइपलाइन इस सुविधा के निकट मौजूदा एचपीपीडबल्यूडी सड़क कॉरिडोर के साथ बिछाई जानी है।

भूमि अधिग्रहण केवल शेष पाइपलाइन खंड के लिए आवश्यक क्षेत्र तक सीमित है। इस आकलन के लिए उपलब्ध परियोजना जानकारी के आधार पर किसी परिवार के पुनर्वास अथवा आवासीय संरचनाओं को गिराने का प्रस्ताव नहीं है।

1.2 अंतर्राज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहलू

प्रस्तावित अधिग्रहण पूरी तरह अप-मोहाल कवालाग, तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के भीतर स्थित है। प्रस्तावित पाइपलाइन मौजूदा एचपीपीडबल्यूडी सड़क कॉरिडोर के भीतर निर्मित की जाएगी और शिमला तथा आसपास के क्षेत्रों में सेवा देने वाली जलापूर्ति प्रणाली का हिस्सा होगी।

परियोजना में कोई अंतर्राज्यीय या अंतरराष्ट्रीय सीमा, सीमा-पार अवसंरचना अथवा अंतरराष्ट्रीय जल संसाधन शामिल नहीं हैं। वर्तमान आकलन के लिए उपलब्ध परियोजना जानकारी में कोई अंतर्राज्यीय या अंतरराष्ट्रीय मुद्दा चिन्हित नहीं किया गया है।

अतः प्रस्ताव से जुड़े प्रमुख मुद्दे स्थानीय प्रकृति के हैं: भूमि अधिग्रहण, संचरण पाइपलाइन का पूर्ण होना, निर्माण के दौरान अस्थायी प्रभाव तथा प्रभावित भूमि स्वामियों के अधिकार एवं हकदारियाँ।

1.2.1 परियोजना विकासकर्ता की पृष्ठभूमि

एसजेपीनल वर्तमान जलापूर्ति परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी है। यह शिमला तथा संबंधित शहरी क्षेत्रों के लिए जलापूर्ति और सीवरेज अवसंरचना की योजना एवं कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है।

इस आकलन के लिए उपलब्ध परियोजना जानकारी में एसजेपीनल को शहर की जलापूर्ति अवसंरचना को सुदृढ़ एवं बेहतर बनाने वाली एजेंसी के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें संचरण प्रणालियाँ, पंपिंग सुविधाएँ, उपचार अवसंरचना, भंडारण एवं वितरण नेटवर्क शामिल हैं।

वर्तमान प्रस्ताव एलडबल्यूएसएस, शिमला का हिस्सा है और विशेष रूप से अश्वनी खड्ड तथा कसुम्पटी के बीच कवालाग खंड से होकर गुजरने वाली राइजिंग मेन के प्रतिस्थापन से संबंधित है।

आकलन हेतु उपलब्ध परियोजना अभिलेखों के अनुसार, वृहद कार्य नगर निगम शिमला द्वारा M/s Unipro Techno Infrastructure Pvt. Ltd., Chandigarh को 05 जुलाई 2017 के अवार्ड लेटर के माध्यम से ₹4,84,24,197 की अनुबंध राशि पर प्रदान किया गया था तथा निर्धारित पूर्णता अवधि छह माह थी।

शेष संचरण पाइपलाइन खंड को पूरा करने के लिए वर्तमान भूमि अधिग्रहण आवश्यक है। परियोजना जानकारी के अनुसार अधिकांश पाइपलाइन पहले ही निर्मित एवं चालू की जा चुकी है, जबकि प्रस्तावित अधिग्रहण भूमि से होकर गुजरने वाला खंड अभी अधूरा है।

एसजेपीनल लागू तकनीकी, वैधानिक एवं सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन तथा संबंधित विभागों एवं प्रभावित हितधारकों के साथ शेष कार्यों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है।

1.3 परियोजना का औचित्य एवं सार्वजनिक उद्देश्य

प्रस्तावित अधिग्रहण एलडबल्यूएसएस, शिमला से संबंधित है और इसमें अप-मोहाल कवालाग में एचपीपीडबल्यूडी मेहली-जुन्गा सड़क के साथ स्थित 0-04-50 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल है।

यह भूमि वृहद परियोजना के अंतर्गत राइजिंग मेन संचरण पाइपलाइन के अंतिम शेष खंड को बिछाने के लिए आवश्यक है: गिरी, चैर, अश्वनी खड्ड, गुम्मा, चैरोट एवं सिओग कैचमेंट क्षेत्र में एलडबल्यूएसएस का संवर्धन (उप-कार्य: अश्वनी खड्ड से कवालाग प्रथम चरण तथा कवालाग से कसुम्पटी द्वितीय चरण तक राइजिंग मेन का प्रतिस्थापन)।

परियोजना वर्ष 2017 में प्रारंभ हुई। उपलब्ध परियोजना जानकारी के अनुसार संचरण पाइपलाइन का अधिकांश भाग निर्मित एवं चालू किया जा चुका है। कवालाग में शेष खंड पूरा नहीं हो सका क्योंकि इस हिस्से के लिए आवश्यक भूमि का औपचारिक अधिग्रहण नहीं हुआ था।

वर्तमान में इस स्थान पर नवनिर्मित संचरण मेन को अंतरिम व्यवस्था के रूप में मौजूदा पाइपलाइन से जोड़ा गया है। प्रस्तावित भूमि के अधिग्रहण से नई पाइपलाइन के शेष हिस्से को बिछाकर उससे जोड़ा जा सकेगा और नियोजित संचरण प्रणाली पूरी हो सकेगी।

1.3.1 परियोजना का औचित्य

वर्तमान अधिग्रहण का औचित्य शिमला की मौजूदा जल संचरण अवसंरचना की स्थिति से निकटता से जुड़ा है। शहर की जलापूर्ति प्रणाली स्रोत एवं पंपिंग सुविधाओं से उपचार, भंडारण और वितरण अवसंरचना तक पानी की विश्वसनीय आवाजाही पर निर्भर है। संचरण प्रणाली में टूट या अवरोध व्यापक नेटवर्क के संचालन को प्रभावित कर सकता है।

वृहद एलडबल्यूएसएस परियोजना अश्वनी खड्ड और कसुम्पटी के बीच मौजूदा राइजिंग मेन को नई संचरण पाइपलाइन से बदलने के लिए शुरू की गई थी। परियोजना में संबंधित सिविल एवं संरचनात्मक कार्य, पाइपलाइन स्थापना, वेल्डिंग, परीक्षण और लागू तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार कमीशनिंग शामिल है।

वर्तमान अधिग्रहण केवल उस शेष खंड से संबंधित है जो इस प्रणाली को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इस खंड का महत्व केवल इसके आकार से निर्धारित नहीं होता। यद्यपि भूमि आवश्यकता 450 वर्ग मीटर तक सीमित है, यह खंड अन्यथा काफी हद तक पूर्ण संचरण प्रणाली में एक भौतिक अंतराल है। इसके पूरा होने से नई पाइपलाइन संबंधित पुरानी पाइपलाइन के हिस्से का स्थान ले सकेगी।

प्रस्तावित संरेखण मौजूदा एचपीपीडब्ल्यूडी मेहली-जुन्गा सड़क कॉरिडोर का अनुसरण करता है। मौजूदा कॉरिडोर के उपयोग से अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता सीमित होती है और आसपास के कृषि या आवासीय क्षेत्रों से होकर अलग मार्ग बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

परियोजना जानकारी में स्थल पर लंबे समय से चले आ रहे भूमि संबंधी मुद्दे का भी उल्लेख है। बताया गया है कि मौजूदा सड़क लगभग पाँच दशक पहले निजी स्वामित्व वाली ऐसी भूमि पर बनाई गई थी जिसका उस समय औपचारिक अधिग्रहण नहीं किया गया था। तब से यह भूमि सड़क कॉरिडोर के रूप में सार्वजनिक उपयोग में बनी हुई है।

अतः वर्तमान अधिग्रहण के दो परस्पर जुड़े पहलू हैं। पहला, यह शेष जल संचरण अवसंरचना को पूरा करने के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराता है; दूसरा, यह मौजूदा सार्वजनिक सड़क से जुड़े स्वामित्व एवं मुआवजा मुद्दे के समाधान के लिए वैधानिक व्यवस्था प्रदान करता है।

फिर भी आकलन में परियोजना की आवश्यकता और अधिग्रहण के कानूनी निर्धारण के बीच अंतर रखा जाना चाहिए। बाद वाला लागू वैधानिक प्रक्रिया तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले निर्धारण के अधीन है।

1.3.2 सार्वजनिक उद्देश्य

प्रस्तावित अधिग्रहण एक आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता-शिमला एवं आसपास के क्षेत्रों के लिए पेयजल के संचरण-से संबंधित है।

आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की रूपरेखा निर्धारित करता है और मानवीय, सहभागी, सूचित एवं पारदर्शी प्रक्रिया के साथ उचित मुआवजा तथा जहाँ लागू हो, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पर बल देता है। धारा 4 में सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन की तैयारी का प्रावधान है, जबकि धारा 4(4) में यह विचार करना आवश्यक है कि प्रस्तावित भूमि न्यूनतम आवश्यक भूमि है या नहीं तथा वैकल्पिक स्थानों पर विचार किया गया है या नहीं।

प्रस्तावित अधिग्रहण 0-04-50 हेक्टेयर तक सीमित है और पहले से काफी हद तक निष्पादित संचरण प्रणाली को पूरा करने से संबंधित है। प्रस्तावित पाइपलाइन नया अवसंरचना मार्ग बनाने के बजाय मौजूदा सड़क कॉरिडोर का अनुसरण करती है।

अतः सार्वजनिक उद्देश्य मुख्य रूप से मौजूदा पेयजल संचरण अवसंरचना को पूरा करने और उसका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता से उत्पन्न होता है। अधिग्रहण मौजूदा सार्वजनिक सड़क से जुड़े लंबित भूमि-अधिकार एवं मुआवजा मुद्दे को संबोधित करने का अवसर भी प्रदान करता है।

हालाँकि परियोजना के सार्वजनिक लाभ और सामाजिक लागतों का आकलन केवल परियोजना की प्रकृति के आधार पर नहीं, बल्कि इस एसआईए में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। सार्वजनिक उद्देश्य और अधिग्रहण के संबंध में अंतिम निर्धारण लागू वैधानिक ढाँचे के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

1.4 परियोजना का विवरण

प्रस्तावित परियोजना एसजेपीनल द्वारा कार्यान्वित एलडबल्यूएसएस , शिमला का हिस्सा है। वर्तमान भूमि आवश्यकता अप-मोहाल कवालाग में एचपीपीडबल्यूडी मेहली-जुन्गा सड़क के किनारे, कवालाग वाटर पंप हाउस के निकट राइजिंग मेन संचरण पाइपलाइन के शेष खंड के लिए है।

प्रस्तावित अधिग्रहण 0-04-50 हेक्टेयर में है।

वृहद परियोजना में अश्वनी खंड और कसुम्पटी के बीच कवालाग खंडों से होकर पुरानी होती राइजिंग मेन को नई स्टील संचरण पाइपलाइन से बदलना शामिल है। इस आकलन के लिए उपलब्ध परियोजना जानकारी के अनुसार कार्य का प्रमुख भाग पहले ही पूरा हो चुका है।

शेष कार्य प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में आने वाले खंड तक सीमित हैं और इनमें खुदाई, पाइपलाइन बिछाना एवं जोड़ना, संबंधित सिविल कार्य, परीक्षण, बैकफिलिंग तथा सड़क सतह की बहाली शामिल है।

प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में नया उपचार संयंत्र, पंपिंग स्टेशन या जलाशय स्थापित नहीं किया जाना है।

1.4.1 परियोजना का आकार

वर्तमान अधिग्रहण के लिए भूमि आवश्यकता: 0-04-50 हेक्टेयर

भूमि अप-मोहाल कवालाग, एचपीपीडबल्यूडी मेहली-जुंन्गा सड़क, तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला में स्थित है।

प्रस्तावित अधिग्रहण वृहद एलडबल्यूएसएस संवर्धन एवं प्रतिस्थापन परियोजना के अंतर्गत राइजिंग मेन के अंतिम शेष खंड के लिए है।

परियोजना जानकारी के अनुसार नई संचरण मेन स्वीकृत संरेखण के अधिकांश हिस्से में पहले ही बिछाई जा चुकी है। प्रस्तावित अधिग्रहण स्थल पर नई पाइपलाइन अधूरी है और वर्तमान में अंतरिम व्यवस्था के रूप में मौजूदा पाइपलाइन से जुड़ी है।

वर्तमान भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत कोई अतिरिक्त पंपिंग स्टेशन, उपचार संयंत्र या प्रमुख सतही सुविधा प्रस्तावित नहीं है।

1.4.2 स्थान

प्रस्तावित भूमि अप-मोहाल कवालाग में एचपीपीडबल्यूडी मेहली-जुंन्गा सड़क के किनारे, तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में स्थित है।

स्थल कवालाग वाटर पंप हाउस के निकट तथा एक स्थापित सड़क कॉरिडोर के भीतर है। आसपास के क्षेत्र में बिखरा हुआ आवासीय विकास, कृषि भूमि तथा सार्वजनिक उपयोगिता अवसंरचना है।

प्रस्तावित पाइपलाइन मौजूदा सड़क संरेखण का अनुसरण करती है। इससे अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता कम होती है और आसपास की जोतों के विखंडन की संभावना सीमित होती है।

परियोजना जानकारी के अनुसार मौजूदा सड़क पहले से सार्वजनिक उपयोग में है और सड़क के नीचे की भूमि निजी स्वामित्व में बनी हुई है। अतः सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक भूमि को नियमित करने तथा पाइपलाइन पूरा करने हेतु औपचारिक अधिग्रहण प्रस्तावित है।

1.4.3 क्षमता एवं उत्पादन

वर्तमान अधिग्रहण से नई जल उत्पादन या उपचार सुविधा का निर्माण नहीं होता। इसका उद्देश्य एलडबल्यूएसएस के अंतर्गत संचरण मेन के अंतिम खंड को पूरा करना है।

अतः परियोजना के परिणाम को मुख्यतः संचरण की विश्वसनीयता में सुधार और उन्नत जलापूर्ति नेटवर्क के पूर्ण होने के संदर्भ में समझा जाना चाहिए, न कि अधिग्रहण स्थल पर स्वतंत्र रूप से मापी जाने वाली नई जल-उत्पादन क्षमता के रूप में।

पुरानी पाइपलाइन के शेष खंड के प्रतिस्थापन से पुरानी पाइपलाइन पर निर्भरता कम होने तथा उन्नत संचरण प्रणाली की परिचालन निरंतरता में सुधार की अपेक्षा है।

परियोजना के कारण होने वाली सटीक अतिरिक्त हाइड्रोलिक क्षमता स्वीकृत DPR/डिजाइन दस्तावेजों के आधार पर बताई जानी चाहिए। समीक्षा की गई सामग्री में स्वतंत्र क्षमता संबंधी कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसलिए यहाँ कोई अतिरिक्त संख्यात्मक क्षमता मानकर नहीं चलाया गया है।

1.4.4 परियोजना लागत एवं जोखिम

उपलब्ध परियोजना जानकारी के अनुसार वृहद परियोजना नगर निगम शिमला द्वारा M/s Unipro Techno Infrastructure Pvt. Ltd., Chandigarh को 05 जुलाई 2017 के अवार्ड लेटर के माध्यम से ₹4,84,24,197 की अनुबंध राशि पर प्रदान की गई थी।

शेष पाइपलाइन खंड को पूरा करने के लिए वर्तमान अधिग्रहण आवश्यक है।

भूमि अधिग्रहण जोखिम: अधिग्रहण में देरी से शेष पाइपलाइन खंड के पूरा होने में और विलंब हो सकता है तथा इस स्थान पर मौजूदा पाइपलाइन पर निर्भरता लंबी हो सकती है।

निर्माण संबंधी जोखिम: खुदाई एवं पाइपलाइन स्थापना से अस्थायी रूप से यातायात, पैदल आवागमन और पहुँच प्रभावित हो सकती है तथा धूल एवं शोर उत्पन्न हो सकता है।

उपयोगिता एवं सड़क प्रबंधन जोखिम: चूँकि पाइपलाइन मौजूदा सड़क कॉरिडोर में स्थापित की जानी है, इसलिए मौजूदा उपयोगिताओं की सुरक्षा तथा वाहनों एवं पैदल यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही बनाए रखने के लिए समन्वय आवश्यक होगा।

इंजीनियरिंग एवं कमीशनिंग जोखिम: अंतिम खंड को पूर्ण संचरण प्रणाली से सही ढंग से जोड़ा, परीक्षण किया और कमीशन किया जाना आवश्यक है। संबंधित इंजीनियरिंग आवश्यकताओं को स्वीकृत तकनीकी विनिर्देशों एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए।

सामाजिक जोखिम: अधिग्रहण सीधे निजी स्वामित्व वाली भूमि को प्रभावित करता है। यद्यपि परियोजना जानकारी में भौतिक विस्थापन की पहचान नहीं हुई है, संपत्ति अधिकार और मुआवजा संबंधी प्रभावों का समाधान वैधानिक अधिग्रहण प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।

ये जोखिम अपेक्षाकृत स्थानीय हैं और समयबद्ध अधिग्रहण, निर्माण योजना, संबंधित विभागों के साथ समन्वय, उचित सुरक्षा उपायों तथा प्रभावित हितधारकों के साथ प्रभावी संवाद से प्रबंधित किए जा सकते हैं।

1.5 विकल्पों का परीक्षण

विकल्पों पर विचार करना एसआईएप्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है। आरएफसीटीएलएआरआर ढाँचा विशेष रूप से यह विचार करने की आवश्यकता रखता है कि प्रस्तावित भूमि न्यूनतम आवश्यक भूमि है या नहीं और वैकल्पिक स्थान पर भूमि अधिग्रहण पर विचार किया गया है या नहीं।

वर्तमान प्रस्ताव में प्रासंगिक विकल्प यह है कि क्या कवालाग में प्रस्तावित भूखंड के बजाय शेष पाइपलाइन खंड को किसी अन्य संरेखण से ले जाया जा सकता है।

वृहद संचरण प्रणाली वर्ष 2017 में शुरू हुई और उपलब्ध परियोजना जानकारी के अनुसार अधिकांश पाइपलाइन स्वीकृत संरेखण के साथ पहले ही निर्मित हो चुकी है। शेष खंड पूर्ण नई संचरण मेन को मौजूदा प्रणाली से जोड़ने के लिए आवश्यक है।

प्रस्तावित संरेखण मौजूदा एचपीपीडबल्यूडी मेहली-जुंन्गा सड़क कॉरिडोर का अनुसरण करता है। इस कॉरिडोर के उपयोग से अलग अवसंरचना कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता नहीं रहती और अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता सीमित होती है।

इस चरण में संरेखण बदलने के लिए शेष कार्यों का पुनः डिजाइन, पहले से पूर्ण पाइपलाइन के साथ संगतता, अतिरिक्त भूमि आवश्यकता, इंजीनियरिंग प्रभाव, अतिरिक्त अनुमोदन, अतिरिक्त लागत तथा संभावित निर्माण विलंब जैसे परिणामों का परीक्षण आवश्यक होगा।

एसआईए के लिए उपलब्ध परियोजना जानकारी के आधार पर ऐसा कोई वैकल्पिक संरेखण चिन्हित नहीं किया गया है जो स्थापित परियोजना विन्यास को बनाए रखते हुए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से बच सके।

अतः प्रस्तावित संरेखण मौजूदा सार्वजनिक सड़क कॉरिडोर का उपयोग करता है और केवल सीमित अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता रखता है। इससे नए अवसंरचना कॉरिडोर की आवश्यकता सीमित होती है और आसपास के भूमि स्वामियों पर अतिरिक्त भूमि-संबंधी प्रभावों की संभावना कम होती है।

1.6 परियोजना निर्माण के चरण

एलडबल्यूएसएस परियोजना वर्ष 2017 में शुरू की गई थी और इसे एकीकृत संचरण अवसंरचना परियोजना के रूप में लागू किया गया है।

उपलब्ध परियोजना जानकारी के अनुसार प्रमुख कार्य पहले ही पूरे हो चुके हैं, जिनमें मुख्य संचरण पाइपलाइन तथा संबंधित सिविल कार्यों का निर्माण एवं स्थापना शामिल है।

वर्तमान भूमि अधिग्रहण केवल अप-मोहाल कवालाग के शेष खंड से संबंधित है। शेष निर्माण गतिविधियों में अपेक्षित रूप से निम्नलिखित शामिल होंगे:

- शेष पाइपलाइन खंड का सर्वेक्षण एवं सेटिंग-आउट;
- स्वीकृत कॉरिडोर के भीतर खुदाई;
- पाइपलाइन बेड की तैयारी एवं संबंधित सिविल कार्य;
- स्टील पाइपलाइन की बिछाई एवं जॉइंटिंग;
- वेल्डिंग एवं फिटिंग्स तथा संबंधित घटकों की स्थापना;
- परीक्षण एवं निरीक्षण;
- बैकफिलिंग एवं कम्पैक्शन;
- सड़क सतह की बहाली;
- पूर्ण खंड का एकीकरण एवं कमीशनिंग।

अतः शेष कार्य संपूर्ण परियोजना की तुलना में काफी छोटे स्तर के हैं। इनकी अवधि बिना सहायक अभिलेखों के अनुमानित करने के बजाय ठेकेदार के वर्तमान कार्य कार्यक्रम से निर्धारित की जानी चाहिए।

1.7 मुख्य डिजाइन विशेषताएँ, आकार एवं सुविधाओं के प्रकार

प्रस्तावित अधिग्रहण एक रैखिक जल संचरण अवसंरचना परियोजना का हिस्सा है। अधिग्रहण से संबंधित प्रमुख सुविधा राइजिंग मेन पाइपलाइन का शेष खंड है।

परियोजना जानकारी के अनुसार वृहद परियोजना में ए पी आई एक्स 60 ग्रेड की स्टील संचरण पाइपलाइनों के साथ संबंधित सिविल एवं संरचनात्मक कार्य शामिल हैं। उपलब्ध परियोजना दस्तावेजों में पाइपलाइन स्थापना, वेल्डिंग, फिटिंग्स, परीक्षण एवं कमीशनिंग संबंधी आवश्यकताओं की पहचान की गई है। वर्तमान अधिग्रहण में नया उपचार संयंत्र, पंपिंग स्टेशन या भंडारण जलाशय का निर्माण शामिल नहीं है।

अधिग्रहण क्षेत्र के भीतर शेष कार्यों में खुदाई; पाइपलाइन बिछाना एवं जोड़ना; जहाँ आवश्यक हो संबंधित सपोर्ट एवं सिविल कार्य; परीक्षण एवं निरीक्षण; बैकफिलिंग एवं कम्पैक्शन; तथा प्रभावित सड़क सतह की बहाली शामिल होने की अपेक्षा है। पाइपलाइन मौजूदा सड़क कॉरिडोर

में स्थापित की जाएगी। इससे नए कार्य का भौतिक क्षेत्र सीमित होता है और अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता कम होती है।

1.8 कार्यबल की आवश्यकता

चूँकि वृहद परियोजना का अधिकांश भाग पहले ही पूरा हो चुका है, इसलिए शेष निर्माण कार्यों के लिए अपेक्षाकृत छोटा और अस्थायी कार्यबल आवश्यक होने की अपेक्षा है। कार्यबल में इंजीनियर एवं तकनीकी कर्मचारी, साइट पर्यवेक्षक, वेल्डर एवं कुशल तकनीशियन शामिल हो सकते हैं।

1.8.1 मानव संसाधन एवं रोजगार आवश्यकता

मशीन ऑपरेटर, राजमिस्त्री तथा अन्य कुशल श्रमिक; आवश्यकता के अनुसार इलेक्ट्रीशियन; हेल्पर; तथा खुदाई, पाइप बिछाने और पुनर्स्थापना कार्यों के लिए आवश्यक अर्ध-कुशल एवं अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। श्रमिकों की सटीक संख्या ठेकेदार की वर्तमान तैनाती योजना या कार्य कार्यक्रम से ली जानी चाहिए। समीक्षा की गई सामग्री में श्रमिकों की संख्या का कोई संख्यात्मक अनुमान उपलब्ध नहीं कराया गया है।

शेष रोजगार आवश्यकता अस्थायी होने तथा निर्माण अवधि से संबंधित होने की संभावना है। जहाँ उपयुक्त कौशल उपलब्ध हों, वहाँ स्थानीय श्रमिकों को विशेष रूप से अर्ध-कुशल एवं अकुशल कार्यों के लिए नियोजित किया जा सकता है। शेष कार्य की सीमित मात्रा को देखते हुए, परियोजना संबंधी जानकारी से स्थल पर स्थायी श्रमिक शिविर या बड़े पैमाने पर श्रमिक आवास की आवश्यकता का संकेत नहीं मिलता है।

ठेकेदार को लागू श्रम, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए तथा श्रमिकों को उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पी पी ई), सुरक्षा प्रशिक्षण, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था और सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ उपलब्ध करानी चाहिए।

परियोजना के पूरा होने और चालू किए जाने के बाद, पूर्ण पाइपलाइन का संचालन एवं रखरखाव मौजूदा जलापूर्ति प्रणाली में सम्मिलित किया जाएगा। अधिग्रहित भू-भाग के लिए विशेष रूप से किसी अलग स्थायी कार्यबल की आवश्यकता अपेक्षित नहीं है।

1.9 पर्यावरणीय प्रभाव एवं तकनीकी व्यवहार्यता

पर्यावरणीय और तकनीकी विचार इस आकलन के लिए प्रासंगिक हैं क्योंकि प्रस्तावित कार्य में मौजूदा सड़क गलियारे के भीतर खुदाई और पाइपलाइन स्थापना शामिल है। एसआईए के लिए

उपलब्ध कराए गए परियोजना दस्तावेजों में अवार्ड लेटर, बिल ऑफ क्वांटिटीज (बी ओ क्यू), तकनीकी विनिर्देश, अनुबंध शर्तें और संरचनात्मक ड्राइंग जैसे तकनीकी दस्तावेज शामिल हैं। ये दस्तावेज शेष कार्य की इंजीनियरिंग आवश्यकताओं के आकलन का आधार प्रदान करते हैं।

प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिए मांगकर्ता निकाय द्वारा कोई अलग परियोजना-विशिष्ट पर्यावरण प्रभाव आकलन (ई आई ए) रिपोर्ट या स्वतंत्र तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। रिपोर्ट में इस अंतर को स्पष्ट रखा जाना चाहिए। अलग ई आई ए रिपोर्ट का अभाव अपने-आप में यह सिद्ध नहीं करता कि परियोजना के कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं हैं। इसके बजाय, उपलब्ध जानकारी से संकेत मिलता है कि शेष कार्य मौजूदा सड़क गलियारे के भीतर पाइपलाइन के एक छोटे हिस्से तक सीमित हैं।

शेष निर्माण अवधि के दौरान संभावित प्रमुख पर्यावरणीय और सामुदायिक प्रभाव निम्न से संबंधित होने की संभावना है: खुदाई और मिट्टी का प्रबंधन; अस्थायी धूल उत्पन्न होना; निर्माण शोर; निर्माण उपकरणों की आवाजाही; अस्थायी यातायात व्यवधान; सड़क किनारे पहुंच में अस्थायी अवरोध; तथा खुदाई से निकली सामग्री और निर्माण अपशिष्ट का प्रबंधन। इन प्रभावों का प्रबंधन एसआईएके संबंधित अध्यायों में निर्धारित निर्माण प्रबंधन एवं शमन उपायों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

शेष पाइपलाइन खंड की तकनीकी व्यवहार्यता को स्वीकृत इंजीनियरिंग ड्राइंग, संरक्षण , विनिर्देशों और कनेक्शन विवरणों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। परियोजना संबंधी जानकारी से संकेत मिलता है कि शेष खंड पहले से काफी हद तक पूर्ण किए जा चुके संचरण सिस्टम का हिस्सा है, जो स्थापित संरक्षण के साथ इस खंड को पूरा करने के तकनीकी औचित्य का समर्थन करता है।

1.10 लागू कानून एवं नीतियाँ

प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण और उससे संबंधित सामाजिक प्रभाव आकलन भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, पुनर्वास और पुनर्स्थापन से संबंधित लागू केंद्रीय एवं राज्य कानूनी ढाँचे के अधीन हैं।

वर्तमान आकलन के लिए प्रमुख कानून आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम है। यह अधिनियम सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण का ढाँचा निर्धारित करता है और सामाजिक प्रभाव आकलन, जन सुनवाई, एसआईए रिपोर्ट के मूल्यांकन, सक्षम सरकार द्वारा प्रस्तावों की जांच, मुआवजा तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से संबंधित प्रावधान करता है। अधिनियम के एसआईए प्रावधानों के अंतर्गत परियोजना के संभावित सामाजिक प्रभाव, विकल्प, न्यूनतम भूमि

आवश्यकता, आजीविका एवं सामुदायिक संसाधनों पर प्रभाव तथा चिन्हित प्रभावों के समाधान की लागत जैसे विषयों पर विचार करना आवश्यक है।

केंद्रीय आरएफसीटीएलएआरआर नियम, 2014 एसआईए अध्ययन शुरू करने और संचालित करने, प्रभावित स्थानीय निकायों से परामर्श तथा जन सुनवाई से संबंधित प्रक्रियात्मक प्रावधान प्रदान करते हैं।

हिमाचल प्रदेश के लिए हि प्र आरएफसीटीएलएआरआर रूल्स , 2015 राज्य स्तर पर एसआईए और संबंधित प्रक्रियाओं का प्रक्रियात्मक ढाँचा प्रदान करते हैं। उपलब्ध परियोजना सामग्री इन नियमों को वर्तमान आकलन के लिए लागू बताती है। नियमों को 2015 में अधिसूचित किया गया था और राज्य में एसआईए तथा संबंधित प्रक्रियाओं से संबंधित प्रक्रियाएँ निर्धारित की गई हैं।

1.10.1 सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन की तैयारी

आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की धारा 4 में, जहाँ अधिनियम के अंतर्गत ऐसा आकलन आवश्यक है, सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन तैयार करने का प्रावधान है। अध्ययन का उद्देश्य प्रस्तावित अधिग्रहण के संभावित सामाजिक प्रभावों की पहचान एवं आकलन करना तथा अधिग्रहण प्रस्ताव की जांच के लिए आधार उपलब्ध कराना है।

एसआईए प्रक्रिया में संबंधित स्थानीय निकायों के साथ परामर्श और प्रभावित क्षेत्र में जन सुनवाई शामिल है। आरएफसीटीएलएआरआर नियम अधिसूचना और परामर्श से संबंधित प्रक्रियाएँ भी निर्धारित करते हैं।

1.10.2 भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम और लागू राज्य नियमों के अंतर्गत वैधानिक चरणों का क्रम शामिल होता है। इनमें, जहाँ लागू हो: एसआईए की तैयारी एवं विचार; सार्वजनिक परामर्श एवं जन सुनवाई; निर्धारित विशेषज्ञ समूह द्वारा एसआईए का मूल्यांकन; सक्षम सरकार द्वारा अधिग्रहण प्रस्ताव की जांच; प्रारंभिक अधिसूचना; आवश्यक भूमि का सर्वेक्षण एवं निर्धारण; आपत्तियों की सुनवाई; वैधानिक आवश्यकताएँ पूरी होने पर अधिग्रहण की घोषणा; मुआवजे का निर्धारण एवं भुगतान; तथा जहाँ लागू हो, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन उपाय शामिल हैं।

1.10.3 आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013

आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 ने पूर्ववर्ती भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 का स्थान लिया। इसके घोषित उद्देश्यों में भूमि अधिग्रहण के लिए अधिक पारदर्शी और सहभागी ढाँचा स्थापित करना, प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा प्रदान करना तथा जहाँ लागू हो, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के प्रावधान करना शामिल है।

वर्तमान एसआईए के लिए सार्वजनिक प्रयोजन, एसआईए, जन सुनवाई, मूल्यांकन, मुआवजा तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन से संबंधित प्रावधान विशेष रूप से प्रासंगिक हैं।

अधिनियम में यह भी अपेक्षित है कि प्रस्तावित अधिग्रहण के सामाजिक प्रभावों का आकलन प्रभावित आजीविकाओं, सामुदायिक संपत्तियों एवं बुनियादी ढाँचे तथा अन्य संसाधनों के संदर्भ में किया जाए।

1.10.4 हिमाचल प्रदेश आरएफसीटीएलएआरआर नियम, 2015

हि प्र आरएफसीटीएलएआरआर रूल्स , 2015 केंद्रीय अधिनियम के एसआईए तथा सहमति संबंधी प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर प्रक्रियात्मक ढाँचा प्रदान करते हैं।

उपलब्ध सामग्री में एसआईए, सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी), जन सुनवाई और सहमति से संबंधित प्रावधानों की पहचान की गई है। अंतिम रिपोर्ट में इन प्रावधानों का उल्लेख संबंधित नियम संख्या के साथ अधिसूचित नियमों के सत्यापन के बाद किया जाना चाहिए।

नियमों को केंद्रीय अधिनियम तथा वर्तमान अधिग्रहण पर लागू किसी भी बाद के संशोधन, अधिसूचना, परिपत्र या सरकारी आदेश के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

2. टीम संरचना, दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली एवं सामाजिक प्रभाव आकलन की समय-सारणी

इस अध्याय में उप-शीर्षक: एलडबल्यूएसएस, शिमला के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) में प्रयुक्त टीम, दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली और डेटा स्रोतों का वर्णन किया गया है।

यह आकलन आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013, हि प्र आरएफसीटीएलएआरआर रूल्स , 2015 तथा एसआईए और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) तैयार करने के लिए लागू आवश्यकताओं के संदर्भ में किया गया है। हिमाचल प्रदेश के नियम एसआईए को अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत किया गया आकलन तथा एसआईएमपी को धारा 4(6) के अंतर्गत एसआईए प्रक्रिया के हिस्से के रूप में तैयार योजना के रूप में परिभाषित करते हैं।

कार्यप्रणाली में परियोजना एवं भूमि अभिलेखों की समीक्षा, स्थल निरीक्षण, परिवार स्तर की जानकारी तथा प्रभावित व्यक्तियों एवं अन्य संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श को सम्मिलित किया गया है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य प्रभावित क्षेत्र की वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को स्थापित करना, प्रस्तावित अधिग्रहण के संभावित प्रभावों की पहचान करना, विकल्पों एवं भूमि आवश्यकताओं का आकलन करना तथा सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना के लिए आधार उपलब्ध कराना है।

2.1 एसआईए टीम की संरचना

एसआईए एक बहु-विषयक टीम द्वारा किया गया, जिसमें भूमि अधिग्रहण, सामाजिक-आर्थिक आकलन, क्षेत्रीय जांच, डेटा संग्रह और विश्लेषण से संबंधित विशेषज्ञता शामिल थी।

मुख्य एसआईए टीम की संरचना, जिसमें प्रत्येक सदस्य की योग्यता और जिम्मेदारी के क्षेत्र शामिल हैं, नीचे प्रस्तुत है।

तालिका 2-1 एसआईटीम का गठन

क्रम संख्या	नाम	योग्यता	लिंग	विशेषज्ञता/जिम्मेदारियाँ
1	जीतेन्द्र शर्मा	एम बी ए	पुरुष	टीम लीडर; जेंडर विशेषज्ञ; रिपोर्ट लेखन
2	इ. तरुण गुप्ता	बी.टेक (AG), पीजीडीपीएम, डिजास्टर मैनेजमेंट में डिप्लोमा, पीजीडीजेएमसी	पुरुष	वरिष्ठ पर्यावरण अधिकारी, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (सेवानिवृत्त); ई आई ए एवं एसआईए विशेषज्ञता
3	डा. रमन कुमार	पी एच डी	पुरुष	सर्वेक्षण एवं डेटा विश्लेषण, प्रभाव आकलन एवं सामुदायिक लामबंदी, रिपोर्ट लेखन
4	कपूर शर्मा	एम एस डब्लू	पुरुष	सर्वेक्षण एवं सांख्यिकीय शोधकर्ता
5	शालिनी शर्मा	एमए	महिला	सर्वेक्षण एवं सांख्यिकीय शोधकर्ता

टीम की बहु-विषयक संरचना से आकलन में प्रभावित भूमि की भौतिक विशेषताओं के साथ-साथ प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सामाजिक, आर्थिक एवं आजीविका संबंधी परिस्थितियों पर भी विचार करना संभव होता है।

तालिका 2-2 एसआईए की क्षेत्रीय सर्वेक्षण टीम

क्रम संख्या	नाम	योग्यता	लिंग
1	कपूर शर्मा	एम एस डब्लू	पुरुष
2	शालिनी शर्मा	एमए	महिला

क्षेत्रीय सर्वेक्षण टीम परिवार प्रश्नावली संचालित करने, स्थल निरीक्षण करने तथा प्रभावित व्यक्तियों और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत से प्राप्त जानकारी दर्ज करने के लिए जिम्मेदार थी।

2.2 प्रयुक्त कार्यप्रणाली एवं उपकरणों का विवरण और औचित्य

2.2.1 उद्देश्य

एसआईए का उद्देश्य उप-शीर्षक: एलडब्ल्यूएसएस , शिमला के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के सामाजिक निहितार्थों का आकलन करना तथा प्रस्तावित अधिग्रहण, प्रतिकूल प्रभावों के शमन और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना की तैयारी से संबंधित निर्णयों के लिए साक्ष्य-आधारित आधार उपलब्ध कराना है।

यह आकलन आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 और लागू हिमाचल प्रदेश नियमों के संदर्भ में किया गया है। वैधानिक एसआईए ढाँचे के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन, प्रभावित परिवारों, प्रभावित होने वाली भूमि एवं सामुदायिक संपत्तियों, न्यूनतम भूमि आवश्यकता, विकल्पों तथा प्रस्तावित अधिग्रहण से जुड़े सामाजिक प्रभावों एवं लागतों पर विचार करना आवश्यक है।

2.2.2 उद्देश्य

- यह आकलन करना कि प्रस्तावित अधिग्रहण आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के ढाँचे के अंतर्गत निर्धारित सार्वजनिक प्रयोजन को पूरा करता है या नहीं।
- प्रभावित परिवारों की पहचान करना और आकलन करना कि प्रस्तावित अधिग्रहण के परिणामस्वरूप कोई परिवार विस्थापित होने की संभावना में है या नहीं।
- प्रभावित होने वाली सार्वजनिक एवं निजी भूमि, मकानों, बस्तियों, सामुदायिक संपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों की सीमा एवं प्रकृति का आकलन करना।
- यह जांचना कि प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए चिन्हित भूमि, परियोजना के निर्धारित उद्देश्य के लिए यथोचित रूप से आवश्यक न्यूनतम सीमा है या नहीं।
- प्रस्तावित संरक्षण के लिए विचार किए गए विकल्पों की जांच करना और उनकी व्यवहार्यता अथवा अव्यवहार्यता के कारणों का आकलन करना।
- प्रस्तावित अधिग्रहण और निर्माण गतिविधियों से जुड़े संभावित सामाजिक प्रभावों की पहचान एवं आकलन करना, जिनमें जहाँ लागू हो, भूमि, संपत्ति, पहुंच, आजीविका, सामुदायिक संसाधनों और स्थानीय सेवाओं पर प्रभाव शामिल हैं।
- चिन्हित प्रतिकूल सामाजिक प्रभावों से बचने, उन्हें न्यूनतम करने या उनका शमन करने के लिए आवश्यक उपायों की प्रकृति और संभावित लागत का आकलन करना।
- प्राथमिक एवं द्वितीयक जानकारी का उपयोग करते हुए प्रभावित क्षेत्र और प्रभावित परिवारों की सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का आकलन करना।
- सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) तैयार करना, जिसमें चिन्हित प्रभावों के समाधान तथा प्रभावित व्यक्तियों को लागू मुआवजा, सहायता और अन्य वैधानिक पात्रताएँ सुनिश्चित करने के उपाय शामिल हों।
- प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित हितधारकों द्वारा व्यक्त विचारों और चिंताओं का दस्तावेजीकरण करना तथा इन इनपुट को आकलन और प्रबंधन उपायों में शामिल करना।

2.2.3 दृष्टिकोण एवं कार्यप्रणाली

एसआईए में द्वितीयक सूचना की समीक्षा, क्षेत्रीय जांच, परिवार स्तर पर डेटा संग्रह, हितधारक परामर्श तथा परियोजना एवं भूमि अभिलेखों का विश्लेषण—इन सभी का संयोजन किया गया।

कार्यप्रणाली को इस प्रकार तैयार किया गया कि प्रस्तावित अधिग्रहण को केवल अधिग्रहण क्षेत्र तक सीमित रखने के बजाय वास्तविक स्थल परिस्थितियों से जोड़ा जा सके। भूमि की प्रकृति और वर्तमान उपयोग, स्वामित्व एवं प्रभावित संपत्ति हित, मौजूदा पहुंच एवं अवसंरचना, आजीविका पर निर्भरता, निर्माण से होने वाली संभावित अस्थायी बाधाओं तथा प्रभावित व्यक्तियों के विचारों पर विशेष ध्यान दिया गया।

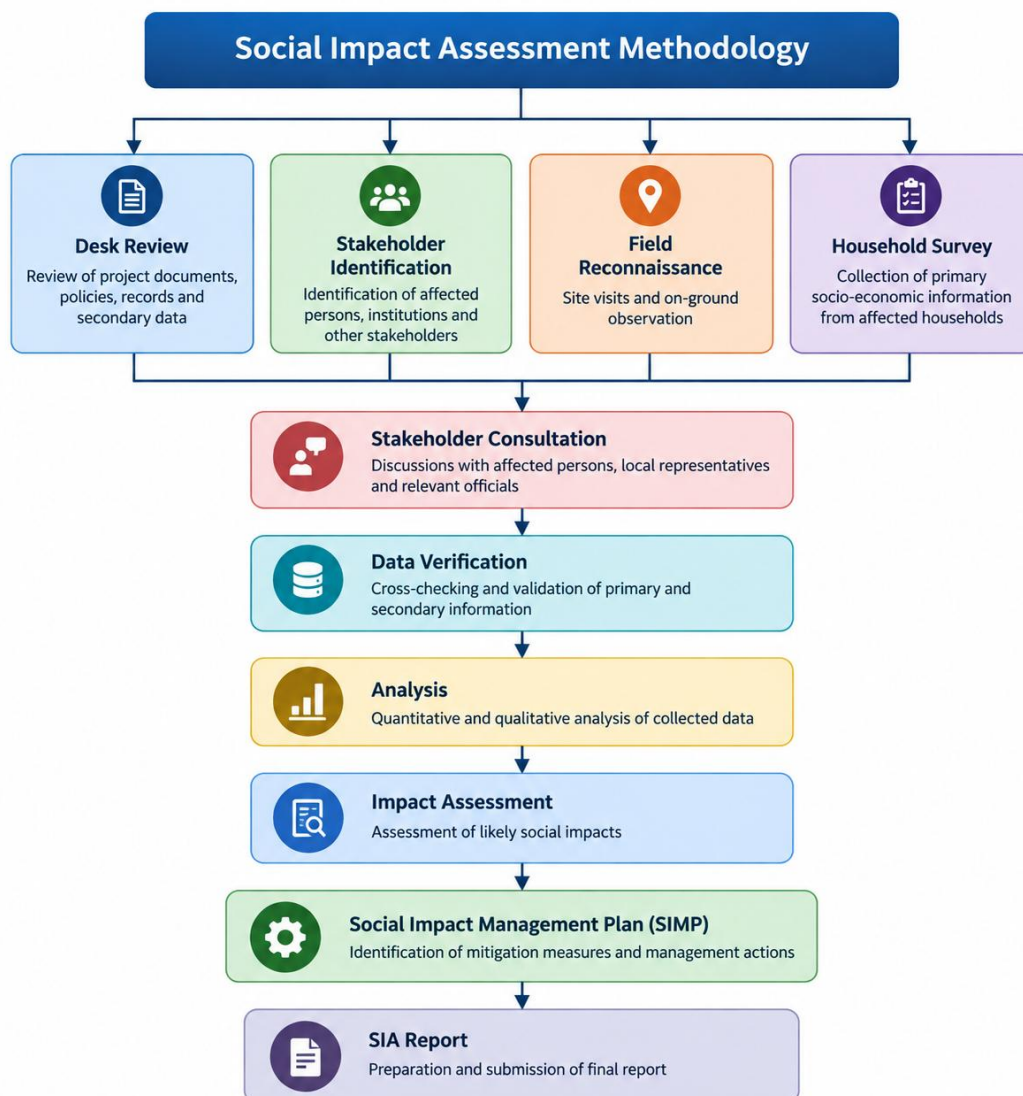
2.2.4 कार्यप्रणाली का औचित्य

एसआईए के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली को प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के सामाजिक निहितार्थों का आकलन परियोजना क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताओं, प्रस्तावित अधिग्रहण की भूमि की प्रकृति तथा प्रभावित भूमि के मौजूदा उपयोग एवं स्वामित्व के संदर्भ में करने के लिए तैयार किया गया था।

चूंकि प्रस्तावित अधिग्रहण पहले से विकसित जलापूर्ति अवसंरचना परियोजना के शेष खंड से संबंधित है, इसलिए आकलन में भूमि अधिग्रहण के प्रत्यक्ष प्रभावों के साथ-साथ पाइपलाइन कार्य पूरा करने के दौरान उत्पन्न होने वाले अस्थायी प्रभावों पर भी विचार करना आवश्यक है।

इसलिए द्वितीयक डेटा समीक्षा, क्षेत्रीय जांच, परिवार स्तर के सर्वेक्षण और हितधारक परामर्श का संयोजन अपनाया गया। द्वितीयक जानकारी व्यापक जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक एवं संस्थागत संदर्भ प्रदान करती है, जबकि क्षेत्रीय जांच प्रस्तावित अधिग्रहण स्थल की वास्तविक परिस्थितियों को स्थापित करने में सहायता करती है। परिवार स्तर के डेटा और परामर्श से भूमि स्वामित्व, भूमि उपयोग, आजीविका पर निर्भरता, पहुंच, संपत्ति हित और प्रभावित व्यक्तियों की चिंताओं की जानकारी प्राप्त होती है, जिन्हें केवल प्रशासनिक अभिलेखों से पर्याप्त रूप से दर्ज नहीं किया जा सकता।

यह कार्यप्रणाली इस बात की जांच का आधार भी प्रदान करती है कि प्रस्तावित अधिग्रहण की भूमि की सीमा निर्धारित परियोजना उद्देश्य के लिए आवश्यक है या नहीं और क्या प्रस्तावित संरक्षण के व्यवहार्य विकल्पों पर विचार किया गया है। क्षेत्रीय निरीक्षणों और प्रभावित व्यक्तियों



आकृति 2-1 एसआईए की टीम संरचना, दृष्टिकोण, कार्यप्रणाली एवं समय-सारणी - सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए कार्यप्रणालीगत ढाँचा

से प्राप्त जानकारी को उपलब्ध परियोजना, भूमि और विभागीय अभिलेखों के साथ रखकर आकलन की विश्वसनीयता बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

आकलन में क्षेत्रीय जांच एवं अभिलेखों से सत्यापित जानकारी, हितधारकों द्वारा बताई गई जानकारी तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने वाले मामलों के बीच अंतर रखा गया है।

2.3 परियोजना एवं पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी की समीक्षा

उपलब्ध परियोजना दस्तावेजों और द्वितीयक जानकारी की समीक्षा निम्नलिखित को समझने के लिए की गई:

- एलडब्ल्यूएसएस का उद्देश्य और दायरा;
- प्रस्तावित पाइपलाइन संरक्षण तथा अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि का स्थान एवं क्षेत्रफल;
- प्रभावित क्षेत्र में मौजूदा अवसंरचना;
- परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति तथा प्रस्तावित संरक्षण से संबंधित तकनीकी एवं इंजीनियरिंग विचार;
- सरकारी अभिलेखों से उपलब्ध भूमि एवं स्वामित्व संबंधी जानकारी तथा लागू कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताएँ।

जहाँ परियोजना-विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं थी, वहाँ उस सीमा को स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है और उसे किसी अनुमान से पूरा नहीं किया गया है।

2.3.1 हितधारकों की पहचान

हितधारकों की पहचान प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण और परियोजना क्षेत्र के साथ उनके संबंध के आधार पर की गई। प्रमुख हितधारक समूहों में शामिल हैं:

- प्रभावित भूमिधारी तथा भूमि में हित रखने वाले व्यक्ति;
- प्रभावित परिवार, जहाँ लागू हो;
- परियोजना क्षेत्र के तत्काल आसपास के स्थानीय निवासी;
- ग्राम पंचायत/स्थानीय सरकार के प्रतिनिधि;
- संबंधित राजस्व विभाग के अधिकारी;
- मांगकर्ता निकाय/परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के प्रतिनिधि;
- जहाँ प्रासंगिक हो, लोक निर्माण विभाग या अन्य अवसंरचना एजेंसियाँ; तथा
- क्षेत्रीय भ्रमण एवं परामर्श के दौरान चिन्हित अन्य व्यक्ति या संस्थाएँ।

हितधारक पहचान प्रक्रिया को खुला रखा गया ताकि ऐसे व्यक्तियों को भी शामिल किया जा सके जो भूमिधारी न हों, लेकिन निर्माण गतिविधियों के कारण अस्थायी या अप्रत्यक्ष प्रभाव का अनुभव कर सकते हों।

2.4 डेटा संग्रह की कार्यप्रणाली

आकलन के लिए प्राथमिक और द्वितीयक—दोनों प्रकार की जानकारी का उपयोग किया गया।

2.4.1 द्वितीयक डेटा

द्वितीयक जानकारी परियोजना क्षेत्र और प्रस्तावित अधिग्रहण से संबंधित उपलब्ध आधिकारिक अभिलेखों तथा प्रकाशित स्रोतों से प्राप्त की गई। इनमें, जहाँ लागू हो, निम्न शामिल थे:

- जनगणना एवं जनसांख्यिकीय जानकारी;
- जिला एवं राज्य सांख्यिकीय प्रकाशन;
- राजस्व विभाग के अभिलेख;
- भूमि अभिलेख एवं संबंधित दस्तावेज;
- लोनिवि /परियोजना ड्रॉइंग एवं संरक्षण संबंधी जानकारी;
- परियोजना एवं अनुबंध दस्तावेज;
- संबंधित सरकारी रिपोर्ट;
- लागू कानून, नियम एवं अधिसूचनाएँ; तथा
- क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक विशेषताओं से संबंधित अन्य प्रकाशित साहित्य।

द्वितीयक जानकारी का उपयोग मुख्यतः व्यापक जनसांख्यिकीय, आर्थिक, संस्थागत एवं भौतिक संदर्भ स्थापित करने तथा क्षेत्रीय जांच के दौरान प्राप्त जानकारी का मिलान करने के लिए किया गया।

2.4.2 प्राथमिक डेटा

प्राथमिक जानकारी क्षेत्रीय भ्रमण, परिवार स्तर के सर्वेक्षण, प्रत्यक्ष अवलोकन और हितधारक परामर्श के माध्यम से एकत्र की गई। परिवार सर्वेक्षण में सामाजिक प्रभावों के आकलन से संबंधित जानकारी पर ध्यान दिया गया, जिसमें परिवार की संरचना; जनसांख्यिकीय विशेषताएँ; व्यवसाय एवं आजीविका; आय एवं आर्थिक परिस्थितियाँ; भूमि स्वामित्व एवं भूमि उपयोग; प्रभावित भूमि पर निर्भरता; आवासीय एवं अन्य संरचनाएँ, जहाँ लागू हों; सड़कों एवं सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच; सामुदायिक या साझा संसाधनों का उपयोग; प्रस्तावित अधिग्रहण के संभावित प्रभाव; तथा परियोजना एवं प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में विचार एवं चिंताएँ शामिल थीं।

जहाँ उपयुक्त रहा, खुले प्रश्नों का भी उपयोग किया गया ताकि उत्तरदाता ऐसी चिंताओं या परिस्थितियों का वर्णन कर सकें जो संरचित प्रश्नों के माध्यम से दर्ज न हो पाई हों।

2.5 सर्वेक्षण उपकरणों की तैयारी एवं उपयोग

परिवार स्तर की जानकारी एकत्र करने के लिए एक संरचित प्रश्नावली तैयार की गई। प्रश्नावली को एसआईएके लिए आवश्यक मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया था। प्रश्नों में परिवार की विशेषताएँ, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियाँ,

भूमि एवं संपत्ति हित, आजीविका पर निर्भरता तथा प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में धारणाएँ शामिल थीं।

जहाँ लागू हुआ, क्षेत्र में सर्वेक्षण से पहले प्रश्नावली की समीक्षा एवं उसमें आवश्यक सुधार किए गए। सर्वेक्षकों को अध्ययन के उद्देश्य, प्रश्नावली और उत्तरों को दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।

2.6 क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं स्थल सत्यापन

प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र तथा उसके आसपास की मौजूदा परिस्थितियों को समझने के लिए क्षेत्रीय जांच की गई।

क्षेत्रीय टीम ने प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र की भौतिक स्थिति; मौजूदा भूमि उपयोग; सड़क एवं पहुंच की मौजूदा स्थिति; संरचनाएँ एवं अन्य भौतिक परिसंपत्तियाँ, यदि कोई हों; मौजूदा सार्वजनिक अवसंरचना एवं उपयोगिताएँ; जहाँ मौजूद हों वहाँ आजीविका संबंधी गतिविधियाँ; प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र और आसपास की संपत्तियों के बीच संबंध; तथा निर्माण से जुड़ी संभावित अस्थायी बाधाओं का निरीक्षण किया।

परिवार सर्वेक्षण और परामर्श से प्राप्त जानकारी को क्षेत्रीय अवलोकनों और उपलब्ध अभिलेखों के साथ देखा गया। जहाँ दस्तावेजी जानकारी और क्षेत्रीय अवलोकनों के बीच कोई अंतर पाया गया, वहाँ उसे संबंधित अभिलेख या प्राधिकारी से सत्यापन के लिए दर्ज किया गया, न कि किसी अनुमान के आधार पर हल किया गया।

2.7 नमूना चयन की कार्यप्रणाली

प्राथमिक सर्वेक्षण को प्रभावित क्षेत्र और उन व्यक्तियों के आसपास तैयार किया गया जिन्हें प्रस्तावित अधिग्रहण के साथ प्रत्यक्ष या संभावित रूप से महत्वपूर्ण संबंध रखने वाले के रूप में पहचाना गया। वर्तमान एसआईए के लिए सर्वेक्षण दृष्टिकोण सांख्यिकीय रूप से सामान्य आबादी का नमूना लेने के बजाय उद्देश्यपूर्ण था, क्योंकि आकलन एक विशिष्ट भूमि अधिग्रहण क्षेत्र और संभावित रूप से प्रभावित व्यक्तियों के एक परिभाषित समूह से संबंधित है। इसलिए निष्कर्षों को व्यापक आबादी के सांख्यिकीय नमूने का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं माना जाना चाहिए।

जांच की मुख्य इकाई प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए चिन्हित भूमि से जुड़े प्रभावित परिवार/व्यक्ति थे। जहाँ प्रासंगिक रहा, आसपास के क्षेत्र में अन्य हितधारकों से भी पहुंच,

सामुदायिक अवसंरचना और निर्माण से संभावित प्रभावों को समझने के लिए परामर्श किया गया।

2.8 डेटा विश्लेषण एवं व्याख्या

प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से एकत्र जानकारी की समीक्षा एवं विश्लेषण मात्रात्मक और गुणात्मक—दोनों दृष्टिकोणों से किया गया।

मात्रात्मक विश्लेषण

जहाँ लागू हुआ, मात्रात्मक जानकारी का उपयोग परिवार के आकार एवं संरचना; आयु एवं लिंग वितरण; व्यवसाय; आय; भूमि स्वामित्व; भूमि उपयोग; स्वामित्व एवं संपत्ति की विशेषताओं तथा अन्य मापनीय सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं को प्रस्तुत करने के लिए किया गया। निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए जहाँ उपयुक्त रहा, आवृत्ति, प्रतिशत और औसत सहित वर्णनात्मक सांख्यिकी का उपयोग किया गया।

गुणात्मक विश्लेषण

परामर्श, साक्षात्कार और क्षेत्रीय अवलोकनों से प्राप्त गुणात्मक जानकारी का विषयगत रूप से विश्लेषण किया गया। भूमि अधिग्रहण से संबंधित चिंताओं; परियोजना के प्रति धारणाओं; प्रभावित भूमि पर निर्भरता; पहुंच एवं आवागमन; निर्माण के दौरान संभावित व्यवधान; मुआवजे से संबंधित चिंताओं; सामुदायिक स्तर के प्रभावों; तथा प्रभावित व्यक्तियों और हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों पर विशेष ध्यान दिया गया।

विश्लेषण में मौजूदा परिस्थितियों, अपेक्षित परियोजना प्रभावों और हितधारकों की धारणाओं के बीच अंतर किया गया है। हितधारकों के विचारों को परामर्श से प्राप्त निष्कर्षों के रूप में प्रस्तुत किया गया है और उन्हें स्वतः स्वतंत्र रूप से सत्यापित तथ्य नहीं माना गया है।

2.9 सामाजिक प्रभाव आकलन का दृष्टिकोण

आकलन में भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रत्यक्ष प्रभावों तथा निर्माण के दौरान उत्पन्न होने वाले अस्थायी या अप्रत्यक्ष प्रभावों—दोनों पर विचार किया गया। निम्नलिखित व्यापक प्रभाव श्रेणियों पर विचार किया गया:

तालिका 2-3 एसआईए में विचार की गई प्रभाव श्रेणियां और मुद्दे

प्रभाव श्रेणी	विचार किए गए मुद्दे
---------------	---------------------

भूमि एवं संपत्ति	स्वामित्व, अधिग्रहण, भूमि उपयोग और संपत्ति हित
आजीविका	प्रभावित भूमि पर निर्भरता, कृषि, रोजगार और आय के अन्य स्रोत
आवास एवं विस्थापन	आवासीय संरचनाएँ, भौतिक विस्थापन और पुनर्स्थापन
पहुंच	सड़क तक पहुंच, आवागमन और संपत्तियों तक पहुंच
सामुदायिक अवसंरचना	सड़कें, उपयोगिताएँ, सार्वजनिक सुविधाएँ और साझा संसाधन
निर्माण प्रभाव	धूल, शोर, खुदाई, यातायात और अस्थायी अवरोध
सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव	सामुदायिक संबंध, स्थानीय संस्थाएँ और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण संसाधन
कमजोर समूह	कमजोर परिवारों/व्यक्तियों पर संभावित असमान प्रभाव
मुआवजा एवं पात्रताएँ	मुआवजा, सहायता और लागू वैधानिक प्रावधान
सार्वजनिक लाभ	प्रस्तावित जलापूर्ति अवसंरचना से अपेक्षित लाभ

स्रोत: एसआईएआकलन कार्यप्रणाली।

प्रत्येक चिन्हित प्रभाव की महत्ता का विचार उसके स्वरूप, अवधि, विस्तार, प्रभावित आबादी और शमन की संभाव्यता के आधार पर आगामी अध्यायों में किया गया है।

2.10 सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) एसआईए प्रक्रिया के हिस्से के रूप में तैयार की गई है। एसआईएमपी का ध्यान प्रतिकूल प्रभावों से बचने या उन्हें न्यूनतम करने तथा उन प्रभावों का समाधान करने के लिए आवश्यक उपायों पर है जिन्हें यथोचित रूप से टाला नहीं जा सकता। आकलन के निष्कर्षों के आधार पर उपायों में निम्न शामिल हो सकते हैं:

- लागू कानून के अनुसार मुआवजे का भुगतान;
- निर्माण के दौरान संपत्तियों तक पहुंच की सुरक्षा;
- सड़कों और अन्य प्रभावित अवसंरचना की पुनर्स्थापना;
- उचित यातायात एवं निर्माण प्रबंधन;
- धूल और शोर को नियंत्रित करने के उपाय;
- अस्थायी निर्माण गतिविधियों के संबंध में अग्रिम सूचना/संचार;
- शिकायत निवारण एवं शिकायतों का निपटारा;
- उपयोगिताओं और सामुदायिक अवसंरचना की सुरक्षा; तथा

- स्वीकृत शमन उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी।

2.11 सूचना एवं डेटा स्रोत

एसआईए में निम्नलिखित श्रेणियों की जानकारी का उपयोग किया गया है:

- परियोजना दस्तावेज – उपलब्ध परियोजना विवरण, इंजीनियरिंग जानकारी, ड्रॉइंग, अनुबंध दस्तावेज और मांगकर्ता निकाय द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य अभिलेख।
- सरकारी अभिलेख – राजस्व विभाग तथा अन्य संबंधित विभागीय अभिलेख।
- प्रकाशित द्वितीयक जानकारी – जनगणना डेटा, सांख्यिकीय प्रकाशन और संबंधित सरकारी रिपोर्ट।
- प्राथमिक क्षेत्रीय जांच – स्थल निरीक्षण और परिवार स्तर पर डेटा संग्रह।
- हितधारक परामर्श – प्रभावित व्यक्तियों, स्थानीय प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा।
- कानूनी एवं विनियामक दस्तावेज – आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 और लागू हिमाचल प्रदेश नियम।

2.12 क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं परामर्श की समय-सारणी

एसआईए की तैयारी के लिए प्राथमिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण और परामर्श अगस्त 2026 के दौरान किए गए। गतिविधियों में क्षेत्रीय भ्रमण, परिवार स्तर पर जानकारी का संग्रह, स्थल निरीक्षण तथा प्रभावित व्यक्तियों और संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श शामिल था।

2.13 जन सुनवाई एवं परामर्श प्रक्रिया

सार्वजनिक परामर्श एसआईए प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम की धारा 5 में एसआईए रिपोर्ट तैयार होने के बाद और मूल्यांकन से पहले प्रभावित क्षेत्र में जन सुनवाई का प्रावधान है, जिसमें प्रभावित परिवारों और स्थानीय संस्थाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

जन सुनवाई आगामी वैधानिक एसआईए प्रक्रिया के हिस्से के रूप में आयोजित की जानी है। यह मसौदा रिपोर्ट जन सुनवाई से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन इकाई (एसआईएयू) को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है। जन सुनवाई के दौरान उठाए गए मुद्दों, चिंताओं और सुझावों को दस्तावेजीकृत किया जाएगा तथा जहाँ लागू हो, एसआईए प्रक्रिया के आगामी चरण में उन पर विचार किया जाएगा।

2.14 कार्यप्रणाली की सीमाएँ

एसआईए आकलन टीम को उपलब्ध परियोजना जानकारी, भूमि अभिलेखों, क्षेत्रीय अवलोकनों, प्राथमिक सर्वेक्षण और हितधारक इनपुट पर आधारित है।

निष्कर्षों की व्याख्या करते समय निम्नलिखित सीमाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

- आकलन अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि और परियोजना संरक्षण तक विशिष्ट है;
- कुछ निष्कर्षों की गुणवत्ता उपलब्ध भूमि एवं परियोजना अभिलेखों की पूर्णता और सटीकता पर निर्भर करती है;
- हितधारकों की धारणाएँ व्यक्तिगत या सामूहिक विचारों को दर्शाती हैं और हमेशा स्वतंत्र रूप से सत्यापन योग्य परिस्थितियों के अनुरूप नहीं हो सकतीं;
- तकनीकी एवं इंजीनियरिंग निष्कर्ष मांगकर्ता निकाय के स्वीकृत परियोजना डिजाइन और अभिलेखों पर निर्भर रहते हैं; तथा
- मुआवजे, स्वामित्व और कानूनी अधिकारों से संबंधित जानकारी को सक्षम प्राधिकारी के अभिलेखों एवं निर्धारणों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

ये सीमाएँ आकलन को अमान्य नहीं करतीं, बल्कि वह आधार निर्धारित करती हैं जिसके आधार पर निष्कर्षों की व्याख्या की जानी चाहिए।

2.15 कार्यप्रणाली संबंधी दृष्टिकोण का सारांश

एसआईए में दस्तावेजी समीक्षा, क्षेत्रीय जांच, परिवार स्तर पर डेटा संग्रह और हितधारक परामर्श को सम्मिलित करके एलडबल्यूएसएस, शिमला के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के सामाजिक निहितार्थों का आकलन किया गया है।

कार्यप्रणाली पाँच प्रमुख कार्यों के आसपास संरचित है:

- प्रभावित क्षेत्र की मौजूदा सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को स्थापित करना;
- संभावित रूप से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों, संपत्तियों और सामुदायिक संसाधनों की पहचान करना;
- अधिग्रहण एवं निर्माण के प्रत्यक्ष और अस्थायी सामाजिक प्रभावों का आकलन करना;
- प्रस्तावित भूमि आवश्यकता और विकल्पों की जांच करना; तथा
- चिन्हित प्रतिकूल प्रभावों से बचने, उन्हें न्यूनतम करने या उनका प्रबंधन करने के उपाय विकसित करना।

कार्यप्रणाली क्षेत्रीय जांच से एकत्र साक्ष्य, आकलन के माध्यम से चिन्हित प्रभावों और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना में प्रस्तावित शमन उपायों के बीच एक पारदर्शी संबंध स्थापित करती है।

चित्र: क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान लिए गए चित्र





3. भूमि आकलन

इस अध्याय में उप-शीर्षक: एलडब्ल्यूएसएस, शिमला के लिए अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का आकलन किया गया है। इसमें भूमि का स्थान, क्षेत्रफल, स्वामित्व, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण का विवरण दिया गया है तथा प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले क्षेत्र की जांच की गई है।

आकलन उपलब्ध भूमि एवं परियोजना अभिलेखों, क्षेत्रीय अवलोकनों तथा एसआईएके दौरान एकत्र प्राथमिक जानकारी पर आधारित है। भूमि के दर्ज स्वामित्व और मौजूदा एचपीपीडब्ल्यूडी सड़क गलियारे के रूप में उसके वर्तमान उपयोग के बीच संबंध पर विशेष ध्यान दिया गया है, साथ ही जलापूर्ति पाइपलाइन के शेष खंड को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण के निहितार्थों पर भी विचार किया गया है।

3.1 भूमि सूची एवं प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी

प्रस्तावित अधिग्रहण हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला, तहसील शिमला (ग्रामीण), उप-मोहाल कवालाग में एचपीपीडब्ल्यूडी मेहली-जुन्गा सड़क के साथ स्थित भूमि के एक हिस्से से संबंधित है।

उपलब्ध परियोजना जानकारी में अधिग्रहण के लिए कुल 0-04-50 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की गई है। भूमि निजी भूमि के रूप में दर्ज है और वर्तमान में मौजूदा सड़क गलियारे के अंतर्गत उपयोग में है। प्रस्तावित अधिग्रहण एलडब्ल्यूएसएस, शिमला से संबंधित भूमिगत संचरण पाइपलाइन के शेष खंड को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

तालिका 3-1 शिमला में एलडब्ल्यूएसएस के लिए अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि

क्रम सं.	जिला	तहसील	गाँव/मोहाल/उप-मोहाल	खसरा संख्या / क्षेत्र / दर्ज वर्गीकरण
1	शिमला	शिमला (ग्रामीण)	कवालाग	राजस्व अभिलेख से पुष्टि की जानी है; 0-04-50 हेक्टेयर

स्रोत: एसआईएके लिए उपलब्ध कराई गई भूमि एवं परियोजना संबंधी जानकारी।

3.2 परियोजना के प्रभावाधीन सम्पूर्ण क्षेत्र

प्रत्यक्ष प्रभाव का क्षेत्र प्रस्तावित अधिग्रहण की भूमि है, जिसका क्षेत्रफल 0-04-50 हेक्टेयर है और जो कवालाग जल पंप हाउस के निकट मौजूदा एचपीपीडबल्यूडी मेहली-जुंग्गा सड़क के साथ स्थित है।

प्रस्तावित भूमिगत पाइपलाइन मौजूदा सड़क गलियारे के भीतर बिछाई जाएगी। इसलिए तत्काल क्षेत्र में निर्माण के दौरान अस्थायी प्रभाव हो सकते हैं, जिनमें खुदाई, पाइप बिछाना, बैकफिलिंग, सड़क की पुनर्स्थापना, अस्थायी यातायात प्रबंधन, धूल और शोर शामिल हैं। ये प्रभाव निर्माण गतिविधियों से जुड़े हैं, न कि आसपास की बसावट संरचना या भूमि उपयोग में किसी स्थायी परिवर्तन से।

प्रभाव के प्राथमिक क्षेत्र में प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र के तत्काल आसपास का क्षेत्र तथा सड़क का वह हिस्सा शामिल है जहाँ पाइपलाइन का शेष कार्य किया जाएगा। इसमें कवालाग जल पंप हाउस और आसपास की संपत्तियाँ तथा सड़क उपयोगकर्ता शामिल हैं, जिन्हें निर्माण के दौरान अस्थायी असुविधा हो सकती है।

प्रभाव का व्यापक क्षेत्र अधिग्रहण स्थल से आगे तक फैला है क्योंकि पाइपलाइन बड़े एलडबल्यूएसएस का हिस्सा है, जो शिमला और आसपास के क्षेत्रों को सेवा प्रदान करता है। इसलिए समग्र जलापूर्ति प्रणाली की तुलना में प्रस्तावित अधिग्रहण भौगोलिक रूप से छोटा है, जबकि इसके माध्यम से सक्षम होने वाला बुनियादी ढाँचा कहीं बड़ी आबादी की सेवा करने वाले नेटवर्क का हिस्सा है।

प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए उपलब्ध जानकारी के आधार पर अधिग्रहण क्षेत्र के भीतर कोई आवासीय मकान चिन्हित नहीं किया गया है। हालांकि, क्षेत्रीय आकलन को भूमि उपयोग, आजीविका पर निर्भरता, पहुंच और संपत्ति हितों से संबंधित निष्कर्षों के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो रिपोर्ट के आगामी अध्यायों में प्रस्तुत किए गए हैं।

एसआईए में प्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहित क्षेत्र और बुनियादी ढाँचे से लाभान्वित होने वाले व्यापक क्षेत्र के बीच अंतर महत्वपूर्ण है। पहला भूमि एवं संपत्ति प्रभावों के आकलन का आधार है, जबकि दूसरा जलापूर्ति अवसंरचना के पूरा होने से जुड़े सार्वजनिक लाभों के आकलन का व्यापक संदर्भ प्रदान करता है।

3.3 अधिग्रहण का दायरा

प्रस्तावित अधिग्रहण में उप-मोहाल कवालाग, एचपीपीडबल्यूडी मेहली-जुंन्गा सड़क के साथ, तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला में 0-04-50 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल है।

यह भूमि एलडबल्यूएसएस, शिमला के अंतर्गत भूमिगत राइजिंग मेन के अंतिम शेष खंड को पूरा करने के लिए आवश्यक है। अधिग्रहण निम्नलिखित बड़ी परियोजना का हिस्सा है:

“गिरी, चेर, अश्वनी खड्ड, गुम्मा, चेरोट एवं सियोग कैचमेंट क्षेत्र में एलडबल्यूएसएस का संवर्धन (उप-कार्य: अश्वनी खड्ड से कवालाग प्रथम चरण तथा कवालाग से कसुम्पटी द्वितीय चरण तक राइजिंग मेन का प्रतिस्थापन)।”

प्रस्तावित अधिग्रहण पाइपलाइन कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक चिन्हित भू-भाग तक सीमित है। संबंधित गतिविधियों में खुदाई, पाइप बिछाना, वेल्डिंग, परीक्षण, बैकफिलिंग और सड़क की सतह की पुनर्स्थापना शामिल हैं।

प्रस्तावित संरक्षण मौजूदा एचपीपीडबल्यूडी सड़क गलियारे का अनुसरण करता है और कवालाग जल पंप हाउस से सटा हुआ है। इस घटक के अंतर्गत अधिग्रहण हेतु चिन्हित भूमि पर कोई नया पंपिंग स्टेशन, जल उपचार संयंत्र, भंडारण जलाशय, प्रशासनिक भवन या अन्य प्रमुख स्थायी सतही सुविधा प्रस्तावित नहीं है।

बड़ी पाइपलाइन परियोजना 2017 में शुरू हुई थी और एसआईएके लिए उपलब्ध कराई गई परियोजना जानकारी के अनुसार, कार्य का अधिकांश भाग पहले ही पूरा हो चुका है। वर्तमान अधिग्रहण संचरण कनेक्शन को पूरा करने के लिए आवश्यक शेष खंड से संबंधित है।

प्रभावित खंड में पुरानी मौजूदा पाइपलाइन वर्तमान में अस्थायी कनेक्शन के रूप में उपयोग की जा रही है। प्रस्तावित कार्य पूरा होने पर उन्नत संचरण प्रणाली के शेष खंड को परियोजना डिजाइन के अनुसार जोड़ा जा सकेगा।

उपलब्ध जानकारी से यह भी संकेत मिलता है कि मौजूदा एचपीपीडबल्यूडी सड़क कई दशकों से सार्वजनिक उपयोग में है, जबकि जिस भूमि पर वह स्थित है वह अभी भी निजी भूमि के रूप में दर्ज है। इसलिए वर्तमान अधिग्रहण ऐसी भूमि से संबंधित है जो पहले से स्थापित सार्वजनिक सड़क गलियारे के रूप में उपयोग में है। इस उपयोग का इतिहास और कानूनी स्थिति संबंधित राजस्व विभाग एवं एचपीपीडबल्यूडी अभिलेखों के साथ देखी जानी चाहिए।

एसआईए के लिए उपलब्ध परियोजना जानकारी में चिन्हित 0-04-50 हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त भूमि की पहचान नहीं की गई है। अंतिम भूमि आवश्यकता की पुष्टि स्वीकृत संरक्षण ड्राइंग और भूमि अनुसूची के आधार पर की जानी चाहिए।

3.4 परियोजना के लिए कुल भूमि आवश्यकता

प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए भूमि की आवश्यकता उप-मोहाल कवालाग में 0-04-50 हेक्टेयर निजी भूमि की है।

प्रस्तावित पाइपलाइन मौजूदा एचपीपीडबल्यूडी मेहली-जुंन्गा सड़क के नीचे बिछाई जानी है। उपलब्ध जानकारी के आधार पर स्थापित सड़क गलियारे का उपयोग करने से मौजूदा गलियारे के बाहर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं पड़ती।

प्रस्तावित भूमि आवश्यकता को इंजीनियरिंग संरक्षण, निर्माण आवश्यकताओं तथा स्थापना और संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक स्थान के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसलिए एसआईए प्रस्तावित अधिग्रहण की सीमा आवश्यक कार्य के लिए आवश्यक क्षेत्र तक सीमित है या नहीं, इसकी जांच करते समय बताए गए क्षेत्रफल के साथ उपलब्ध परियोजना ड्राइंग और भूमि अभिलेखों पर भी विचार करता है।

एसआईए के लिए उपलब्ध जानकारी में प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र के भीतर कोई आवासीय संरचना, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान या सामुदायिक सुविधा चिन्हित नहीं की गई है। इसी प्रकार, वर्तमान अधिग्रहण प्रस्ताव में कोई अतिरिक्त सरकारी, वन या साझा भूमि चिन्हित नहीं की गई है।

अधिग्रहित भूमि का स्थायी उपयोग सार्वजनिक अवसंरचना से जुड़ा रहेगा। भूमिगत पाइपलाइन सड़क गलियारे के भीतर स्थित होगी और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सड़क की सतह को पुनर्स्थापित किया जाएगा।

3.4.1 आसपास की सार्वजनिक या अनुपयोगी भूमि का वर्तमान उपयोग

प्रस्तावित अधिग्रहण के आसपास के क्षेत्र में मौजूदा एचपीपीडबल्यूडी सड़क गलियारा, बिखरा हुआ आवासीय विकास, कृषि भूमि और कवालाग जल पंप हाउस सहित सार्वजनिक उपयोगिता अवसंरचना शामिल है।

अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि निजी भूमि के रूप में दर्ज है, लेकिन वर्तमान में मौजूदा सार्वजनिक सड़क गलियारे के हिस्से के रूप में उपयोग की जा रही है। इसलिए परियोजना को

आसपास की भूमि से नया गलियारा बनाने के बजाय स्थापित सड़क संरक्षण के आधार पर नियोजित किया गया है।

एसआईए के लिए उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रस्तावित पाइपलाइन खंड के लिए आसपास की किसी खाली सरकारी भूमि, चरागाह भूमि, वन भूमि या अन्य अनुपयोगी सार्वजनिक भूमि की आवश्यकता चिन्हित नहीं की गई है।

वर्तमान प्रस्ताव में मौजूदा सड़क गलियारे के कार्यात्मक उपयोग में परिवर्तन शामिल नहीं है। निर्माण के दौरान सड़क की सतह की खुदाई अस्थायी रूप से आवश्यक होगी, जिसके बाद पाइपलाइन की स्थापना के उपरांत वापिस भरना और पुनर्स्थापना की जाएगी।

3.5 पहले से खरीदी, हस्तांतरित, पट्टे पर ली गई या अधिग्रहित भूमि तथा प्रत्येक भू-भाग का प्रस्तावित उपयोग

मांगकर्ता विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार प्रस्तावित पाइपलाइन खंड के लिए विशेष रूप से कोई भूमि खरीदी, हस्तांतरित, पट्टे पर ली या पूर्व में अधिग्रहित नहीं की गई है।

वर्तमान प्रस्ताव में उप-मोहाल कवालाग में 0-04-50 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण भूमिगत संचरण पाइपलाइन को पूरा करने के लिए किया जाना है।

यद्यपि भूमि निजी के रूप में दर्ज है, वर्तमान में इसका उपयोग मौजूदा एचपीपीडब्ल्यूडी सड़क गलियारे के रूप में किया जा रहा है। प्रस्तावित पाइपलाइन सड़क के नीचे स्थापित की जाएगी, जिससे आसपास की भूमि से अलग संरक्षण बनाने के बजाय स्थापित अवसंरचना गलियारे का उपयोग होगा।

अधिग्रहित भूमि का प्रस्तावित उपयोग भूमिगत जलापूर्ति पाइपलाइन तथा संबंधित कार्यों की स्थापना और दीर्घकालिक संचालन एवं रखरखाव तक सीमित है। निर्माण गतिविधियों में खुदाई, पाइप बिछाना, वेल्डिंग, परीक्षण, बैकफिलिंग और सड़क की सतह की पुनर्स्थापना शामिल होगी।

वर्तमान अधिग्रहण प्रस्ताव के हिस्से के रूप में सरकारी, पट्टे पर ली गई या पहले से अधिग्रहित किसी अलग भूमि की पहचान नहीं की गई है।

पूर्व भूमि अधिग्रहण की स्थिति अथवा मौजूदा सड़क से संबंधित किसी ऐतिहासिक हस्तांतरण की पुष्टि संबंधित भूमि अभिलेखों से की जानी चाहिए, विशेष रूप से वहाँ जहाँ मौजूदा सड़क ऐसी भूमि पर स्थित है जो अभी भी निजी के रूप में दर्ज है।

3.6 अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि की मात्रा एवं स्थान

प्रस्तावित अधिग्रहण में उप-मोहाल कवालाग, एचपीपीडबल्यूडी मेहली-जुंन्गा सड़क के साथ, तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला में स्थित 0-04-50 हेक्टेयर भूमि शामिल है।

भूमि एलडबल्यूएसएस संचरण पाइपलाइन के शेष खंड के लिए आवश्यक है। प्रस्तावित संरक्षण मौजूदा सड़क गलियारे का अनुसरण करता है और कवालाग जल पंप हाउस के निकट स्थित है।

परियोजना जानकारी में अधिग्रहण क्षेत्र को पाइपलाइन के इस खंड को पूरा करने के लिए आवश्यक भूमि के रूप में चिन्हित किया गया है। अधिग्रहण कार्यवाही अंतिम रूप देने से पहले अंतिम भूमि अनुसूची को स्वीकृत इंजीनियरिंग ड्राइंग और प्रमाणित राजस्व अभिलेखों के साथ जांचा जाना चाहिए।

प्रस्तावित कार्य में भूमिगत स्थापना शामिल है। इस खंड के लिए पंपिंग स्टेशन, उपचार संयंत्र, जलाशय या किसी अन्य प्रमुख स्थायी सुविधा हेतु अलग भूमि आवश्यकता चिन्हित नहीं की गई है।

पाइपलाइन स्थापना पूरी होने के बाद सड़क की सतह को पुनर्स्थापित किया जाएगा। यातायात, पहुंच, धूल, शोर या सड़क उपयोग पर किसी भी अस्थायी निर्माण प्रभाव को रिपोर्ट के प्रभाव आकलन और प्रबंधन संबंधी अनुभागों में अलग से संबोधित किया गया है।

3.7 भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग एवं वर्गीकरण

अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 0-04-50 हेक्टेयर है और यह उप-मोहाल कवालाग में एचपीपीडबल्यूडी मेहली-जुंन्गा सड़क के साथ स्थित है।

एसआईए के लिए उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भूमि राजस्व अभिलेखों में निजी भूमि के रूप में दर्ज है। हालांकि, इसका वर्तमान भौतिक उपयोग मौजूदा एचपीपीडबल्यूडी सड़क गलियारे के हिस्से के रूप में हो रहा है।

दर्ज स्वामित्व/वर्गीकरण और वर्तमान भौतिक उपयोग के बीच यह अंतर आकलन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रस्तावित अधिग्रहण में नई सड़क या अन्य सतही सुविधा के लिए पहले से अविकसित निजी भूमि लेना शामिल नहीं है। इसके बजाय, अधिग्रहण ऐसी भूमि से संबंधित है जो पहले से स्थापित सार्वजनिक सड़क गलियारे में सम्मिलित है और जिसके नीचे प्रस्तावित भूमिगत जलापूर्ति पाइपलाइन स्थापित की जाएगी।

इस आकलन के लिए उपलब्ध जानकारी में प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र के हिस्से के रूप में कोई कृषि, वन, चरागाह या सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि चिन्हित नहीं की गई है। प्रस्तावित अधिग्रहण भू-भाग के भीतर कोई आवासीय या वाणिज्यिक संरचना भी चिन्हित नहीं की गई है।

प्रस्तावित पाइपलाइन सड़क के नीचे स्थित होगी और कार्य पूरा होने के बाद सड़क की सतह को पुनर्स्थापित किया जाएगा। इसलिए दीर्घकालिक भूमि-संबंधी प्रमुख मुद्दा स्थल के भौतिक उपयोग में बड़े बदलाव के बजाय दर्ज निजी भूमि हित का अधिग्रहण है।

तालिका 3-2 अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि की प्रकृति और वर्गीकरण

क्रम सं.	जिला	तहसील	गाँव/मोहाल/उप-मोहाल	खसरा संख्या	क्षेत्रफल एवं दर्ज स्वामित्व/वर्गीकरण; वर्तमान भौतिक उपयोग
1	शिमला	शिमला (ग्रामीण)	कवालाग	पुष्टि की जानी है	0-04-50 हेक्टेयर (450 वर्ग मीटर); निजी भूमि; मौजूदा एचपीपीडबल्यूडी सड़क गलियारा

स्रोत: एसआईएके लिए उपलब्ध कराई गई राजस्व/परियोजना संबंधी जानकारी।

3.8 जोतों का आकार एवं स्वामित्व का स्वरूप

प्रस्तावित अधिग्रहण में 0-04-50 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली अपेक्षाकृत छोटी निजी भूमि शामिल है।

उपलब्ध जानकारी से संकेत मिलता है कि यह भू-भाग निजी स्वामित्व वाली जोत का हिस्सा है, जिस पर एचपीपीडबल्यूडी सड़क कई दशकों से सार्वजनिक उपयोग में है। इसलिए भूमि की स्थिति ऐसी है जिसमें दर्ज निजी स्वामित्व और लंबे समय से चला आ रहा सार्वजनिक उपयोग एक साथ मौजूद हैं।

एसआईए के लिए उपलब्ध जानकारी के अनुसार मौजूदा सड़क लगभग पाँच दशक पहले उस भूमि के औपचारिक अधिग्रहण के बिना बनाई गई थी जिसे अब अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित किया गया है। अंतिम रिपोर्ट में इसे सत्यापित ऐतिहासिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत करने से पहले इस ऐतिहासिक जानकारी का उपलब्ध राजस्व विभाग और एचपीपीडबल्यूडी अभिलेखों से मिलान किया जाना चाहिए।

वर्तमान अधिग्रहण लागू भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के अनुसार संबंधित भूमि हित को हस्तांतरित करेगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारण के अधीन पात्र प्रभावित व्यक्तियों के लिए मुआवजे तथा अन्य वैधानिक पात्रताओं का प्रावधान करेगा।

उपलब्ध परियोजना जानकारी के अनुसार वर्तमान अधिग्रहण एकल निजी भू-स्वामित्व से संबंधित है। दर्ज भूमिधारियों की संख्या एवं पहचान, उनके संबंधित हिस्से तथा उनके व्यक्तिगत हितों की सीमा नवीनतम प्रमाणित राजस्व अभिलेखों से निर्धारित की जानी चाहिए और रिपोर्ट की भूमि तथा प्रभावित व्यक्ति अनुसूचियों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

तथ्य यह है कि भूमि पहले से सार्वजनिक सड़क के रूप में उपयोग हो रही है, अपने-आप में दर्ज स्वामियों के संपत्ति हित को समाप्त नहीं करता। इसलिए एसआईए निजी भूमि हित के अधिग्रहण को प्रत्यक्ष सामाजिक एवं संपत्ति प्रभाव के रूप में मानता है, भले ही प्रस्तावित परियोजना से भूमि का कोई नया भौतिक अधिभोग न हो।

3.9 भूमि वितरण एवं प्रभावित आवासीय मकानों की संख्या

प्रस्तावित अधिग्रहण में उप-मोहाल कवालाग, एचपीपीडबल्यूडी मेहली-जुन्गा सड़क के साथ 0-04-50 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल है।

प्रस्तावित भूमिगत पाइपलाइन मौजूदा सड़क गलियारे के नीचे स्थापित की जानी है। इस रिपोर्ट के लिए उपलब्ध परियोजना जानकारी और क्षेत्रीय आकलन के आधार पर वर्तमान भूमि अधिग्रहण के हिस्से के रूप में किसी आवासीय मकान का अधिग्रहण या विध्वंस प्रस्तावित नहीं है।

अतः प्रभावित आवासीय मकानों की संख्या: शून्य (0)

आवासीय अधिग्रहण न होने का अर्थ है कि अधिग्रहण क्षेत्र में स्थित आवासीय संरचनाओं से परिवारों का भौतिक विस्थापन या पुनर्स्थापन प्रस्तावित नहीं है।

इस निष्कर्ष को परिवार सर्वेक्षण, क्षेत्रीय स्थापन और भूमि अभिलेखों के साथ पढ़ा जाना चाहिए। विस्तृत सर्वेक्षण के दौरान पहचानी गई किसी भी संरचना, पहुंच व्यवस्था या अन्य संपत्ति हित को अंतिम प्रभावित व्यक्ति एवं प्रभाव आकलन अनुसूचियों में शामिल किया जाना चाहिए।

मौजूदा सड़क गलियारे के उपयोग ने स्थापित सार्वजनिक अवसंरचना क्षेत्र से बाहर अधिग्रहण की आवश्यकता को सीमित किया है। इसलिए अस्थायी अवरोध, यातायात प्रबंधन, धूल, शोर

और पहुंच प्रतिबंध जैसे निर्माण-संबंधी प्रभाव मुख्यतः पाइपलाइन कार्यों के निष्पादन से जुड़े होने की संभावना है, न कि आवासीय संपत्तियों के स्थायी विस्थापन से।

3.10 भूमि आकलन का सारांश

एलडबल्यूएसएस , शिमला के लिए प्रस्तावित अधिग्रहण एचपीपीडबल्यूडी मेहली-जुंन्गा सड़क के साथ उप-मोहाल कवालाग में 0-04-50 हेक्टेयर भूमि तक सीमित है।

प्रस्तावित अधिग्रहण की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

तालिका 3-3 अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि और मौजूदा भूमि उपयोग का सारांश

विवरण	विवरणात्मक जानकारी
जिला	शिमला
तहसील	शिमला (ग्रामीण)
गाँव / उप-मोहाल	कवालाग
अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र	0-04-50 हेक्टेयर (450 वर्ग मीटर)
दर्ज स्वामित्व	निजी भूमि
वर्तमान भौतिक उपयोग	मौजूदा एचपीपीडबल्यूडी सड़क गलियारा
प्रस्तावित उपयोग	भूमिगत एलडबल्यूएसएस संचरण पाइपलाइन एवं संबंधित कार्य
अधिग्रहित आवासीय मकान	शून्य (0)
प्रस्तावित नई सतही सुविधा	कोई नहीं
मौजूदा सार्वजनिक अवसंरचना	एचपीपीडबल्यूडी सड़क और कवालाग जल पंप हाउस
चिन्हित अतिरिक्त भूमि	वर्तमान में उपलब्ध जानकारी में कोई नहीं

भूमि आकलन से संकेत मिलता है कि प्रस्तावित अधिग्रहण एक छोटे, स्पष्ट रूप से चिन्हित भू-भाग से संबंधित है जो पहले से मौजूदा सार्वजनिक सड़क गलियारे में सम्मिलित है। इसलिए अधिग्रहण से उत्पन्न प्रमुख सामाजिक मुद्दा आवासीय परिवारों का भौतिक विस्थापन नहीं, बल्कि दर्ज निजी भूमि हितों पर प्रभाव है।

मुआवजे, आजीविका पर निर्भरता, पहुंच, निर्माण-संबंधी व्यवधान, हितधारकों की चिंताओं और अन्य सामाजिक प्रभावों का आकलन रिपोर्ट के आगामी अध्यायों में किया गया है।

4. प्रभावित परिवारों एवं परिसंपत्तियों का अनुमान एवं गणना

इस अध्याय में लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम (एलडबल्यूएसएस), शिमला के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से संभावित रूप से प्रभावित व्यक्तियों, परिवारों और परिसंपत्तियों की पहचान एवं आकलन किया गया है।

आकलन एसआईए टीम को उपलब्ध भूमि एवं परियोजना जानकारी, क्षेत्रीय अवलोकनों, परिवार स्तर के सर्वेक्षण तथा प्रभावित भू-स्वामित्व के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श पर आधारित है। स्वामित्व, आजीविका पर निर्भरता, भौतिक विस्थापन, साझा संपत्ति संसाधनों और प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित होने वाले अन्य हितों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

प्रस्तावित अधिग्रहण में उप-मोहाल कवालाग, तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला में 0-04-50 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल है। भूमि वर्तमान में मौजूदा एचपीपीडबल्यूडी सड़क गलियारे का हिस्सा है। इसलिए आकलन में दर्ज निजी भूमि हित पर प्रभाव और पाइपलाइन कार्य पूरा होने से उत्पन्न होने वाले भौतिक प्रभावों के बीच अंतर किया गया है।

4.1 प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित लोग

प्रस्तावित अधिग्रहण स्वर्गीय श्री दुर्गा सिंह के परिवार से संबंधित दर्ज निजी भू-स्वामित्व को प्रभावित करता है। अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल 0-04-50 हेक्टेयर है और यह एलडबल्यूएसएस संचरण पाइपलाइन के शेष खंड को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

एसआईए के लिए किए गए परिवार सर्वेक्षण एवं परामर्श के आधार पर चार चिन्हित पारिवारिक शाखाओं के प्रतिनिधियों ने आकलन में भाग लिया। परामर्श किए गए प्रतिनिधि निम्न थे:

तालिका 4-1 दौरान परामर्श की गई प्रभावित पारिवारिक शाखाओं के प्रतिनिधि

क्रम सं.	पारिवारिक शाखा	परामर्शित प्रतिनिधि
1	स्वर्गीय श्री दलीप सिंह की शाखा	श्री देवेश अत्री
2	स्वर्गीय श्री शंकर सिंह की शाखा	श्रीमती लता अत्री
3	श्री प्रेम सिंह की शाखा	श्री प्रेम सिंह
4	श्री बलदेव सिंह की शाखा	श्री बलदेव सिंह

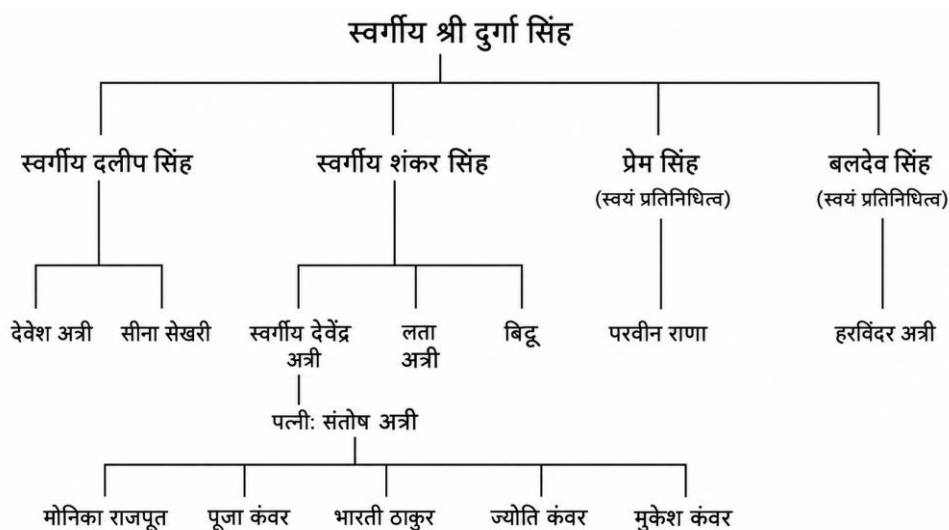
स्रोत: प्राथमिक एसआईए सर्वेक्षण एवं हितधारक परामर्श, अगस्त 2026।

सर्वेक्षण एवं परामर्श प्रक्रिया में चारों चिन्हित पारिवारिक शाखाएँ शामिल थीं। निष्कर्ष बताते हैं कि प्रस्तावित अधिग्रहण में आवासीय संरचनाओं का अधिग्रहण या विध्वंस शामिल नहीं है और प्रभावित परिवार के भौतिक पुनर्स्थापन की आवश्यकता नहीं है।

आकलन के लिए उपलब्ध जानकारी के अनुसार भूमि कई दशकों से मेहली-जुंग्गा सड़क के हिस्से के रूप में सार्वजनिक उपयोग में है। परिणामस्वरूप प्रस्तावित अधिग्रहण सड़क या पाइपलाइन के लिए भूमि का कोई नया भौतिक अधिभोग नहीं करता। प्रमुख प्रत्यक्ष प्रभाव दर्ज निजी भूमि हित के अधिग्रहण से संबंधित है।

प्रभावित परिवार के प्रतिनिधियों ने एसआईए प्रक्रिया के दौरान अपने विचार व्यक्त किए, जिनमें भूमि के मुआवजे से संबंधित उनका पक्ष भी शामिल था। सामाजिक प्रभावों के आकलन और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना में प्रस्तावित प्रबंधन उपायों के निर्माण में उनकी चिंताओं एवं विचारों पर विचार किया गया है।

मुआवजे और अन्य वैधानिक उद्देश्यों के लिए प्रभावित व्यक्तियों की संख्या नवीनतम प्रमाणित राजस्व अभिलेखों तथा लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए, जिसमें भूमि में कानूनी रूप से मान्य हित रखने वाले व्यक्तियों की पहचान भी शामिल है।



आकृति 4-1 स्व० श्री दुर्गा सिंह का पारिवारिक चार्ट

4.1.1 किरायेदार, पट्टाधारी एवं अन्य कब्जाधारी

प्रस्तावित अधिग्रहण भूमि पर किसी किरायेदार, पट्टाधारी, बटाईदार, अतिक्रमणकारी या अन्य निजी कब्जाधारी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय जांच और हितधारक परामर्श किया गया।

एसआईए सर्वेक्षण एवं परामर्श के दौरान कोई किरायेदार या पट्टाधारी चिन्हित नहीं किया गया। भूमि वर्तमान में मौजूदा सार्वजनिक सड़क गलियारे के हिस्से के रूप में उपयोग हो रही है और प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में कोई निजी आवासीय, वाणिज्यिक या कृषि उपयोग चिन्हित नहीं किया गया।

उपलब्ध जानकारी से संकेत मिलता है कि दर्ज स्वामित्व स्वर्गीय श्री दुर्गा सिंह के परिवार से संबंधित निजी भू-स्वामित्व के पास है, जबकि भूमि का भौतिक उपयोग मौजूदा एचपीपीडबल्यूडी सड़क से संबंधित है।

अतः एसआईए के माध्यम से कोई अलग किरायेदारी या पट्टाधिकार प्रभाव चिन्हित नहीं किया गया है। हालांकि, प्रमाणित राजस्व अभिलेखों में भूमि में कानूनी रूप से मान्य हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था को लागू कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखा जाना चाहिए।

4.1.2 साझा संपत्ति संसाधनों पर निर्भरता

एसआईए के क्षेत्रीय सर्वेक्षण और स्थल निरीक्षण में यह देखा गया कि प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में स्थानीय समुदाय द्वारा उपयोग किए जाने वाले साझा संपत्ति संसाधन (सीपीआर) मौजूद हैं या उनसे पहुंच मिलती है या नहीं।

क्षेत्रीय आकलन के दौरान प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में कोई सामुदायिक जल स्रोत, तालाब, चरागाह, ग्राम साझा भूमि, धार्मिक संरचना, श्मशान या कब्रिस्तान, सामुदायिक भवन, सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक कुआँ, हैंडपंप या अन्य सामुदायिक रूप से प्रबंधित संसाधन चिन्हित नहीं किया गया।

प्रस्तावित अधिग्रहण मौजूदा एचपीपीडबल्यूडी सड़क गलियारे के भीतर स्थित है। पाइपलाइन सड़क के नीचे स्थापित की जाएगी और कार्य पूरा होने तथा सड़क की पुनर्स्थापना के बाद सड़क के सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध रहने की अपेक्षा है।

इसलिए अधिग्रहण क्षेत्र के भीतर किसी सामुदायिक संसाधन तक पहुंच के स्थायी नुकसान की पहचान नहीं की गई है। खुदाई और पाइपलाइन स्थापना के दौरान आवागमन या यातायात पर

अस्थायी प्रतिबंध हो सकते हैं। ऐसे निर्माण-संबंधी प्रभावों पर प्रभाव आकलन एवं शमन उपायों के अंतर्गत अलग से विचार किया गया है।

यह निष्कर्ष विशेष रूप से प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र से संबंधित है। अधिग्रहण क्षेत्र के बाहर स्थित सामुदायिक संसाधनों पर निर्माण गतिविधियों से अस्थायी प्रभाव पड़ सकता है, तो स्थल-स्तरीय निर्माण योजना में उन पर विचार किया जाना चाहिए।

4.1.3 आजीविका के लिए भूमि पर निर्भरता

प्रस्तावित अधिग्रहण भूमि प्रभावित परिवार की आजीविका या आय में योगदान करती है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए परिवार स्तर का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया गया।

सर्वेक्षण में स्वर्गीय श्री दुर्गा सिंह के परिवार की चार चिन्हित शाखाएँ:

- स्वर्गीय श्री दलीप सिंह की शाखा, प्रतिनिधि - श्री देवेश अत्री;
- स्वर्गीय श्री शंकर सिंह की शाखा, प्रतिनिधि - श्रीमती लता अत्री;
- श्री प्रेम सिंह की शाखा, प्रतिनिधि - श्री प्रेम सिंह;
- श्री बलदेव सिंह की शाखा, प्रतिनिधि - श्री बलदेव सिंह।

सर्वेक्षण एवं परामर्श के दौरान प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर चारों पारिवारिक शाखाओं में से किसी ने भी प्रस्तावित अधिग्रहण भूमि पर अपनी प्राथमिक आजीविका या आय सृजन के लिए वर्तमान निर्भरता की सूचना नहीं दी।

क्षेत्रीय आकलन में इसका प्रमुख कारण यह पहचाना गया कि भूमि कई दशकों से मौजूदा सार्वजनिक सड़क के हिस्से के रूप में कब्जे और उपयोग में है और परिणामस्वरूप भूमिधारियों के लिए उत्पादक कृषि या अन्य आजीविका उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं रही है।

इसलिए सर्वेक्षण निष्कर्ष बताते हैं कि प्रस्तावित अधिग्रहण से भूमि से जुड़ी किसी मौजूदा आजीविका गतिविधि के नुकसान की संभावना नहीं है। इसे निजी संपत्ति हित के नुकसान से अलग समझा जाना चाहिए, जिसके लिए संबंधित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार मुआवजा लागू है।

परामर्श के दौरान प्रभावित परिवार के प्रतिनिधियों ने प्रस्तावित अधिग्रहण और मुआवजे के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। परामर्श रिकॉर्ड को परिवार सर्वेक्षण अनुसूचियों और सहायक दस्तावेजों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

इसलिए प्रभावित भू-स्वामित्व से संबंधित प्रमुख मुद्दा वर्तमान में भूमि पर की जा रही किसी आजीविका गतिविधि से विस्थापन के बजाय निजी भूमि हित का अधिग्रहण और उससे संबंधित मुआवजा है।

4.1.4 अनुसूचित जनजाति एवं पारंपरिक वनवासी

एसआईए में यह विचार किया गया कि क्या प्रस्तावित अधिग्रहण से कोई अनुसूचित जनजाति परिवार, पारंपरिक वनवासी या मान्यता प्राप्त वन अधिकार रखने वाले व्यक्ति प्रभावित होंगे। परिवार सर्वेक्षण, उपलब्ध भूमि जानकारी और एसआईए के लिए किए गए परामर्श के आधार पर प्रभावित पारिवारिक शाखाओं में कोई अनुसूचित जनजाति परिवार चिन्हित नहीं किया गया है।

एसआईए टीम को उपलब्ध परियोजना एवं भूमि जानकारी के अनुसार प्रस्तावित अधिग्रहण में वन भूमि का डायवर्जन भी शामिल नहीं है। आकलन के दौरान प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र पर मान्यता प्राप्त वन अधिकार का दावा या प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति चिन्हित नहीं किया गया।

प्रस्तावित अधिग्रहण मौजूदा एचपीपीडब्ल्यूडी मेहली-जुंगगा सड़क के साथ स्थित है और ऐसी भूमि से संबंधित है जो पहले से मौजूदा सड़क गलियारे में सम्मिलित है। प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र के भीतर कोई सामुदायिक वन संसाधन या वन पर निर्भर गतिविधि चिन्हित नहीं की गई है।

अतः वर्तमान आकलन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति परिवारों या मान्यता प्राप्त वन अधिकारों पर कोई विशिष्ट प्रभाव चिन्हित नहीं किया गया है। किसी भी वैधानिक सुरक्षा या विशेष प्रावधान की प्रयोज्यता, जहाँ प्रासंगिक हो, प्रमाणित अभिलेखों और लागू कानूनी ढाँचे के संदर्भ में निर्धारित की जानी चाहिए।

4.1.5 राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि

एसआईए में यह भी जांचा गया कि प्रस्तावित अधिग्रहण भूमि राज्य सरकार द्वारा किसी भूमि वितरण, पुनर्वास, किरायेदारी या अन्य सरकारी भूमि आवंटन कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित या प्रदान की गई थी या नहीं।

परिवार सर्वेक्षण, हितधारक परामर्श और उपलब्ध भूमि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रभावित भू-स्वामित्व की पहचान स्वर्गीय श्री दुर्गा सिंह के परिवार से संबंधित निजी भूमि

के रूप में की गई है। किसी प्रभावित व्यक्ति ने प्रस्तावित अधिग्रहण भूमि को राज्य सरकार के किसी आवंटन या प्रदान योजना के अंतर्गत रखने की सूचना नहीं दी।

अतः प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि की पहचान नहीं की गई है।

अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करने से पहले अंतिम निर्धारण की नवीनतम प्रमाणित राजस्व अभिलेखों से पुनः पुष्टि की जानी चाहिए।

4.2 भौतिक विस्थापन एवं आवासीय संरचनाएँ

प्रस्तावित अधिग्रहण में आवासीय मकानों का अधिग्रहण या विध्वंस शामिल नहीं है।

प्रस्तावित पाइपलाइन संरक्षण मौजूदा एचपीपीडबल्यूडी सड़क गलियारे का अनुसरण करता है और प्रस्तावित अधिग्रहण भू-भाग के भीतर कोई आवासीय संरचना चिन्हित नहीं की गई है। परिणामस्वरूप:

- प्रभावित आवासीय मकान: शून्य (0)
- भौतिक पुनर्स्थापन की आवश्यकता वाले परिवार: शून्य (0)
- विध्वंस की आवश्यकता वाली आवासीय संरचनाएँ: शून्य (0)

इसलिए परियोजना में परिवारों को उनके आवासों से भौतिक रूप से विस्थापित करना शामिल नहीं है।

निर्माण के दौरान खुदाई, यातायात प्रबंधन, मशीनरी की आवाजाही या पहुंच पर अस्थायी प्रतिबंधों के कारण आसपास के निवासियों या सड़क उपयोगकर्ताओं को अस्थायी असुविधा हो सकती है। ये निर्माण-संबंधी प्रभाव हैं और भौतिक विस्थापन के समान नहीं हैं।

4.3 साझा संपत्ति एवं सामुदायिक परिसंपत्तियाँ

क्षेत्रीय आकलन में उन सामुदायिक परिसंपत्तियों और संसाधनों पर विचार किया गया जो प्रस्तावित अधिग्रहण से संभावित रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

प्रस्तावित अधिग्रहण भू-भाग के भीतर कोई सामुदायिक स्वामित्व वाली या सामुदायिक रूप से प्रबंधित संपत्ति चिन्हित नहीं की गई है। प्रस्तावित अधिग्रहण भूमि में कोई धार्मिक संरचना, सामुदायिक भवन, सार्वजनिक जल स्रोत, चरागाह क्षेत्र, दफन या दाह स्थल, सार्वजनिक पार्क अथवा इसी प्रकार की अन्य सामुदायिक परिसंपत्ति चिन्हित नहीं की गई है।

मौजूदा एचपीपीडबल्यूडी सड़क एक सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्ति है और अपने मौजूदा कार्य को जारी रखेगी। पाइपलाइन स्थापना के लिए अस्थायी खुदाई और संबंधित निर्माण गतिविधियाँ आवश्यक होंगी, जिसके बाद प्रभावित सड़क की सतह को पुनर्स्थापित किया जाना है।

सड़क आवागमन, पहुंच या अन्य सार्वजनिक अवसंरचना पर होने वाले किसी भी अस्थायी प्रभाव का प्रबंधन उचित निर्माण एवं यातायात प्रबंधन उपायों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

4.4 प्रभावित परिवारों एवं परिसंपत्तियों का सारांश

एसआईए के माध्यम से चिन्हित प्रमुख प्रभावित श्रेणियों का सारांश नीचे दिया गया है।

तालिका 4-2 प्रभावित परिवारों और परिसंपत्तियों का सारांश

श्रेणी	निष्कर्ष
अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि	0-04-50 हेक्टेयर (450 वर्ग मीटर)
दर्ज भूमि स्वामित्व	निजी
प्रभावित भू-स्वामित्व	स्वर्गीय श्री दुर्गा सिंह से संबंधित परिवार
परामर्श की गई पारिवारिक शाखाएँ	4
चिन्हित किरायेदार / पट्टाधारी	शून्य
अधिग्रहित आवासीय मकान	शून्य (0)
भौतिक रूप से विस्थापित परिवार	शून्य (0)
अधिग्रहित वाणिज्यिक संरचनाएँ	कोई चिन्हित नहीं
अधिग्रहण क्षेत्र में सामुदायिक संपत्ति संसाधन	कोई चिन्हित नहीं
राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि	कोई चिन्हित नहीं
प्रभावित पारिवारिक शाखाओं में अनुसूचित	कोई चिन्हित नहीं
जनजाति परिवार	
पारंपरिक वनवासी / मान्यता प्राप्त वन अधिकार	कोई चिन्हित नहीं
अधिग्रहण भूमि पर निर्भर आजीविका गतिविधि	कोई रिपोर्ट/पहचान नहीं
प्रमुख प्रत्यक्ष प्रभाव	दर्ज निजी भूमि हित का अधिग्रहण

स्रोत: प्राथमिक एसआईए सर्वेक्षण, क्षेत्रीय आकलन और उपलब्ध भूमि/परियोजना अभिलेख।

4.5 प्रभावित व्यक्तियों एवं परिसंपत्तियों का समग्र आकलन

आकलन से संकेत मिलता है कि प्रस्तावित अधिग्रहण स्वर्गीय श्री दुर्गा सिंह के परिवार से संबंधित एक निजी भू-स्वामित्व को प्रभावित करता है, जिसमें चारों चिन्हित पारिवारिक शाखाओं के प्रतिनिधियों ने एसआईए में भाग लिया।

प्रस्तावित अधिग्रहण में आवासीय संरचनाएँ या परिवारों का भौतिक पुनर्स्थापन शामिल नहीं है। कोई किरायेदार या पट्टाधारी चिन्हित नहीं किया गया और अधिग्रहण क्षेत्र के भीतर कोई साझा संपत्ति संसाधन, राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि या वन-निर्भर उपयोग चिन्हित नहीं किया गया।

परिवार सर्वेक्षण से यह भी संकेत मिलता है कि प्रभावित परिवार वर्तमान में प्रस्तावित भूमि का उपयोग आजीविका या आय-सृजन गतिविधियों के लिए नहीं कर रहा है। यह भूमि के एचपीपीडबल्यूडी सड़क गलियारे के हिस्से के रूप में वर्तमान भौतिक उपयोग के अनुरूप है।

इसलिए प्रमुख सामाजिक प्रभाव निजी भूमि हित के अधिग्रहण तथा उससे संबंधित मुआवजे और अन्य लागू वैधानिक लाभों की पात्रता से जुड़ा है। सड़क उपयोगकर्ताओं और आसपास की संपत्तियों को प्रभावित करने वाले अस्थायी निर्माण-संबंधी प्रभाव स्थायी भूमि अधिग्रहण प्रभाव से अलग हैं और उन्हें निर्माण प्रबंधन एवं शमन उपायों के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए।

इस अध्याय में प्रस्तुत निष्कर्ष एसआईए और सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना के अंतर्गत सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों, सामाजिक प्रभावों, मुआवजे और शमन उपायों के आगामी आकलन का आधार हैं।

5. सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रोफाइल

इस अध्याय में एलडबल्यूएसएस, शिमला के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से जुड़े लोगों और समुदायों की सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रभावित परिवार की जनसांख्यिकीय विशेषताएँ, पारिवारिक एवं संपत्ति संबंध, संबंधित प्रशासनिक एवं सामुदायिक संस्थाएँ, परियोजना क्षेत्र को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय परिवर्तन तथा मौजूदा जीवन-पर्यावरण की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया है। आकलन परिवार स्तर के सर्वेक्षण, क्षेत्रीय अवलोकनों, हितधारक परामर्श और उपलब्ध परियोजना एवं भूमि संबंधी अभिलेखों पर आधारित है। प्रस्तावित अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाले प्रभावों की प्रकृति एवं महत्व को प्रभावित करने वाली प्रभावित व्यक्तियों की विशेषताओं और सामाजिक परिस्थितियों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

5.1 परियोजना क्षेत्र में परियोजना से प्रभावित लोगों (पी ए पी एस) की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल

प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण स्वर्गीय श्री दुर्गा सिंह के वंशजों से संबंधित एक भूमि-स्वामी परिवार को प्रभावित करता है। परिवार का प्रतिनिधित्व उनके पुत्रों—स्वर्गीय श्री दलीप सिंह, स्वर्गीय श्री शंकर सिंह, श्री प्रेम सिंह और श्री बलदेव सिंह—से चली चार शाखाओं द्वारा किया जाता है।

एसआईए के हिस्से के रूप में परिवार स्तर के सर्वेक्षणों के माध्यम से चारों पारिवारिक शाखाओं के प्रतिनिधियों से परामर्श किया गया। परिवार की संरचना, शिक्षा, व्यवसाय, आजीविका और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों से संबंधित जानकारी एकत्र की गई। सर्वेक्षण उन व्यक्तियों की विशेषताओं को समझने का आधार प्रदान करता है जिनके संपत्ति हित प्रस्तावित अधिग्रहण से प्रभावित हैं।

सर्वेक्षण किए गए परिवार के सदस्य तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला के स्थानीय ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हैं। सर्वेक्षण में प्रतिनिधित्व करने वाले परिवारों में विभिन्न आयु समूहों और अलग-अलग शैक्षणिक एवं व्यावसायिक पृष्ठभूमि के सदस्य शामिल हैं। बताई गई आजीविकाओं में सरकारी एवं निजी रोजगार, स्वरोजगार, व्यवसाय तथा अन्य गैर-कृषि गतिविधियाँ शामिल हैं।

सर्वेक्षण की किसी भी पारिवारिक शाखा ने प्रस्तावित अधिग्रहण भूमि पर अपनी प्राथमिक आजीविका के वर्तमान स्रोत के रूप में निर्भरता की सूचना नहीं दी। भूमि वर्तमान में मौजूदा एचपीपीडबल्यूडी सड़क गलियारे के कब्जे में है और प्रभावित परिवार द्वारा इसका उपयोग

आवासीय उद्देश्य या किसी पहचानी गई कृषि अथवा अन्य आय-सृजन गतिविधि के लिए नहीं किया जा रहा है।

प्रस्तावित अधिग्रहण में किसी परिवार के पुनर्स्थापन या आवासीय संरचनाओं के विध्वंस की आवश्यकता नहीं है। आकलन के दौरान कोई किरायेदार या पट्टाधारी चिन्हित नहीं किया गया। सर्वेक्षण की गई प्रभावित पारिवारिक शाखाओं में कोई अनुसूचित जनजाति परिवार या पारंपरिक वनवासी चिन्हित नहीं किया गया और आकलन के लिए उपलब्ध जानकारी में प्रस्तावित अधिग्रहण भूमि पर किसी मान्यता प्राप्त वन अधिकार की पहचान नहीं हुई।

इसलिए जनसांख्यिकीय आकलन से संकेत मिलता है कि अधिग्रहण का प्रमुख प्रत्यक्ष प्रभाव प्रभावित परिवार के संपत्ति हितों पर है, न कि आवासीय बसावट या वर्तमान आजीविका गतिविधियों पर। हालांकि, प्रभावित कानूनी स्वामियों की संख्या की अंतिम निर्धारण से पहले प्रमाणित राजस्व अभिलेखों से पुष्टि की जानी चाहिए।

तालिका 5-1 प्रभावित परिवार की सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं का सारांश

संकेतक	एसआईए निष्कर्ष
प्रभावित भू-स्वामित्व	एक विस्तारित परिवार/पैतृक भू-स्वामित्व
परामर्श की गई पारिवारिक शाखाएँ	चार
आवासीय विस्थापन	कोई चिन्हित नहीं
अधिग्रहित भूमि पर आजीविका निर्भरता	कोई रिपोर्ट नहीं
किरायेदार/पट्टाधारी	कोई चिन्हित नहीं
अनुसूचित जनजाति परिवार	सर्वेक्षण की गई प्रभावित शाखाओं में कोई चिन्हित नहीं
पारंपरिक वनवासी/वन अधिकार	उपलब्ध जानकारी में कोई चिन्हित नहीं
अधिग्रहित भूमि से जुड़ी प्राथमिक आजीविका	कोई रिपोर्ट नहीं

5.2 पारिवारिक/रिश्तेदारी के स्वरूप

प्रभावित भू-स्वामित्व स्वर्गीय श्री दुर्गा सिंह के वंशजों से संबंधित है और पारिवारिक उत्तराधिकार के माध्यम से आगे आया है। परिवार का प्रतिनिधित्व उनके पुत्रों—स्वर्गीय श्री दलीप सिंह, स्वर्गीय श्री शंकर सिंह, श्री प्रेम सिंह और श्री बलदेव सिंह—से चली चार शाखाओं द्वारा किया जाता है।

समय के साथ परिवार अलग-अलग घरेलू इकाइयों में विकसित हुआ है, जबकि साझा पैतृक संपत्ति के माध्यम से पारिवारिक संबंध बने हुए हैं। ये संबंध आकलन के लिए प्रासंगिक हैं क्योंकि विरासत में मिली भूमि और मुआवजे से संबंधित निर्णयों में एक से अधिक पारिवारिक शाखाओं के सदस्य शामिल हो सकते हैं।

चारों शाखाओं के प्रतिनिधियों ने एसआईए परामर्श में भाग लिया। परामर्श से प्रभावित व्यक्तियों को प्रस्तावित अधिग्रहण, भूमि के वर्तमान उपयोग और मुआवजे से संबंधित विषयों पर चर्चा का अवसर मिला।

महिलाएँ भी प्रभावित परिवार की संरचना का हिस्सा हैं और घरेलू एवं पारिवारिक मामलों में भाग लेती हैं। जहाँ महिलाओं का प्रभावित संपत्ति में कानूनी रूप से मान्य स्वामित्व या उत्तराधिकार हित हो, वहाँ उनकी पात्रताएँ लागू राजस्व एवं उत्तराधिकार अभिलेखों से निर्धारित की जानी चाहिए। आकलन में केवल पारिवारिक संबंधों के आधार पर स्वामित्व या पात्रता नहीं मानी गई है; इन मामलों को संबंधित राजस्व एवं कानूनी अभिलेखों के माध्यम से स्थापित किया जाना चाहिए।

5.3 प्रशासनिक, संस्थागत, सांस्कृतिक एवं नागरिक समाज का संदर्भ

परियोजना क्षेत्र तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला में आता है और हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक एवं स्थानीय शासन व्यवस्थाओं के अधीन है। क्षेत्र में भूमि, सड़क, जलापूर्ति, ग्रामीण विकास और अन्य सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित विभिन्न सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक एजेंसियों की जिम्मेदारियाँ हैं।

राजस्व विभाग भूमि स्वामित्व और संबंधित अभिलेखों की पहचान एवं सत्यापन के लिए प्रासंगिक है। एचपीपीडबल्यूडी परियोजना क्षेत्र में मौजूदा सड़क गलियारे के लिए जिम्मेदार है, जबकि एसजेपीनल परियोजना से संबंधित जलापूर्ति अवसंरचना के कार्यान्वयन और संचालन के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। ग्राम पंचायत सहित स्थानीय शासन संस्थाओं और अन्य वैधानिक निकायों की भी स्थानीय प्रशासन एवं सामुदायिक स्तर के समन्वय में भूमिका है।

आसपास का ग्रामीण क्षेत्र परिवार नेटवर्क, स्थानीय संस्थाओं, सामुदायिक संपर्क तथा सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में भागीदारी पर आधारित स्थापित सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखता है। ये विशेषताएँ उस स्थानीय संदर्भ का हिस्सा हैं जिसमें भूमि से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं।

एसआईए के दौरान किए गए परामर्श में प्रभावित परिवार के प्रतिनिधि और प्रस्तावित अधिग्रहण से संबंधित अन्य हितधारक शामिल थे। परामर्श से संकेत मिला कि प्रभावित व्यक्ति

एलडबल्यूएसएस को पूरा करने के सार्वजनिक-सेवा उद्देश्य को समझते हैं और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के निर्धारण एवं भुगतान के अधीन अधिग्रहण प्रक्रिया में सहयोग करने की इच्छा व्यक्त करते हैं।

आकलन के दौरान परामर्श किए गए हितधारकों की ओर से कोई विशिष्ट आपत्ति दर्ज नहीं की गई। साथ ही, परामर्श के दौरान आपत्ति का अभाव किसी प्रभावित व्यक्ति के उपलब्ध किसी वैधानिक अधिकार, दावे या पात्रता का परित्याग नहीं माना जाना चाहिए। ऐसे किसी भी दावे का निपटारा लागू भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है।

मौजूदा प्रशासनिक एवं संस्थागत व्यवस्थाएँ अधिग्रहण और कार्यान्वयन के दौरान मांगकर्ता निकाय, भूमिधारियों, स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय का ढाँचा प्रदान करती हैं।

5.4 क्षेत्रीय गतिशीलता एवं ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएँ

परियोजना क्षेत्र तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला में एचपीपीडबल्यूडी मेहली-जुन्गा सड़क के साथ उप-मोहाल कवालाग में स्थित है। यह क्षेत्र शिमला के ग्रामीण पृष्ठभूमि क्षेत्र का हिस्सा है और शहर के विस्तार, सड़क संपर्क में सुधार, जनसंख्या एवं आर्थिक गतिविधि में वृद्धि तथा सार्वजनिक अवसंरचना की बढ़ती मांग से जुड़े परिवर्तनों का अनुभव कर चुका है।

समय के साथ शिमला के निर्मित क्षेत्र, जनसंख्या, पर्यटन गतिविधि और संबंधित सेवाओं के विस्तार ने मौजूदा शहरी अवसंरचना, विशेष रूप से पेयजल आपूर्ति प्रणाली, पर बढ़ता दबाव डाला है। इसलिए जलापूर्ति अवसंरचना का विकास एवं संवर्धन बसावट के स्वरूप और अवसंरचना आवश्यकताओं में व्यापक बदलावों के साथ हुआ है।

तत्काल परियोजना क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विशेषता मौजूदा एचपीपीडबल्यूडी मेहली-जुन्गा सड़क है। आकलन के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर सड़क लगभग पाँच दशकों से सार्वजनिक उपयोग में है, हालांकि सड़क का एक हिस्सा ऐसी निजी स्वामित्व वाली भूमि पर स्थित बताया गया है जिसे निर्माण के समय औपचारिक रूप से अधिग्रहित नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्रभावित भूमिधारी सार्वजनिक उपयोग में भूमि के लिए मुआवजे के मुद्दे को उठाते रहे हैं। प्रभावित हितों की सटीक स्वामित्व स्थिति और सीमा संबंधित राजस्व अभिलेखों से स्थापित की जानी चाहिए।

वर्तमान अधिग्रहण परियोजना “गिरी, चेयर, अश्वनी खड्ड, गुम्मा, चेरोट एवं सियोग कैचमेंट क्षेत्र में एलडबल्यूएसएस का संवर्धन (उप-कार्य: अश्वनी खड्ड से कवालाग प्रथम चरण तथा कवालाग से कसुम्पटी द्वितीय चरण तक राइजिंग मेन का प्रतिस्थापन)” के पूरा होने से भी जुड़ा है। परियोजना 2017 में शुरू हुई थी और प्रमुख घटक पूरे हो चुके हैं। कवालाग में शेष खंड के लिए संचरण पाइपलाइन को पूरा करने हेतु आवश्यक भूमि का अधिग्रहण आवश्यक है।

इस प्रकार वर्तमान अधिग्रहण को समय के साथ विकसित हुई दो प्रक्रियाओं के संदर्भ में देखा जाना चाहिए: शिमला की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप सार्वजनिक अवसंरचना का विस्तार तथा मौजूदा सड़क गलियारे से जुड़ा अनसुलझा निजी भूमि हित। शेष पाइपलाइन खंड को पूरा करना और संबंधित भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया का निपटारा वर्तमान परियोजना के दायरे में इन दोनों पहलुओं को संबोधित करता है।

क्षेत्रीय संदर्भ प्रस्तावित अधिग्रहण के परिणामस्वरूप परिवारों के भौतिक पुनर्स्थापन की किसी आवश्यकता का संकेत नहीं देता। प्रमुख सामाजिक विचार प्रभावित संपत्ति हित के हस्तांतरण तथा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मुआवजे और अन्य लागू पात्रताओं का निर्धारण सुनिश्चित करने से संबंधित है।

5.5 जीवन-पर्यावरण की गुणवत्ता

उप-मोहाल कवालाग का परियोजना क्षेत्र एचपीपीडबल्यूडी मेहली-जुंगगा सड़क के साथ स्थित है और इसकी विशेषताओं में स्थापित सड़क गलियारा, बिखरी हुई बसावट तथा मौजूदा सार्वजनिक उपयोगिता अवसंरचना शामिल हैं। आसपास के क्षेत्र में निकटवर्ती ग्रामीण बस्तियों और व्यापक शिमला क्षेत्र के माध्यम से सड़क संपर्क तथा बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच है।

प्रस्तावित अधिग्रहण में मौजूदा सड़क गलियारे के भीतर 0-04-50 हेक्टेयर भूमि शामिल है। प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में कोई आवासीय संरचना चिन्हित नहीं की गई है और अधिग्रहण के लिए परिवारों के पुनर्स्थापन की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तावित अधिग्रहण भूमि में कोई विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधा, धार्मिक संरचना, सामुदायिक भवन या अन्य चिन्हित सामुदायिक सुविधा स्थित नहीं है।

शेष पाइपलाइन खंड को पूरा करने के लिए मौजूदा सड़क गलियारे में निर्माण गतिविधियों की आवश्यकता होगी। इस अवधि में खुदाई, निर्माण वाहनों, उपकरणों की आवाजाही, धूल, शोर और अस्थायी यातायात प्रबंधन के कारण स्थानीय स्तर पर व्यवधान हो सकता है। ये प्रभाव निर्माण अवधि से जुड़े होने की अपेक्षा है और जीवन-पर्यावरण में स्थायी बदलाव का प्रतिनिधित्व नहीं करते। सड़क उपयोगकर्ताओं और आसपास के निवासियों को असुविधा सीमित करने के

लिए उचित यातायात प्रबंधन, कार्यस्थल सुरक्षा उपाय, धूल नियंत्रण तथा सड़क की सतह की समय पर पुनर्स्थापना लागू की जानी चाहिए।

पूर्ण पाइपलाइन से एलडब्ल्यूएसएस के संचालन में सहायता मिलने की अपेक्षा है क्योंकि यह मौजूदा राइजिंग-मेन व्यवस्था के शेष खंड को प्रतिस्थापित करेगी। परिणामस्वरूप जल संचरण प्रणाली में सुधार से योजना के अंतर्गत सेवा प्राप्त करने वाली आबादी के लिए अधिक विश्वसनीय सार्वजनिक जल सेवा में योगदान हो सकता है। जल आपूर्ति की विश्वसनीयता में किसी सुधार या संचरण हानि में कमी की सीमा का आकलन स्वीकृत तकनीकी डिजाइन और संचालन संबंधी अभिलेखों के आधार पर किया जाना चाहिए, केवल पाइपलाइन के प्रतिस्थापन के आधार पर इसे मान लेना उचित नहीं होगा।

एसआईए के निष्कर्षों के अनुसार प्रस्तावित अधिग्रहण से संबंधित प्रमुख स्थायी सामाजिक प्रभाव प्रभावित निजी संपत्ति हित का हस्तांतरण है। किसी भौतिक विस्थापन या आवासीय संरचना के प्रत्यक्ष नुकसान की पहचान नहीं की गई है। निर्माण-संबंधी प्रभाव अस्थायी हैं और उचित स्थल प्रबंधन तथा शमन उपायों के माध्यम से उनका समाधान किया जा सकता है।

तालिका 5-2 आकलन के माध्यम से पहचाने गए प्रमुख सामाजिक प्रभाव

प्रभाव श्रेणी	आकलन निष्कर्ष	प्रभाव की प्रकृति
भूमि एवं संपत्ति अधिकार	निजी संपत्ति हित अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित	प्रत्यक्ष एवं स्थायी
आवासीय विस्थापन	पुनर्स्थापन की आवश्यकता वाला कोई आवासीय ढाँचा या परिवार चिन्हित नहीं	कोई नहीं
आजीविका	प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र पर वर्तमान प्राथमिक आजीविका निर्भरता की सूचना नहीं	प्रत्यक्ष आजीविका हानि चिन्हित नहीं
किरायेदारी/कब्जा	कोई किरायेदार या पट्टाधारी चिन्हित नहीं	कोई नहीं
सामुदायिक परिसंपत्तियाँ	अधिग्रहण क्षेत्र में सामुदायिक सुविधा या साझा संपत्ति संसाधन नहीं	कोई चिन्हित नहीं
पहुंच एवं आवागमन	खुदाई और पाइपलाइन कार्यों के दौरान अस्थायी व्यवधान हो सकता है	अप्रत्यक्ष एवं अस्थायी

धूल एवं शोर	निर्माण के दौरान उत्पन्न हो अप्रत्यक्ष एवं अस्थायी सकते हैं
सार्वजनिक सुरक्षा	खुदाई एवं निर्माण यातायात से अप्रत्यक्ष एवं अस्थायी अस्थायी जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं
सार्वजनिक जल सेवा	पाइपलाइन का पूरा होना दीर्घकालिक संभावित लाभ एलडबल्यूएसएस के संचालन में सहायता करेगा

5.6 समग्र आकलन

सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक आकलन से संकेत मिलता है कि प्रस्तावित अधिग्रहण एकल पैतृक भू-स्वामित्व से जुड़े सीमित संख्या के व्यक्तियों को प्रभावित करता है। परिवार स्तर के परामर्श में चार पारिवारिक शाखाओं का प्रतिनिधित्व हुआ। आकलन में कोई आवासीय विस्थापन, किरायेदारी, सामुदायिक परिसंपत्ति की हानि या प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र पर वर्तमान आजीविका निर्भरता चिन्हित नहीं की गई।

प्रमुख स्थायी सामाजिक प्रभाव प्रभावित निजी संपत्ति हित का अधिग्रहण है। इसलिए यह प्रभाव भौतिक विस्थापन या आजीविका हानि की अनुपस्थिति से अलग है और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के अंतर्गत मुआवजे तथा अन्य लागू पात्रताओं के उचित निर्धारण की आवश्यकता रखता है।

निर्माण के दौरान विशेष रूप से मौजूदा सड़क गलियारे में यातायात आवागमन, खुदाई, धूल, शोर और सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित अस्थायी प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। इन्हें निर्माण की समय-सारणी, यातायात प्रबंधन, स्थल सुरक्षा व्यवस्था, धूल नियंत्रण और पुनर्स्थापना उपायों के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है।

इसलिए प्रस्तावित अधिग्रहण का आकलन प्रभावित विशिष्ट संपत्ति हितों, शेष कार्यों के सीमित भौतिक क्षेत्र, निर्माण-संबंधी व्यवधान की अस्थायी प्रकृति और एलडबल्यूएसएस को पूरा करने से अपेक्षित सार्वजनिक सेवा लाभ के आधार पर किया जाना चाहिए। स्वामित्व, प्रभावित व्यक्तियों, मुआवजे और वैधानिक पात्रताओं का अंतिम निर्धारण प्रमाणित भूमि एवं राजस्व अभिलेखों तथा लागू कानूनी प्रक्रिया के आधार पर किया जाना चाहिए।

6. सामाजिक प्रभाव

इस अध्याय में लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम (एलडबल्यूएसएस), शिमला के शेष खंड के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से जुड़े सामाजिक प्रभावों का आकलन किया गया है। इसमें प्रभावित निजी भूमि के अधिग्रहण के प्रत्यक्ष प्रभाव, पाइपलाइन कार्य पूरा करने के दौरान उत्पन्न होने वाले अस्थायी प्रभाव तथा जलापूर्ति अवसंरचना के पूरा होने से जुड़े अपेक्षित सामाजिक लाभों पर विचार किया गया है। आकलन सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) के हिस्से के रूप में किए गए परिवार सर्वेक्षण, क्षेत्रीय अवलोकनों, हितधारक परामर्श, परियोजना दस्तावेजों और भूमि संबंधी जानकारी पर आधारित है। प्रभावित परिवार द्वारा व्यक्त चिंताओं एवं विचारों, चिन्हित प्रभावों की प्रकृति एवं अवधि तथा प्रतिकूल प्रभावों के प्रबंधन के लिए आवश्यक उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

6.1 प्रभावों की पहचान का ढाँचा एवं दृष्टिकोण

सामाजिक प्रभावों का आकलन उप-मोहाल कवालाग, तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला में 0-04-50 हेक्टेयर निजी भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण के संदर्भ में किया गया है। आकलन में प्रस्तावित अधिग्रहण, भूमि के वर्तमान उपयोग एवं स्वामित्व, शेष निर्माण गतिविधियों तथा प्रभावित व्यक्तियों के हितों के बीच संबंध पर विचार किया गया है।

प्रभाव आकलन में परिवार सर्वेक्षण, क्षेत्रीय सत्यापन, प्रभावित व्यक्तियों के साथ परामर्श तथा उपलब्ध परियोजना एवं भूमि संबंधी अभिलेखों की समीक्षा से प्राप्त जानकारी का उपयोग किया गया है। इन स्रोतों के निष्कर्षों को साथ में देखते हुए प्रत्यक्ष एवं स्थायी प्रभावों तथा अस्थायी एवं निर्माण-संबंधी प्रभावों की पहचान की गई है।

आकलन में मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार किया गया:

- भूमि स्वामित्व और संपत्ति अधिकारों पर प्रभाव;
- आजीविका और आय पर प्रभाव;
- भौतिक विस्थापन और आवासीय संरचनाएँ;
- सामुदायिक परिसंपत्तियों और साझा संपत्ति संसाधनों पर प्रभाव;
- निर्माण के दौरान पहुंच और आवागमन पर अस्थायी प्रभाव;
- धूल, शोर और अन्य निर्माण-संबंधी व्यवधान;
- निर्माण श्रमिकों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जोखिम;
- निर्माण के दौरान अल्पकालिक रोजगार के अवसर; तथा
- एलडबल्यूएसएस के पूरा होने एवं संचालन से जुड़े संभावित सार्वजनिक लाभ।

प्रस्तावित अधिग्रहण ग्रीनफील्ड विकास वाली परियोजना से अलग है क्योंकि भूमि पहले से मौजूदा एचपीपीडब्ल्यूडी सड़क गलियारे के कब्जे में है और प्रस्तावित कार्य एक ऐसी अवसंरचना परियोजना के शेष खंड से संबंधित हैं जिसका अधिकांश भाग पूरा हो चुका है। इसलिए आकलन में निजी संपत्ति अधिकार पर स्थायी प्रभाव और शेष पाइपलाइन कार्यों के दौरान उत्पन्न होने वाले अस्थायी व्यवधान पर विशेष ध्यान दिया गया है।

आकलन के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में कोई आवासीय विस्थापन या प्रत्यक्ष आजीविका निर्भरता चिन्हित नहीं की गई है। इसलिए प्रमुख प्रत्यक्ष सामाजिक प्रभाव निजी संपत्ति हित के अधिग्रहण से संबंधित है। निर्माण-संबंधी प्रभाव अस्थायी होने की अपेक्षा है और उचित स्थल एवं यातायात प्रबंधन उपायों से उनका प्रबंधन किया जा सकता है।

6.2 परियोजना के विभिन्न चरणों में सामाजिक प्रभाव

चिन्हित सामाजिक प्रभावों पर तीन चरणों के अनुसार विचार किया गया है: भूमि अधिग्रहण/पूर्व-निर्माण चरण, निर्माण चरण और संचालन चरण। यह विभाजन अधिग्रहण से जुड़े स्थायी प्रभावों को अस्थायी निर्माण-संबंधी प्रभावों तथा परियोजना के पूरा होने से जुड़े दीर्घकालिक सेवा प्रभावों से अलग करने में सहायता करता है।

6.2.1 भूमि अधिग्रहण एवं पूर्व-निर्माण चरण

इस चरण का प्रमुख प्रभाव शेष पाइपलाइन खंड को पूरा करने के लिए आवश्यक 0-04-50 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण है। अधिग्रहण से प्रभावित संपत्ति हित में स्थायी परिवर्तन होता है और इसलिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार मुआवजे तथा अन्य लागू वैधानिक पात्रताओं का निर्धारण एवं भुगतान आवश्यक है।

प्रभावित भूमि कई दशकों से मौजूदा एचपीपीडब्ल्यूडी सड़क गलियारे के हिस्से के रूप में सार्वजनिक उपयोग में है। इसलिए वर्तमान अधिग्रहण लंबे समय से चले आ रहे संपत्ति एवं मुआवजे के मुद्दे से भी संबंधित है। आकलन से संकेत मिलता है कि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रभावित निजी संपत्ति हित को औपचारिक और पारदर्शी वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से संबोधित करने का अवसर प्रदान करती है।

मूल्यांकन, मुआवजे और भुगतान के समय को लेकर प्रभावित व्यक्तियों के बीच अनिश्चितता या चिंता की संभावना को भी स्वीकार किया गया है। इसलिए अधिग्रहण प्रक्रिया, मुआवजा निर्धारण और उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में स्पष्ट संचार महत्वपूर्ण है।

6.2.2 निर्माण चरण

शेष पाइपलाइन खंड को पूरा करने में मौजूदा सड़क गलियारे के भीतर खुदाई, पाइप बिछाना, जॉइन्टिंग, परीक्षण, वापिस भरना और पुनर्स्थापना शामिल होगी। इन गतिविधियों से सड़क उपयोगकर्ता और आसपास के क्षेत्र में रहने या गतिविधियाँ करने वाले व्यक्ति अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकते हैं।

निर्माण चरण के संभावित प्रभावों में शामिल हैं:

- यातायात आवागमन पर अस्थायी प्रतिबंध या परिवर्तन;
- खुदाई और निर्माण वाहनों की आवाजाही से धूल उत्पन्न होना;
- निर्माण शोर और कंपन;
- खुदाई और कार्यस्थल गतिविधियों से जुड़ी अस्थायी असुविधा;
- जहाँ लागू हो, आसपास की संपत्तियों तक पहुंच पर अल्पकालिक प्रतिबंध;
- खुली खुदाई और निर्माण यातायात से सार्वजनिक सुरक्षा जोखिम; तथा
- निर्माण श्रमिकों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जोखिम।

इन प्रभावों के अस्थायी और स्थानीय स्तर तक सीमित रहने की अपेक्षा है। उनका महत्व कार्य की अवधि एवं क्रम तथा स्थल प्रबंधन की प्रभावशीलता पर निर्भर करेगा। इसलिए यातायात नियंत्रण, उचित बैरिकेडिंग एवं संकेतक, धूल नियंत्रण, सुरक्षित कार्य पद्धतियाँ और सड़क की समय पर पुनर्स्थापना निर्माण प्रबंधन का हिस्सा होनी चाहिए।

निर्माण चरण कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए अल्पकालिक रोजगार के अवसर भी उत्पन्न कर सकता है। स्थानीय रोजगार की सीमा ठेकेदार की कार्यबल आवश्यकता और उपयुक्त स्थानीय श्रम की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

6.2.3 संचालन चरण

पूरा होने और कमीशनिंग के बाद संचरण पाइपलाइन का शेष खंड मौजूदा एलडब्ल्यूएसएस का हिस्सा बन जाएगा। प्रमुख अपेक्षित लाभ नियोजित अवसंरचना के पूरा होने के माध्यम से संचरण प्रणाली के बेहतर संचालन से संबंधित है।

शेष पुरानी पाइपलाइन के खंड के प्रतिस्थापन से जल संचरण प्रणाली के अधिक विश्वसनीय संचालन में सहायता मिलने और प्रतिस्थापित खंड से संबंधित रखरखाव की आवश्यकता कम होने की अपेक्षा है। संचरण हानि, रिसाव और सेवा विश्वसनीयता में सुधार की सीमा का आकलन कमीशनिंग के बाद संचालन संबंधी प्रदर्शन अभिलेखों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

व्यापक सेवा स्तर पर परियोजना के पूरा होने से एलडबल्यूएसएस से सेवा प्राप्त करने वाली आबादी को पेयजल की निरंतर उपलब्धता में सहायता मिलने की अपेक्षा है। विश्वसनीय जलापूर्ति घरेलू कल्याण, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक है; हालांकि, वर्तमान एसआईए इन दीर्घकालिक परिणामों का स्वतंत्र रूप से मात्रात्मक आकलन नहीं करता।

तालिका 6-1 परियोजना चरण के अनुसार सामाजिक प्रभाव एवं प्रबंधन उपाय

परियोजना चरण	संभावित प्रभाव	सामाजिक प्रभाव की प्रकृति	प्रबंधन उपाय
भूमि अधिग्रहण/पूर्व-निर्माण	0-04-50 निजी भूमि का अधिग्रहण	हेक्टेयर प्रत्यक्ष एवं स्थायी	लागू कानून के अनुसार अधिग्रहण पूरा करना तथा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मुआवजे और वैधानिक पात्रताओं का निर्धारण करना
भूमि अधिग्रहण/पूर्व-निर्माण	मूल्यांकन, और समय को लेकर अनिश्चितता	मुआवजे प्रत्यक्ष एवं अस्थायी	प्रभावित व्यक्तियों को स्पष्ट जानकारी देना और सुलभ शिकायत निवारण तंत्र बनाए रखना
भूमि अधिग्रहण/पूर्व-निर्माण	मौजूदा उपयोग से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे निजी भूमि हित का समाधान	सार्वजनिक प्रशासनिक/सामाजिक सकारात्मक प्रभाव	स्वामित्व और अधिग्रहण अभिलेखों का सत्यापन पूरा करना तथा मुआवजा पारदर्शी रूप से संसाधित करना
निर्माण	मौजूदा सड़क पर अस्थायी यातायात व्यवधान	अप्रत्यक्ष एवं अस्थायी	यातायात प्रबंधन, अग्रिम संकेतक, सुरक्षित डायवर्जन और समय पर पुनर्स्थापना
निर्माण	खुदाई एवं निर्माण यातायात से धूल	अप्रत्यक्ष एवं अस्थायी	जल छिड़काव/धूल नियंत्रण और उचित स्थल प्रबंधन
निर्माण	निर्माण गतिविधियों से शोर एवं कंपन	अप्रत्यक्ष एवं अस्थायी	उपकरणों का रखरखाव, जहाँ संभव हो कार्य घंटों का नियमन और

			अच्छी निर्माण पद्धतियों का पालन
निर्माण	कार्य के लिए आवश्यक होने पर पहुंच पर अस्थायी प्रतिबंध	अप्रत्यक्ष एवं अस्थायी	आसपास की संपत्तियों तक सुरक्षित पहुंच बनाए रखना और प्रभावित उपयोगकर्ताओं के साथ कार्य क्रम का समन्वय
निर्माण	खुदाई एवं निर्माण यातायात से सार्वजनिक सुरक्षा जोखिम	अप्रत्यक्ष एवं अस्थायी	बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेत, आवश्यकता अनुसार प्रकाश व्यवस्था और कार्य क्षेत्रों तक नियंत्रित पहुंच
निर्माण	व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जोखिम	प्रत्यक्ष एवं अस्थायी	पी पी ई , श्रमिक प्रशिक्षण, प्राथमिक उपचार व्यवस्था और लागू सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन
निर्माण	अल्पकालिक रोजगार अवसर	सकारात्मक एवं अस्थायी	उपयुक्त और उपलब्ध होने पर स्थानीय श्रम को नियोजित किया जा सकता है
संचालन	एलडबल्यूएसएस संचरण प्रणाली का बेहतर संचालन	सकारात्मक दीर्घकालिक	एवं जिम्मेदार एजेंसी द्वारा नियमित संचालन, निरीक्षण और रखरखाव
संचालन	प्रतिस्थापित खंड में विफलताओं एवं रखरखाव की आवश्यकता में संभावित कमी	सकारात्मक दीर्घकालिक	एवं निवारक रखरखाव और पाइपलाइन प्रदर्शन की आवधिक निगरानी
संचालन	पेयजल संचरण की बेहतर विश्वसनीयता	सकारात्मक दीर्घकालिक	एवं प्रणाली के प्रदर्शन की निगरानी और समय पर रखरखाव

संचालन	नियोजित सार्वजनिक सकारात्मक जल अवसंरचना का दीर्घकालिक पूरा होना	एवं पूर्ण खंड को एलडबल्यूएसएस के नियमित संचालन एवं रखरखाव में सम्मिलित करना
--------	---	---

6.3 पीएपीएस द्वारा अनुभव किए गए/व्यक्त सामाजिक प्रभाव

प्रभावित भू-स्वामित्व से संबंधित परिवार की चारों शाखाओं के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श और परिवार सर्वेक्षण किए गए। पीएपीएस ने प्रस्तावित अधिग्रहण की अपनी समझ, अपनी चिंताओं और एलडबल्यूएसएस को पूरा करने के संबंध में अपने विचारों की जानकारी दी।

पीएपीएस ने परियोजना के सार्वजनिक-सेवा उद्देश्य को स्वीकार किया और बताया कि वे जानते हैं कि प्रस्तावित अधिग्रहण संचरण पाइपलाइन के शेष खंड से संबंधित है। उन्होंने मौजूदा एचपीपीडबल्यूडी सड़क गलियारे के हिस्से के रूप में भूमि के लंबे समय से चले आ रहे सार्वजनिक उपयोग का भी उल्लेख किया।

परामर्श के दौरान उठाई गई प्रमुख चिंता प्रभावित भूमि के मुआवजे से संबंधित थी। प्रभावित परिवार ने बताया कि भूमि कई दशकों से औपचारिक अधिग्रहण के बिना सार्वजनिक उपयोग में रही है और वर्तमान प्रक्रिया में वैध एवं पारदर्शी मुआवजा निर्धारण के माध्यम से लंबित संपत्ति हित को संबोधित किया जाना चाहिए।

परामर्श किए गए प्रतिनिधियों ने अपने आवासों के विस्थापन या प्रस्तावित अधिग्रहण भूमि पर आधारित आजीविका के नुकसान से संबंधित चिंता की सूचना नहीं दी। उन्होंने यह भी बताया कि यातायात व्यवधान, खुदाई, धूल और शोर जैसे अस्थायी निर्माण प्रभावों को कार्यान्वयन के दौरान उचित उपाय अपनाकर प्रबंधित किया जा सकता है।

इसलिए परामर्श निष्कर्ष बताते हैं कि प्रभावित व्यक्तियों की प्रमुख चिंता निजी संपत्ति हित के अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित है। उनके विचार जलापूर्ति अवसंरचना को पूरा करने के सार्वजनिक उद्देश्य की समझ भी दर्शाते हैं, बशर्ते उचित व्यवहार और लागू अधिग्रहण एवं मुआवजा प्रक्रिया का अनुपालन किया जाए।

6.4 पीएपीएस /पीएफएस में परियोजना एवं भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के संबंध में जागरूकता

परिवार परामर्श से संकेत मिला कि पीएपीएस /पीएफएस प्रस्तावित अधिग्रहण और उसके निर्धारित उद्देश्य से अवगत थे। उत्तरदाताओं ने बताया कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान संबंधित विभाग से उन्हें जानकारी प्राप्त हुई थी और वे जानते थे कि अधिग्रहण एलडब्ल्यूएसएस संचरण पाइपलाइन के शेष खंड को पूरा करने से संबंधित है।

प्रभावित व्यक्तियों को यह भी जानकारी थी कि भूमि वर्तमान में मौजूदा एचपीपीडब्ल्यूडी सड़क गलियारे के हिस्से के रूप में सार्वजनिक उपयोग में है और प्रस्तावित अधिग्रहण इस गलियारे से संबंधित लंबित निजी भूमि हित को संबोधित करेगा।

परामर्श से लागू भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के अंतर्गत मुआवजे की आवश्यकता के संबंध में भी जागरूकता का संकेत मिला। प्रभावित व्यक्तियों ने अपेक्षा व्यक्त की कि मूल्यांकन और मुआवजा पारदर्शी रूप से निर्धारित किया जाएगा तथा पात्र भुगतान एवं अन्य वैधानिक पात्रताओं को लागू प्रावधानों के अनुसार संसाधित किया जाएगा।

इसलिए एसआईए परामर्श किए गए व्यक्तियों में परियोजना और प्रस्तावित अधिग्रहण के उद्देश्य के संबंध में जागरूकता दर्ज करता है। व्यक्तिगत प्रभावित व्यक्तियों की सटीक कानूनी पात्रताएँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वामित्व और अन्य संबंधित अभिलेखों के सत्यापन के अधीन रहेंगी।

6.5 पीएपीएस के विचार एवं सहमति/सहयोग की इच्छा

प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में चारों पारिवारिक शाखाओं के प्रतिनिधियों से परामर्श किया गया। परामर्श के दौरान प्रभावित व्यक्तियों ने अधिग्रहण प्रक्रिया में सहयोग करने की अपनी इच्छा व्यक्त की।

प्रभावित व्यक्तियों ने अधिग्रहण प्रक्रिया में सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की और जलापूर्ति परियोजना को पूरा किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं उठाई।

उनकी सहयोग की इच्छा इस संदर्भ में व्यक्त की गई कि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उन्हें मुआवजा और अन्य लागू वैधानिक पात्रताएँ प्राप्त हों। उत्तरदाताओं ने पारदर्शी मूल्यांकन, उचित मुआवजा और भुगतान की समयबद्ध प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया।

परामर्श के निष्कर्षों को एसआईए प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा व्यक्त विचारों के रूप में समझा जाना चाहिए। ये विचार अपने आप में व्यक्तिगत स्वामित्व हितों की कानूनी स्थिति या किसी वैधानिक सहमति की आवश्यकता निर्धारित नहीं करते। ये विषय उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 तथा सक्षम प्राधिकारी के निर्धारण के अधीन हैं। फिर भी परामर्श प्रक्रिया प्रभावित परिवार की स्थिति का संकेत देती है और कार्यान्वयन के दौरान मुआवजे तथा संपत्ति हित के समयबद्ध निपटान को प्रमुख ध्यान योग्य विषय के रूप में सामने लाती है।

6.6 मुआवजा संबंधी प्राथमिकताएँ

परिवार सर्वेक्षण और परामर्श के दौरान प्रभावित व्यक्तियों ने अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि के बदले मौद्रिक मुआवजे को प्राथमिकता दी। उन्होंने बताया कि मुआवजा लागू वैधानिक प्रावधानों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए और इसमें वे सभी लाभ एवं पात्रताएँ शामिल होनी चाहिए जिनके लिए वे कानूनी रूप से पात्र हैं।

प्रभावित व्यक्तियों ने मौजूदा एचपीपीडबल्यूडी सड़क के हिस्से के रूप में भूमि के लंबे समय से चले आ रहे सार्वजनिक उपयोग का भी उल्लेख किया और अपेक्षा व्यक्त की कि वर्तमान अधिग्रहण प्रक्रिया इससे संबंधित लंबित मुआवजा मुद्दे का समाधान करेगी।

परामर्श के दौरान भूमि के बदले भूमि या पुनर्स्थापन की कोई प्राथमिकता व्यक्त नहीं की गई। यह इस आकलन के अनुरूप है कि प्रस्तावित अधिग्रहण में आवासीय विस्थापन शामिल नहीं है और सर्वेक्षण की गई पारिवारिक शाखाओं ने प्रभावित भूमि पर वर्तमान आजीविका निर्भरता की सूचना नहीं दी।

भूमि का मूल्यांकन और मुआवजे का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013, हिमाचल प्रदेश द्वारा बनाए गए संबंधित नियमों तथा अन्य लागू सरकारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। एसआईए प्रभावित भूमि का मौद्रिक मूल्य या व्यक्तिगत मुआवजा पात्रता निर्धारित नहीं करता।

इसलिए प्रभावित व्यक्तियों द्वारा व्यक्त प्रमुख प्राथमिकता उचित, पारदर्शी और समयबद्ध मौद्रिक मुआवजे के साथ सभी लागू वैधानिक पात्रताओं की है।

6.7 सामाजिक प्रभावों का समग्र आकलन

आकलन में प्रस्तावित परियोजना का प्रमुख स्थायी सामाजिक प्रभाव निजी संपत्ति का अधिग्रहण पाया गया है। परिवार सर्वेक्षण और परामर्श के माध्यम से प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में किसी आवासीय विस्थापन, आवास की हानि या प्रत्यक्ष आजीविका निर्भरता की पहचान नहीं हुई।

शेष पाइपलाइन खंड के निर्माण से यातायात प्रतिबंध, खुदाई, धूल, शोर और निर्माण गतिविधियों के कारण सड़क उपयोगकर्ताओं तथा आसपास के निवासियों को अस्थायी व्यवधान हो सकता है। ये प्रभाव स्थानीय और अस्थायी हैं तथा उचित यातायात प्रबंधन, कार्यस्थल सुरक्षा, धूल नियंत्रण, नियंत्रित निर्माण पद्धतियों और प्रभावित सतहों एवं पहुंच की समय पर पुनर्स्थापना से कम किए जा सकते हैं।

परियोजना से नियोजित जल संचरण अवसंरचना के पूरा होने से दीर्घकालिक सामाजिक लाभ की भी संभावना है। इनमें एलडबल्यूएसएस के बेहतर संचालन और प्रणाली से सेवा प्राप्त करने वाली आबादी के लिए अधिक विश्वसनीय पेयजल संचरण में सहायता शामिल है। इन लाभों की वास्तविक मात्रा पूर्ण अवसंरचना के संचालन प्रदर्शन पर निर्भर करेगी।

परामर्श निष्कर्ष बताते हैं कि प्रभावित परिवार प्रस्तावित अधिग्रहण से अवगत हैं और उसने सहयोग की इच्छा व्यक्त की है, जबकि उचित मुआवजे और प्रभावित संपत्ति हित के समयबद्ध निपटान पर विशेष जोर दिया गया है। पीएपीएस द्वारा मुआवजे और समयबद्ध निपटान से संबंधित व्यक्त की गई चिंताओं को भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के पारदर्शी कार्यान्वयन तथा आरएफसीटीएलएआरआर एक्ट, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार लागू वैधानिक पात्रताएँ प्रदान करके संबोधित किया जाना चाहिए।

समग्र रूप से एसआईए के माध्यम से चिन्हित सामाजिक प्रभाव प्रभावित निजी भूमि के स्थायी अधिग्रहण और शेष कार्यों को पूरा करने से जुड़े अस्थायी व्यवधान के आसपास केंद्रित हैं। उचित शमन तथा लागू अधिग्रहण एवं मुआवजा ढाँचे के अनुपालन से चिन्हित प्रतिकूल प्रभावों का कार्यान्वयन के दौरान प्रबंधन किया जा सकता है।

7. लागत एवं लाभ का विश्लेषण तथा अधिग्रहण संबंधी सिफारिशें

यह अध्याय सामाजिक प्रभाव आकलन के प्रमुख निष्कर्षों को एक साथ प्रस्तुत करता है ताकि सार्वजनिक उद्देश्य, भूमि आवश्यकता, विचार किए गए विकल्पों, सामाजिक प्रभावों की प्रकृति एवं तीव्रता तथा प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए प्रस्तावित उपायों की व्यवहार्यता का आकलन किया जा सके। आकलन में प्रभावित निजी भूमि के अधिग्रहण के स्थायी प्रभाव तथा शेष पाइपलाइन कार्यों को पूरा करने से जुड़े अस्थायी प्रभावों दोनों पर विचार किया गया है। साथ ही एलडबल्यूएसएस, शिमला को पूरा करने से अपेक्षित सार्वजनिक लाभों पर भी विचार किया गया है। इस अध्याय में प्रस्तुत निष्कर्ष एसआईए के अंतर्गत समीक्षा किए गए परियोजना एवं भूमि अभिलेखों, क्षेत्रीय अवलोकनों, परिवार सर्वेक्षणों और परामर्शों पर आधारित हैं।

7.1 सार्वजनिक उद्देश्य का आकलन

उप-मोहाल कवालाग में 0-04-50 हेक्टेयर निजी भूमि का प्रस्तावित अधिग्रहण एलडबल्यूएसएस, शिमला के अंतर्गत संचरण पाइपलाइन के शेष खंड को पूरा करने से संबंधित है। बड़े प्रोजेक्ट का शीर्षक गिरी, चेयर, अश्वनी खड्ड, गुम्मा, चरोट एवं सियोग जलग्रहण क्षेत्र में LWSS का संवर्धन।

उप-कार्य: अश्वनी खड्ड से कवालग प्रथम चरण तथा कवालग से कसुम्पटी द्वितीय चरण तक राइजिंग मेन (मुख्य जल उठान पाइपलाइन) का प्रतिस्थापन।

है। यह परियोजना 2017 में शुरू हुई और इसका अधिकांश भाग कार्यान्वित किया जा चुका है।

संचरण प्रणाली के शेष खंड को पूरा करने के लिए प्रस्तावित अधिग्रहण आवश्यक है। यह परियोजना शिमला में पेयजल अवसंरचना से संबंधित है और इसलिए आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिता के प्रावधान एवं सुधार से जुड़ी है।

आकलन में पहचाने गए प्रमुख सार्वजनिक लाभ निम्नलिखित हैं:

7.1.1 पेयजल अवसंरचना का पूरा होना

अधिग्रहण से राइजिंग मेन के शेष खंड को पूरा करने और उसे परियोजना के अंतर्गत पहले से निर्मित संचरण अवसंरचना से जोड़ने में सुविधा होगी। नियोजित अवसंरचना के पूरा होने से मौजूदा व्यवस्था के शेष खंड को बदला जा सकेगा और उन्नत संचरण प्रणाली को पूर्ण परिचालन उपयोग में लाया जा सकेगा।

7.1.2 जल संचरण में सुधार

प्रस्तावित पाइपलाइन प्रतिस्थापन से प्रणाली के माध्यम से अधिक विश्वसनीय और कुशल जल संचरण में सहायता मिलने की अपेक्षा है। रिसाव, संचरण हानि, पाइपलाइन विफलताओं या रखरखाव आवश्यकताओं में कमी की सीमा पूर्ण प्रणाली के परिचालन प्रदर्शन पर निर्भर करेगी और इसका आकलन जिम्मेदार एजेंसी द्वारा रखे गए अभिलेखों के माध्यम से किया जाना चाहिए।

7.1.3 सार्वजनिक सेवा एवं सामाजिक हित

एलडब्ल्यूएसएस शिमला और आसपास के क्षेत्रों की जलापूर्ति अवसंरचना का हिस्सा है। इसलिए शेष संचरण खंड के पूरा होने से योजना के माध्यम से सेवा प्राप्त करने वाली आबादी को पेयजल सेवाओं की निरंतर उपलब्धता में सहायता मिलने की अपेक्षा है। विश्वसनीय जलापूर्ति का घरेलू कल्याण, स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यापक प्रभाव है।

7.1.4 मौजूदा सार्वजनिक निवेश का उपयोग

प्रस्तावित अधिग्रहण ऐसी परियोजना को पूरा करने में सहायता करेगा जिसमें कई वर्षों के दौरान पर्याप्त सार्वजनिक निवेश और कार्यान्वयन हो चुका है। शेष खंड को पूरा करने से मौजूदा अवसंरचना का निर्धारित उद्देश्य के अनुसार उपयोग हो सकेगा, बजाय इसके कि पुरानी पाइपलाइन वाली अस्थायी व्यवस्था जारी रहे।

7.1.5 मौजूदा भूमि मुद्दे का समाधान

प्रस्तावित अधिग्रहण मौजूदा एचपीपीडब्ल्यूडी सड़क गलियारे से जुड़े निजी भूमि हित को भी संबोधित करता है। आकलन के लिए उपलब्ध जानकारी के आधार पर सड़क लगभग पाँच दशकों से सार्वजनिक उपयोग में है, जबकि प्रभावित निजी भूमि का औपचारिक अधिग्रहण नहीं हुआ था। वर्तमान अधिग्रहण प्रक्रिया निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से प्रभावित संपत्ति हितों और मुआवजे का निर्धारण करने का अवसर प्रदान करती है।

आकलन

एसआईए के निष्कर्ष बताते हैं कि प्रस्तावित अधिग्रहण मौजूदा सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति परियोजना को पूरा करने से सीधे जुड़ा है और केवल पाइपलाइन के शेष खंड के लिए आवश्यक भूमि तक सीमित है; इसका वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास से कोई संबंध नहीं है।

प्रस्तावित अधिग्रहण सार्वजनिक उद्देश्य की वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं, इसका अंतिम निर्धारण आरएफसीटीएलएआरआर एक्ट , 2013 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। सामाजिक आकलन के दृष्टिकोण से प्रस्तावित अधिग्रहण आवश्यक सार्वजनिक पेयजल अवसंरचना को पूरा करने से सीधे जुड़ा है। सीमित भूमि आवश्यकता, चिन्हित आवासीय विस्थापन या प्रत्यक्ष आजीविका निर्भरता का अभाव तथा मौजूदा सार्वजनिक सड़क से जुड़ा लंबे समय से चला आ रहा निजी भूमि हित प्रस्तावित अधिग्रहण पर विचार के लिए सामाजिक आधार प्रदान करते हैं, बशर्ते मुआवजे और अन्य वैधानिक पात्रताओं का निर्धारण लागू कानूनी प्रक्रिया के अनुसार किया जाए।

7.2 कम-विस्थापन वाले विकल्प एवं न्यूनतम भूमि आवश्यकता

आकलन में आवश्यक भूमि की सीमा, संचरण पाइपलाइन के मौजूदा संरेखण, परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति तथा ऐसे वैकल्पिक प्रबंधों की संभावना पर विचार किया गया है जो अधिग्रहण की आवश्यकता को कम कर सकते हों।

प्रस्तावित अधिग्रहण उप-मोहाल कवालाग में 0-04-50 हेक्टेयर तक सीमित है। शेष पाइपलाइन खंड मौजूदा एचपीपीडबल्यूडी मेहली -जुन्गा रोड़ गलियारे से संबंधित है। स्थापित सड़क गलियारे के उपयोग से अलग पाइपलाइन गलियारा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की जरूरत कम होती है।

बड़ी परियोजना 2017 में शुरू हुई और इसका अधिकांश भाग पहले ही पूरा हो चुका है। इसलिए शेष खंड वर्तमान चरण में प्रस्तावित नया संरेखण नहीं, बल्कि मौजूदा परियोजना संरेखण का हिस्सा है। वर्तमान अस्थायी व्यवस्था नव-निर्मित संचरण मेन को पुरानी पाइपलाइन से जोड़ती है, जब तक शेष खंड पूरा नहीं हो जाता।

इस चरण में संरेखण में कोई भी परिवर्तन पूर्ण हो चुके संचरण सिस्टम, तकनीकी आवश्यकताओं, अतिरिक्त भूमि आवश्यकता, निर्माण प्रभाव, वैधानिक अनुमोदनों और संबंधित लागतों के संदर्भ में आकलित करना होगा। एसआईए टीम के लिए उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसा कोई वैकल्पिक संरेखण चिन्हित नहीं किया गया है जो मौजूदा परियोजना डिजाइन और अवसंरचना में परिवर्तन किए बिना प्रस्तावित अधिग्रहण से स्पष्ट रूप से बच सके।

आकलन में यह भी पाया गया कि प्रस्तावित अधिग्रहण में आवासीय संरचनाओं का विस्थापन या परिवारों का पुनर्स्थापन आवश्यक नहीं है। अधिग्रहण क्षेत्र में कोई सामुदायिक सुविधा या साझा संपत्ति संसाधन चिन्हित नहीं किया गया है।

क्या प्रस्तावित भूमि परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि है, यह अंततः अनुमोदित इंजीनियरिंग ड्राइंग, भूमि अनुसूची और अन्य परियोजना अभिलेखों के संदर्भ में स्थापित किया जाना चाहिए। एसआईए के लिए समीक्षा की गई जानकारी के आधार पर प्रस्तावित अधिग्रहण परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक शेष खंड तक सीमित है।

7.3 सामाजिक प्रभावों की प्रकृति एवं तीव्रता

आकलन के माध्यम से चिन्हित सामाजिक प्रभाव अवधि और महत्व के अनुसार अलग-अलग हैं। स्थायी प्रभाव मुख्य रूप से निजी संपत्ति अधिकारों के अधिग्रहण से संबंधित है, जबकि अधिकांश अन्य प्रतिकूल प्रभाव निर्माण अवधि से जुड़े हैं।

प्रमुख चिन्हित प्रभाव निम्नलिखित हैं:

तालिका 7-1 पहचानी गई सामाजिक प्रभावों की प्रकृति और तीव्रता

क्र.सं.	चिन्हित प्रभाव	परियोजना चरण	प्रकृति	अवधि
1	निजी भूमि का अधिग्रहण और संबंधित मुआवजा	भूमि अधिग्रहण	प्रत्यक्ष स्थायी	एवं दीर्घकालिक
2	अधिग्रहण, मूल्यांकन और मुआवजे को लेकर अनिश्चितता	भूमि अधिग्रहण	प्रत्यक्ष	अस्थायी
3	खुदाई एवं पाइप बिछाने के दौरान अस्थायी यातायात व्यवधान और असुविधा	निर्माण	अप्रत्यक्ष अस्थायी	एवं अल्पकालिक
4	धूल, शोर और निर्माण-संबंधी व्यवधान	निर्माण	अप्रत्यक्ष अस्थायी	एवं अल्पकालिक
5	खुदाई एवं निर्माण यातायात से संबंधित अस्थायी सार्वजनिक सुरक्षा जोखिम	निर्माण	अप्रत्यक्ष अस्थायी	एवं अल्पकालिक
6	निर्माण के दौरान अल्पकालिक रोजगार के अवसर	निर्माण	सकारात्मक अस्थायी	एवं अल्पकालिक
7	शेष संचरण अवसंरचना का पूरा होना	संचालन	सकारात्मक	दीर्घकालिक

8	जल संचरण की संचालन विश्वसनीयता और दक्षता में संभावित सुधार	सकारात्मक	दीर्घकालिक
9	अधिग्रहण एवं मुआवजा भूमि प्रक्रिया के माध्यम से अधिग्रहण/कार्यान्वयन लंबित निजी भूमि हित का समाधान	प्रभावित भू-स्वामियों के लिए सकारात्मक प्रशासनिक प्रभाव	दीर्घकालिक

7.3.1 स्थायी सामाजिक प्रभाव

प्रमुख स्थायी सामाजिक प्रभाव अधिग्रहण के माध्यम से प्रभावित निजी संपत्ति हित का हस्तांतरण है। यह प्रभाव भौतिक विस्थापन या आजीविका हानि से अलग है। आकलन में प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में आवासीय संरचनाएँ या वर्तमान प्राथमिक आजीविका गतिविधियाँ निर्भर पाई नहीं गई हैं।

इसलिए प्रभावित संपत्ति हित पर स्थायी प्रभाव से निपटने के लिए मुआवजा और अन्य लागू वैधानिक पात्रताएँ प्रमुख उपाय हैं।

7.3.2 अस्थायी निर्माण प्रभाव

मौजूदा सड़क गलियारे के भीतर खुदाई और पाइपलाइन स्थापना से यातायात आवागमन अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है तथा धूल, शोर, कंपन और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इन प्रभावों के निर्माण अवधि तक सीमित रहने की अपेक्षा है और उचित यातायात प्रबंधन, कार्यस्थल नियंत्रण तथा समय पर पुनर्स्थापना के माध्यम से इन्हें कम किया जा सकता है।

7.3.3 दीर्घकालिक सार्वजनिक लाभ

शेष पाइपलाइन खंड के पूरा होने से एलडब्ल्यूएसएस के संचालन और प्रणाली से सेवा प्राप्त करने वाली आबादी तक जल संचरण की विश्वसनीयता में सहायता मिलने की अपेक्षा है। ये लाभ दीर्घकालिक प्रकृति के हैं और परियोजना के निर्धारित सेवा उद्देश्य से संबंधित हैं।

एसआईए जल उपलब्धता, संचरण हानि या सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार की सीमा का स्वतंत्र रूप से मात्रात्मक आकलन नहीं करता। ऐसे प्रभावों का आकलन कार्य पूरा होने के बाद तकनीकी और परिचालन निगरानी के माध्यम से किया जाना चाहिए।

आकलन

चिन्हित प्रतिकूल सामाजिक प्रभाव प्रभावित संपत्ति के स्थायी अधिग्रहण और अस्थायी निर्माण व्यवधान के आसपास केंद्रित हैं। आकलन में भौतिक विस्थापन, आवासीय हानि या अधिग्रहित भूमि पर प्रत्यक्ष आजीविका निर्भरता की पहचान नहीं हुई। अपेक्षित सार्वजनिक लाभ मुख्य रूप से पेयजल अवसंरचना के पूरा होने और संचालन से संबंधित हैं।

इन प्रभावों के महत्व पर उनकी प्रकृति, अवधि, प्रभावित व्यक्तियों की संख्या एवं विशेषताओं तथा उन्हें टालने या कम करने की सीमा के संदर्भ में विचार किया गया है।

इस आधार पर प्रमुख स्थायी प्रभाव प्रभावित निजी संपत्ति हित का अधिग्रहण है, जबकि अन्य चिन्हित प्रतिकूल प्रभाव मुख्यतः अस्थायी हैं और निर्माण गतिविधियों से जुड़े हैं। अपेक्षित दीर्घकालिक लाभ नियोजित पेयजल संचरण अवसंरचना का पूरा होना है।

7.4 प्रस्तावित शमन उपायों की व्यवहार्यता

एसआईए के माध्यम से चिन्हित शमन उपाय शेष कार्यों की प्रकृति और पैमाने के लिए सामान्यतः व्यावहारिक हैं। इनमें वैधानिक अधिग्रहण प्रक्रियाएँ, मुआवजा, निर्माण प्रबंधन, सार्वजनिक सुरक्षा उपाय तथा हितधारक संचार का संयोजन शामिल है।

7.4.1 भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा

अधिग्रहण प्रक्रिया आरएफसीटीएलएआरआर एक्ट , 2013, उसके अंतर्गत बनाए गए हिमाचल प्रदेश के नियमों तथा अन्य लागू सरकारी निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार पूरी की जानी चाहिए।

प्रभावित व्यक्तियों को अधिग्रहण प्रक्रिया, मूल्यांकन, मुआवजे और उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र के संबंध में जानकारी दी जानी चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार मुआवजा एवं अन्य वैधानिक पात्रताओं को संसाधित किया जाना चाहिए।

7.4.2 यातायात एवं पहुंच प्रबंधन

चूंकि शेष कार्य मौजूदा एचपीपीडबल्यूडी मेहली -जुन्गा रोड़ गलियारे से जुड़े हैं, इसलिए निर्माण गतिविधियों की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि वाहनों और पैदल यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही बनी रहे।

- उचित यातायात नियंत्रण और चेतावनी संकेत;
- खुदाई वाले क्षेत्रों के चारों ओर बैरिकेडिंग;
- जहाँ आवश्यक हो सुरक्षित अस्थायी डायवर्जन;
- जहाँ व्यावहारिक हो आसपास की संपत्तियों तक पहुंच बनाए रखना; तथा

- पाइपलाइन स्थापना पूरी होने के बाद सड़क सतह की शीघ्र पुनर्स्थापना।

7.4.3 धूल, शोर एवं निर्माण प्रबंधन

निर्माण-संबंधी धूल और शोर का प्रबंधन मानक स्थल-प्रबंधन पद्धतियों के माध्यम से किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं:

- जल छिड़काव या अन्य उपयुक्त धूल-नियंत्रण उपाय;
- खुदाई से निकली मिट्टी और निर्माण सामग्री का उचित प्रबंधन एवं ढककर परिवहन;
- निर्माण मशीनरी का नियमित रखरखाव;
- कार्य घंटों का उचित नियंत्रण; तथा
- निर्माण मलबे को समय पर हटाना और कार्य क्षेत्र की पुनर्स्थापना।

7.4.4 सार्वजनिक एवं व्यावसायिक सुरक्षा

खुली खुदाई और निर्माण यातायात से अस्थायी सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए ठेकेदार को स्थल की परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त बैरिकेडिंग, चेतावनी संकेत, आवश्यकता होने पर प्रकाश व्यवस्था, कार्य क्षेत्रों तक नियंत्रित पहुंच तथा अन्य आवश्यक उपाय उपलब्ध कराने चाहिए।

निर्माण श्रमिकों को लागू आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पी पी ई), सुरक्षा प्रशिक्षण, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था और सुरक्षित कार्य परिस्थितियाँ प्रदान की जानी चाहिए।

7.4.5 उपयोगिताओं की सुरक्षा

खुदाई से पहले कार्य गलियारे के भीतर या उसके निकट मौजूद उपयोगिताओं की पहचान की जानी चाहिए। जलापूर्ति, बिजली, दूरसंचार या अन्य सार्वजनिक सेवाओं को नुकसान अथवा अनावश्यक व्यवधान से बचने के लिए उचित सावधानियाँ अपनाई जानी चाहिए।

7.4.6 हितधारक संचार एवं शिकायत निवारण

कार्यान्वयन के दौरान प्रभावित भू-स्वामियों और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ संवाद जारी रहना चाहिए। निर्माण कार्यक्रम, अस्थायी पहुंच व्यवस्था तथा अधिग्रहण/मुआवजा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

एक कार्यशील शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध होना चाहिए ताकि चिंताओं को दर्ज, समीक्षा और उचित प्राधिकारी के माध्यम से संबोधित किया जा सके।

शमन उपायों की व्यवहार्यता का आकलन

प्रस्तावित उपाय चिन्हित प्रभावों के पैमाने और प्रकृति के अनुरूप हैं तथा इन्हें शेष निर्माण एवं अधिग्रहण गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है। उनकी प्रभावशीलता समय पर कार्यान्वयन, मांग करने वाली संस्था, ठेकेदार और संबंधित विभागों के बीच समन्वय तथा निर्माण अवधि के दौरान निगरानी पर निर्भर करेगी। इसलिए इन उपायों को अगले अध्याय में प्रस्तुत सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना में शामिल किया जाना चाहिए।

7.5 समग्र आकलन एवं सिफारिशें

एसआईए में प्रस्तावित अधिग्रहण का सार्वजनिक उद्देश्य, भूमि आवश्यकता, विकल्पों, प्रभावित व्यक्तियों, सामाजिक प्रभावों और शमन उपायों के संदर्भ में परीक्षण किया गया है।

प्रस्तावित अधिग्रहण 0-04-50 हेक्टेयर निजी भूमि से संबंधित है, जो एलडबल्यूएसएस संचरण पाइपलाइन के शेष खंड को पूरा करने के लिए आवश्यक है। आकलन में प्रभावित संपत्ति हित का स्थायी अधिग्रहण प्रमुख प्रत्यक्ष सामाजिक प्रभाव पाया गया है। परिवार सर्वेक्षण और परामर्श के माध्यम से प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में कोई आवासीय विस्थापन या वर्तमान प्राथमिक आजीविका निर्भरता चिन्हित नहीं हुई।

शेष निर्माण गतिविधियों से अस्थायी यातायात व्यवधान, धूल, शोर, खुदाई से संबंधित असुविधा और सार्वजनिक सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। ये प्रभाव स्थानीय हैं और उचित निर्माण एवं यातायात प्रबंधन उपायों से प्रबंधित किए जा सकते हैं।

प्रमुख अपेक्षित सार्वजनिक लाभ नियोजित जल संचरण अवसंरचना का पूरा होना है। शेष खंड के पूरा होने से एलडबल्यूएसएस के निर्धारित संचालन और प्रणाली से सेवा प्राप्त करने वाली आबादी के लिए जल संचरण की विश्वसनीयता में सुधार की अपेक्षा है। एसआईएजलापूर्ति प्रदर्शन, संचरण हानि या सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में होने वाले परिवर्तनों का स्वतंत्र रूप से मात्रात्मक आकलन नहीं करता; ऐसे प्रभाव तकनीकी और परिचालन अभिलेखों के माध्यम से स्थापित किए जाने चाहिए।

परामर्श से संकेत मिलता है कि पीएपीएस प्रस्तावित अधिग्रहण से अवगत हैं और उन्होंने सहयोग की इच्छा व्यक्त की है, जबकि उचित मुआवजे और अपने संपत्ति हितों के समयबद्ध निपटान पर जोर दिया है। इन चिंताओं को अधिग्रहण प्रक्रिया के पारदर्शी कार्यान्वयन और सभी लागू वैधानिक पात्रताओं के भुगतान के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए।

7.5.1 उचित मुआवजा एवं कानूनी अनुपालन

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया आरएफसीटीएलएआरआर एक्ट , 2013, उसके अंतर्गत बनाए गए एचपी आरएफसीटीएलएआरआर नियमों तथा अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार पूरी की जानी चाहिए।

सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित सुनिश्चित करना चाहिए:

- प्रमाणित राजस्व अभिलेखों के माध्यम से स्वामित्व और प्रभावित व्यक्तियों का सत्यापन;
- लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार मुआवजे का निर्धारण;
- निर्धारित प्रक्रिया के भीतर मुआवजे और अन्य पात्र लाभों का भुगतान;
- प्रभावित व्यक्तियों को उचित जानकारी एवं संचार; तथा
- लागू शिकायत निवारण तंत्र तक पहुंच।

7.5.2 निर्माण एवं पर्यावरण प्रबंधन

मांग करने वाली संस्था और ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शेष कार्य सड़क उपयोगकर्ताओं, आसपास के निवासियों और श्रमिकों के लिए उचित सुरक्षा उपायों के साथ लागू किए जाएँ।

विशेष ध्यान निम्नलिखित पर दिया जाना चाहिए:

- यातायात प्रबंधन और पैदल यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही;
- धूल और शोर नियंत्रण;
- खुदाई की सुरक्षा;
- मौजूदा उपयोगिताओं की सुरक्षा;
- व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा; तथा
- सड़क गलियारे की समय पर पुनर्स्थापना।

7.5.3 हितधारक सहभागिता

अधिग्रहण और निर्माण प्रक्रिया के दौरान पीएपीएस तथा अन्य संबंधित हितधारकों के साथ संवाद जारी रहना चाहिए। मुआवजे, पहुंच, निर्माण व्यवधान या परियोजना से संबंधित अन्य विषयों से जुड़ी चिंताओं को दर्ज किया जाना चाहिए और उचित संस्थागत तंत्र के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए।

7.5.4 अंतिम आकलन

सामाजिक प्रभाव आकलन के निष्कर्षों के आधार पर प्रस्तावित अधिग्रहण मौजूदा सार्वजनिक जलापूर्ति अवसंरचना परियोजना को पूरा करने से सीधे जुड़ा है। अधिग्रहण में निजी भूमि का

सीमित क्षेत्र शामिल है और इसमें चिन्हित आवासीय विस्थापन या अधिग्रहण क्षेत्र पर प्रत्यक्ष आजीविका निर्भरता नहीं है।

प्रमुख प्रतिकूल प्रभाव प्रभावित निजी संपत्ति हित पर स्थायी प्रभाव तथा अस्थायी निर्माण-संबंधी व्यवधान है। इन प्रभावों को वैधानिक मुआवजे, उचित अधिग्रहण प्रक्रियाओं और निर्माण चरण के शमन उपायों के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है।

प्रस्तावित अधिग्रहण मौजूदा सार्वजनिक सड़क गलियारे से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे निजी भूमि हित को औपचारिक अधिग्रहण एवं मुआवजा प्रक्रिया के माध्यम से संबोधित करने का अवसर भी प्रदान करता है।

इसलिए एसआईए के निष्कर्ष सक्षम प्राधिकारी को लागू वैधानिक ढाँचे के अनुसार प्रस्तावित अधिग्रहण पर विचार करने का आधार प्रदान करते हैं, जिसमें चिन्हित सामाजिक प्रभाव, भूमि आवश्यकता, विचार किए गए विकल्प, प्रभावित व्यक्तियों के विचार और एलडबल्यूएसएस को पूरा करने से अपेक्षित सार्वजनिक लाभों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

चिन्हित प्रभावों के प्रबंधन और निगरानी के विस्तृत उपाय अगले अध्याय में सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना में प्रस्तुत किए गए हैं।

8. सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना (एसआईएमपी) लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम के अंतर्गत संचरण पाइपलाइन के शेष खंड के लिए निजी भूमि के प्रस्तावित अधिग्रहण से जुड़े सामाजिक प्रभावों से बचने, उन्हें कम करने, शमन करने और मुआवजा देने के लिए प्रस्तावित उपाय निर्धारित करती है। यह योजना सामाजिक प्रभाव आकलन के निष्कर्षों पर आधारित है, जिसमें परियोजना एवं भूमि अभिलेखों की समीक्षा, क्षेत्रीय अवलोकन, परिवार स्तर की जानकारी और प्रभावित व्यक्तियों के साथ परामर्श शामिल हैं। प्रमुख स्थायी प्रभाव लगभग 0-04-50 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण है। आकलन में आवासीय विस्थापन, प्रभावित संरचनाएँ, किरायेदार या पट्टाधारी, अतिक्रमण अथवा प्रस्तावित अधिग्रहण भूमि पर प्रत्यक्ष आजीविका निर्भरता चिन्हित नहीं हुई है। इसलिए एसआईएमपी का मुख्य ध्यान वैध एवं समयबद्ध मुआवजे, प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, अस्थायी निर्माण प्रभावों के प्रबंधन, सार्वजनिक सुरक्षा, निरंतर पहुंच, सूचना प्रकटीकरण और शिकायत निवारण पर है।

8.1 शमन का दृष्टिकोण

शमन दृष्टिकोण इस सिद्धांत का पालन करता है कि सामाजिक प्रभावों से जहाँ तक व्यावहारिक हो पहले बचा जाना चाहिए, जिन्हें टाला नहीं जा सकता उन्हें कम किया जाना चाहिए और जहाँ प्रतिकूल प्रभाव शेष रहता है वहाँ मुआवजा या अन्य उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए।

प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए निम्नलिखित सिद्धांत कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करेंगे:

- **भूमि आवश्यकता न्यूनतम रखना:** अधिग्रहण अनुमोदित परियोजना संरेखण और भूमि अनुसूची के अनुसार शेष पाइपलाइन खंड के लिए आवश्यक भूमि तक सीमित रहना चाहिए।
- **मौजूदा पहुंच की सुरक्षा:** निर्माण गतिविधियों की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि आसपास की संपत्तियों तक पहुंच और एचपीपीडबल्यूडी मेहली -जुन्गा रोड़ पर आवागमन जहाँ तक व्यावहारिक हो बना रहे।
- **वैध मुआवजा प्रदान करना:** प्रभावित भू-स्वामियों और अन्य पात्र व्यक्तियों, यदि कोई हों, को आरएफसीटीएलएआरआर एक्ट , 2013, लागू हिमाचल प्रदेश नियमों और अन्य लागू सरकारी प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मुआवजा एवं वैधानिक पात्रताएँ प्राप्त हों।
- **अनावश्यक भौतिक व्यवधान से बचना:** चूंकि प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में कोई आवासीय या वाणिज्यिक संरचना चिन्हित नहीं हुई है, इसलिए निर्माण से आसपास की संपत्तियों पर अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
- **अस्थायी निर्माण प्रभावों का प्रबंधन:** धूल, शोर, यातायात, खुदाई, निकली मिट्टी और सुरक्षा जोखिमों का उचित निर्माण पद्धतियों से प्रबंधन किया जाना चाहिए।
- **प्रभावित व्यक्तियों के साथ संवाद बनाए रखना:** अधिग्रहण प्रक्रिया, मुआवजा, निर्माण कार्यक्रम और शिकायत तंत्र की जानकारी प्रभावित व्यक्तियों को समय पर दी जानी चाहिए।

- **अप्रत्याशित प्रभावों का दस्तावेजीकरण और समाधान:** एसआईएके दौरान चिन्हित न हुआ कोई भी प्रतिकूल प्रभाव दर्ज किया जाना चाहिए और उचित वैधानिक एवं परियोजना-स्तरीय तंत्र के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए।

8.2 प्रभावों से बचाव, शमन एवं मुआवजा संबंधी उपाय

8.2.1 बचाव संबंधी उपाय

- 1. आवश्यक क्षेत्र तक अधिग्रहण सीमित करना** - प्रस्तावित अधिग्रहण शेष पाइपलाइन खंड बिछाने के लिए आवश्यक भूमि तक सीमित होना चाहिए। अधिग्रहण से पहले अंतिम क्षेत्र और सीमाओं का अनुमोदित संरेखण, भूमि अनुसूची और प्रमाणित राजस्व अभिलेखों के आधार पर सत्यापन किया जाना चाहिए।
- 2. आसपास की संपत्तियों पर अतिरिक्त प्रभाव से बचना** - जहाँ तक व्यावहारिक हो, निर्माण गतिविधियाँ निर्धारित कार्य क्षेत्र तक सीमित रखी जानी चाहिए। अधिग्रहण क्षेत्र के बाहर भूमि का अस्थायी उपयोग उचित प्राधिकरण के बिना नहीं किया जाना चाहिए और जहाँ लागू हो, मुआवजा या पुनर्स्थापना की जानी चाहिए।
- 3. पहुंच बनाए रखना** - निर्माण के दौरान आसपास की संपत्तियों और एचपीपीडबल्यूडी मेहली - जुन्गा रोड़ तक मौजूदा पहुंच बनाए रखी जानी चाहिए। जहाँ अस्थायी अवरोध अपरिहार्य हो, वहाँ उपयुक्त वैकल्पिक पहुंच उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- 4. मौजूदा सार्वजनिक अवसंरचना को नुकसान से बचाना** - ठेकेदार को खुदाई से पहले मौजूदा सड़क, जल निकासी, जलापूर्ति, उपयोगिताओं और अन्य अवसंरचना की पहचान करनी चाहिए तथा नुकसान रोकने के लिए उचित उपाय अपनाने चाहिए।

8.2.2 निर्माण के दौरान शमन उपाय

निम्नलिखित उपायों को निर्माण पर्यवेक्षण और ठेकेदार की आवश्यकताओं में शामिल किया जाना चाहिए।

तालिका 8-1 निर्माण-चरण के सामाजिक प्रभाव और प्रस्तावित प्रबंधन उपाय

प्रभाव / जोखिम	प्रस्तावित प्रबंधन उपाय
खुदाई और वाहनों की आवाजाही से उत्पन्न धूल	जहाँ आवश्यक हो नियमित जल छिड़काव; परिवहन के दौरान ढीली निर्माण सामग्री को ढकना; अनावश्यक भंडारण से बचना।

निर्माण शोर	विशेष रूप से शोर वाले कार्यों को उपयुक्त दिन के समय तक सीमित करना और निर्माण उपकरणों को उचित कार्यशील स्थिति में रखना।
सड़क पर यातायात और आवागमन	उचित यातायात प्रबंधन, चेतावनी संकेत और सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराना; आवश्यकता होने पर अस्थायी प्रतिबंधों का समन्वय करना।
खुदाई से जुड़े खतरे	खुली खुदाई के चारों ओर बैरिकेड लगाना तथा चेतावनी संकेत और सुरक्षित पैदल/वाहन आवागमन की व्यवस्था करना।
पहुंच में अस्थायी अवरोध	जहाँ व्यावहारिक हो पहुंच बनाए रखना; आवश्यकता होने पर अस्थायी वैकल्पिक पहुंच उपलब्ध कराना।
खुदाई से निकली मिट्टी और निर्माण अपशिष्ट	लागू आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित स्थानों पर खुदाई सामग्री और निर्माण अपशिष्ट का भंडारण, परिवहन एवं निपटान करना।
जल निकासी और सतही बहाव	यह सुनिश्चित करना कि खुदाई एवं निर्माण गतिविधियाँ मौजूदा जल निकासी चैनलों को अवरुद्ध न करें तथा आवश्यकता होने पर अस्थायी जल निकासी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।
आसपास की भूमि या वनस्पति को नुकसान	निर्माण गतिविधियों को निर्धारित कार्य क्षेत्र तक सीमित रखना और आसपास की वनस्पति एवं भूमि को अनावश्यक क्षति से बचाना।
सार्वजनिक सुरक्षा	कार्य क्षेत्र को स्पष्ट रूप से चिह्नित करना और उचित स्थल सुरक्षा उपाय लागू करना, विशेषकर मौजूदा सड़क के निकट।

विस्तृत पर्यावरणीय एवं निर्माण प्रबंधन उपायों को ठेकेदार की कार्य-पद्धति विवरण और जहाँ लागू हो संबंधित परियोजना-स्तरीय प्रबंधन योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए।

8.3 मुआवजा एवं लागू पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन उपाय

प्रस्तावित अधिग्रहण में निजी भूमि शामिल है। इसलिए मुआवजा और अन्य वैधानिक पात्रताओं का निर्धारण भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के माध्यम से स्वामित्व एवं राजस्व अभिलेखों तथा अधिग्रहण पर लागू प्रावधानों के आधार पर किया जाएगा।

प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं:

- मुआवजा एवं पात्रताओं का निर्धारण लागू कानून और प्रमाणित भूमि/राजस्व अभिलेखों के आधार पर करना।
- पात्र प्रभावित व्यक्तियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मुआवजा एवं अन्य वैधानिक लाभ उपलब्ध कराना।

- अधिग्रहण और मुआवजा प्रक्रिया के संबंध में प्रभावित व्यक्तियों को स्पष्ट सूचना उपलब्ध कराना।
- शिकायतों के पंजीकरण एवं समाधान के लिए प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध रखना।

8.3.1 अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

अधिग्रहित भूमि का मुआवजा विधिक रूप से पात्र भू-स्वामियों/टाइटल धारकों को उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर एक्ट, 2013), लागू हिमाचल प्रदेश नियमों तथा अन्य संबंधित सरकारी प्रावधानों के अनुसार निर्धारित एवं भुगतान किया जाएगा।

व्यक्तिगत कानूनी स्वामियों और उनके संबंधित हिस्सों की पहचान प्रमाणित राजस्व अभिलेखों तथा सक्षम प्राधिकारी के निर्धारण के आधार पर की जानी चाहिए।

8.3.2 संरचनाएँ एवं भौतिक विस्थापन

अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि के भीतर कोई आवासीय या वाणिज्यिक संरचना चिन्हित नहीं हुई है और एसआईए के माध्यम से किसी भौतिक विस्थापन की पहचान नहीं हुई है।

इसलिए वर्तमान में आकलित प्रभाव के लिए संरचना-संबंधी पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन उपाय लागू नहीं हैं। यदि अधिग्रहण प्रक्रिया या बाद के सत्यापन के दौरान कोई पात्र संरचना या भौतिक विस्थापन चिन्हित होता है, तो लागू वैधानिक प्रावधान प्रभावी होंगे।

8.3.3 आजीविका एवं आय पर प्रभाव

आकलन में अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि पर प्रत्यक्ष आजीविका निर्भरता की पहचान नहीं हुई है। इसलिए इस चरण पर परियोजना-विशिष्ट आजीविका पुनर्स्थापन उपाय चिन्हित नहीं किया गया है।

यदि बाद के सत्यापन में अधिग्रहण के कारण होने वाली कोई पात्र आजीविका या आय हानि स्थापित होती है, तो आरएफसीटीएलएआरआर एक्ट , 2013 और लागू नियमों के अनुसार संबंधित वैधानिक पात्रता का आकलन कर उसे प्रदान किया जाएगा।

8.3.4 किरायेदार, पट्टाधारी एवं अन्य कब्जाधारी

आकलन में कोई किरायेदार या पट्टाधारी चिन्हित नहीं हुआ है। यदि अधिग्रहण प्रक्रिया के माध्यम से किसी व्यक्ति का प्रभावित भूमि या परिसंपत्तियों में कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हित बाद में स्थापित होता है, तो उसके साथ लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

8.4 निर्माण-संबंधी सामाजिक प्रभावों के उपाय

यद्यपि अधिग्रहण में स्वयं भौतिक विस्थापन शामिल नहीं है, शेष पाइपलाइन खंड के निर्माण से अस्थायी असुविधा हो सकती है।

- निर्माण की योजना इस प्रकार बनाई जानी चाहिए कि सड़क उपयोगकर्ताओं और आसपास के भू-स्वामियों को न्यूनतम व्यवधान हो।
- खुदाई वाले हिस्सों को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक खुला नहीं रखा जाना चाहिए।
- खुदाई वाले क्षेत्रों के चारों ओर पर्याप्त बैरिकेडिंग और चेतावनी संकेत लगाए जाने चाहिए।
- जहाँ निर्माण गतिविधियों से पर्याप्त धूल उत्पन्न हो, वहाँ धूल नियंत्रण किया जाना चाहिए।
- निर्माण वाहनों का प्रबंधन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि मौजूदा सड़क पर अनावश्यक अवरोध न हो।
- जहाँ व्यावहारिक हो, आसपास की संपत्तियों तक पहुंच बनाए रखी जानी चाहिए।
- निर्माण के कारण पहुंच, जल निकासी या अन्य संपत्ति को हुई अस्थायी क्षति की पुनर्स्थापना की जानी चाहिए।
- निर्माण मलबे और खुदाई से निकली सामग्री को जल निकासी चैनलों या आसपास की निजी भूमि पर नहीं डाला जाना चाहिए।
- निर्माण व्यवधान से संबंधित शिकायतों को दर्ज कर शीघ्र संबोधित किया जाना चाहिए।

8.5 हितधारक सहभागिता एवं सूचना प्रकटीकरण

अधिग्रहण और निर्माण चरणों के दौरान प्रभावित व्यक्तियों के साथ निरंतर संवाद महत्वपूर्ण है।

मांग करने वाली संस्था और कार्यान्वयन एजेंसी को प्रभावित भू-स्वामियों को निम्नलिखित से संबंधित प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए:

- प्रस्तावित अधिग्रहण और उसका क्षेत्र;
- अधिग्रहण प्रक्रिया और लागू वैधानिक प्रावधान;
- प्रभावित भू-स्वामियों की पहचान और सत्यापन;
- मुआवजा निर्धारण और भुगतान प्रक्रिया;
- अपेक्षित निर्माण गतिविधियाँ और समय-सारणी;
- अस्थायी पहुंच या यातायात व्यवस्था; तथा
- उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र।

जहाँ निर्माण व्यवस्था में परिवर्तन या अप्रत्याशित प्रभाव प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं, वहाँ कार्यान्वयन के दौरान परामर्श जारी रहना चाहिए।

परामर्श के दौरान व्यक्त विचारों को स्वामित्व, मुआवजे और पात्रता के वैधानिक निर्धारण से अलग रूप में दस्तावेजीकृत किया जाना चाहिए।

8.6 शिकायत निवारण

एक स्पष्ट तंत्र बनाए रखा जाना चाहिए जिसके माध्यम से प्रभावित व्यक्ति भूमि अधिग्रहण, मुआवजा, निर्माण-संबंधी व्यवधान, पहुंच, सुरक्षा या अस्थायी रूप से प्रभावित क्षेत्रों की पुनर्स्थापना से संबंधित चिंताएँ उठा सकें।

शिकायतों को जहाँ तक व्यावहारिक हो:

- औपचारिक रूप से दर्ज किया जाना चाहिए;
- शिकायतकर्ता को प्राप्ति की सूचना दी जानी चाहिए;
- उचित जिम्मेदार अधिकारी या एजेंसी को भेजा जाना चाहिए;
- लागू प्रशासनिक या वैधानिक ढाँचे के भीतर जाँच कर उत्तर दिया जाना चाहिए; तथा
- की गई कार्रवाई सहित दस्तावेजीकृत किया जाना चाहिए।

परियोजना-स्तरीय शिकायत तंत्र आरएफसीटीएलएआरआर एक्ट , 2013 या अन्य लागू कानूनों के अंतर्गत प्रभावित व्यक्तियों को उपलब्ध वैधानिक उपचारों का स्थान नहीं लेगा और न ही उन्हें सीमित करेगा।

8.7 निगरानी एवं कार्यान्वयन

एसआईएमपी के कार्यान्वयन की निगरानी अधिग्रहण और निर्माण चरणों के दौरान की जानी चाहिए।

निगरानी ढाँचे में कम से कम निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

तालिका 8-2 सामाजिक प्रभाव प्रबंधन निगरानी रूपरेखा

निगरानी क्षेत्र	मुख्य संकेतक	जिम्मेदारी
भूमि अधिग्रहण	स्वामित्व का सत्यापन, चिन्हित क्षेत्र का अधिग्रहण, मुआवजा निर्धारण और भुगतान	मांग करने वाली संस्था/ सक्षम प्राधिकारी
मुआवजा	मुआवजे और लागू वैधानिक पात्रताओं का भुगतान	सक्षम प्राधिकारी / अध्यर्थी निकाय
निर्माण प्रभाव	धूल, शोर, यातायात, पहुंच और खुदाई-संबंधी व्यवधान	कार्यान्वयन एजेंसी / ठेकेदार
सार्वजनिक सुरक्षा	कार्य क्षेत्रों के आसपास बैरिकेडिंग, संकेत और सुरक्षित आवागमन	ठेकेदार / स्थल पर्यवेक्षण

पहुंच	आसपास की संपत्तियों और सड़क ठेकेदार / कार्यान्वयन एजेंसी उपयोगकर्ताओं के लिए पहुंच की निरंतरता
शिकायतें	शिकायतों की संख्या, प्रकृति, कार्यान्वयन एजेंसी स्थिति और समाधान
पुनर्स्थापना	अस्थायी रूप से प्रभावित पहुंच, ठेकेदार / कार्यान्वयन एजेंसी जल निकासी या अन्य सुविधाओं की पुनर्स्थापना
अप्रत्याशित प्रभाव	पहचान, दस्तावेजीकरण और कार्यान्वयन एजेंसी / सक्षम सुधारात्मक कार्रवाई प्राधिकारी

8.8 पात्रता ढाँचा

इस परियोजना के लिए पात्रता ढाँचा एसआईए के माध्यम से स्थापित वास्तविक प्रभावों और अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान किए गए सत्यापन पर आधारित होना चाहिए, न कि ऐसे प्रभावों को शामिल करने वाली सामान्य पात्रता मैट्रिक्स पर जो वर्तमान में मौजूद नहीं हैं।

तालिका 8-3 प्रभाव श्रेणियां और लागू प्रबंधन उपाय

क्र.सं.	प्रभाव श्रेणी	आकलन निष्कर्ष	प्रबंधन / पात्रता उपाय
1	निजी भूमि का अधिग्रहण	लागू - 0-04-50 हेक्टेयर अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित	आरएफसीटीएलएआरआर एक्ट , 2013 और लागू नियमों के अनुसार पात्र भू-स्वामियों/टाइटल धारकों को मुआवजा एवं अन्य लागू वैधानिक पात्रताएँ।
2	आवासीय संरचनाएँ	चिन्हित नहीं	वर्तमान में संरचना-संबंधी पात्रता लागू नहीं। बाद में सत्यापित पात्र संरचना पर लागू प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई।
3	वाणिज्यिक संरचनाएँ	चिन्हित नहीं	वर्तमान में संरचना-संबंधी पात्रता लागू नहीं।
4	भौतिक विस्थापन	चिन्हित नहीं	एसआईए निष्कर्षों के आधार पर वर्तमान में पुनर्स्थापन उपाय आवश्यक नहीं।
5	किरायेदार / पट्टाधारी	चिन्हित नहीं	बाद में स्थापित कोई कानूनी रूप से मान्य किरायेदारी या पट्टाधिकार

			हित लागू प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा।
6	अधिग्रहित भूमि पर चिन्हित नहीं प्रत्यक्ष आजीविका निर्भरता		वर्तमान में आजीविका पुनर्स्थापन उपाय चिन्हित नहीं। बाद में सत्यापित पात्र हानि का लागू प्रावधानों के अंतर्गत आकलन।
7	साझा संपत्ति संसाधन	कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं	निर्माण के दौरान सामुदायिक/सार्वजनिक परिसंपत्तियों को होने वाले व्यवधान से बचना। अपरिहार्य क्षति की पुनर्स्थापना या अन्य उपयुक्त समाधान।
8	अस्थायी व्यवधान	निर्माण लागू	यातायात प्रबंधन, धूल नियंत्रण, शोर प्रबंधन, पहुंच व्यवस्था, सुरक्षा उपाय और अस्थायी रूप से प्रभावित क्षेत्रों की पुनर्स्थापना।
9	अप्रत्याशित प्रभाव	निगरानी की जानी है	प्रभाव का दस्तावेजीकरण एवं आकलन तथा जहाँ लागू हो उचित शमन या वैधानिक पात्रता प्रदान करना।

8.9 संस्थागत जिम्मेदारियाँ

एसआईएमपी के कार्यान्वयन के लिए अध्यर्थी निकाय, सक्षम प्राधिकारी, कार्यान्वयन एजेंसी और निर्माण ठेकेदार के बीच समन्वय आवश्यक होगा।

भूमि अधिग्रहण प्राधिकारी/सक्षम प्राधिकारी वैधानिक अधिग्रहण प्रक्रियाओं, मुआवजे के निर्धारण और लागू पात्रताओं के प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार होगा।

अध्यर्थी निकाय/कार्यान्वयन एजेंसी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगी कि एसआईए में चिन्हित सामाजिक सुरक्षा उपाय परियोजना कार्यान्वयन में शामिल किए जाएँ और प्रभावित व्यक्तियों को उचित जानकारी प्राप्त हो।

निर्माण ठेकेदार कार्यान्वयन एजेंसी की निगरानी में सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, धूल, शोर, पहुंच, खुदाई, अपशिष्ट और पुनर्स्थापना से संबंधित स्थल-स्तरीय उपायों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा।

8.10 एसआईएमपी के कार्यान्वयन हेतु व्यय

एसआईएमपी के कार्यान्वयन की लागत को समग्र परियोजना और भूमि अधिग्रहण बजट में शामिल किया जाना चाहिए।

चूंकि अंतिम मुआवजा राशि सत्यापित स्वामित्व, लागू मूल्यांकन पद्धति, वैधानिक कारकों और सक्षम प्राधिकारी के निर्धारण पर निर्भर करती है, इसलिए जहाँ एसआईए चरण में किसी विशिष्ट लागत का निर्धारण संभव नहीं है, रिपोर्ट कार्यान्वयन के दौरान लागत निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी और आधार की पहचान करती है।

एसआईएमपी बजट में, जहाँ लागू हो, निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:

- अधिग्रहित भूमि का मुआवजा;
- जहाँ लागू हो, वैधानिक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पात्रताएँ;
- अस्थायी पहुंच और पुनर्स्थापना से संबंधित लागत;
- यातायात और सार्वजनिक सुरक्षा उपाय;
- धूल एवं शोर प्रबंधन;
- शिकायत और हितधारक सहभागिता गतिविधियाँ;
- निगरानी एवं दस्तावेजीकरण; तथा
- किसी भी अप्रत्याशित सामाजिक प्रभाव का शमन।

भूमि अनुसूची, स्वामित्व अभिलेख, मूल्यांकन और लागू वैधानिक पात्रताओं को अंतिम रूप दिए जाने के बाद मांग करने वाली संस्थाद्वारा विस्तृत वित्तीय व्यय तैयार किया जा सकता है।

8.11 कार्यान्वयन अनुसूची

एसआईएमपी के अंतर्गत प्रस्तावित उपायों को परियोजना और भूमि अधिग्रहण अनुसूची के अनुसार लागू किया जाना चाहिए।

तालिका 8-4 एसआईएमपी कार्यान्वयन अनुसूची

चरण	प्रमुख एसआईएमपी कार्य
अधिग्रहण-पूर्व	भूमि अभिलेख, स्वामित्व, अधिग्रहण सीमाओं और प्रभावित व्यक्तियों का सत्यापन; अधिग्रहण संबंधी जानकारी का प्रकटीकरण।
अधिग्रहण पूर्व-निर्माण	मुआवजे और लागू वैधानिक पात्रताओं का निर्धारण एवं प्रसंस्करण। प्रभावित व्यक्तियों को निर्माण गतिविधियों की जानकारी देना; शिकायत एवं संचार व्यवस्था स्थापित करना; यातायात एवं सुरक्षा उपायों को अंतिम रूप देना।

निर्माण	धूल, शोर, यातायात, पहुंच, सुरक्षा और जल निकासी उपाय लागू करना; शिकायतों और अप्रत्याशित प्रभावों की निगरानी।
निर्माण-पश्चात	अस्थायी रूप से प्रभावित क्षेत्रों की पुनर्स्थापना और लंबित शिकायतों या सामाजिक प्रभावों की समीक्षा।

8.12 समग्र प्रबंधन प्रतिबद्धता

सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शेष भूमि अधिग्रहण और निर्माण गतिविधियाँ प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों और हितों को उचित ध्यान में रखते हुए की जाएँ। इस परियोजना में प्रमुख स्थायी सामाजिक मुद्दा निजी भूमि का अधिग्रहण है, जबकि अन्य चिन्हित प्रतिकूल प्रभाव मुख्यतः अस्थायी निर्माण-संबंधी व्यवधान हैं।

इसलिए कार्यान्वयन में वैध एवं समयबद्ध मुआवजा, पारदर्शी संचार, पहुंच की सुरक्षा, सार्वजनिक एवं श्रमिक सुरक्षा, निर्माण व्यवधान का प्रबंधन तथा शिकायतों का शीघ्र समाधान प्राथमिकता में होना चाहिए। कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाला ऐसा कोई प्रभाव जो एसआईए के दौरान चिन्हित नहीं हुआ था, उसका दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए और उचित वैधानिक एवं परियोजना-स्तरीय तंत्र के माध्यम से उसका समाधान किया जाना चाहिए।

9. निष्कर्ष

सामाजिक प्रभाव आकलन लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम के अंतर्गत संचरण पाइपलाइन के शेष खंड को पूरा करने के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण के सामाजिक प्रभावों का आकलन करने हेतु किया गया। आकलन में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता, प्रभावित भूमि और व्यक्तियों की सीमा एवं प्रकृति, संभावित विकल्प, संभावित सामाजिक प्रभाव, प्रभावित व्यक्तियों के विचार तथा प्रतिकूल प्रभावों से बचने, उन्हें कम करने और मुआवजा देने के लिए आवश्यक उपायों की समीक्षा की गई। निष्कर्ष उपलब्ध परियोजना एवं भूमि अभिलेखों की समीक्षा, क्षेत्रीय जांच, परिवार स्तर की जानकारी और हितधारक परामर्श पर आधारित हैं।

9.1 आकलन का उद्देश्य एवं प्रमुख निष्कर्ष

प्रस्तावित अधिग्रहण उप-मोहाल कवालाग में, तहसील शिमला (ग्रामीण), जिला शिमला में एचपीपीडबल्यूडी मेहली -जुन्गा रोड़ के साथ स्थित लगभग 0-04-50 हेक्टेयर निजी भूमि से संबंधित है। यह भूमि लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम के संवर्धन से संबंधित संचरण पाइपलाइन के शेष खंड के लिए आवश्यक है।

वृहद जलापूर्ति परियोजना 2017 में शुरू हुई थी और नियोजित अवसंरचना का पर्याप्त भाग पहले ही पूरा किया जा चुका है। इसलिए प्रस्तावित अधिग्रहण किसी नए स्वतंत्र प्रोजेक्ट के विकास के बजाय शेष खंड को पूरा करने से संबंधित है।

आकलन में पाया गया कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण सार्वजनिक पेयजल अवसंरचना को पूरा करने से सीधे जुड़ा है।

एसआईएके प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- प्रस्तावित अधिग्रहण में 0-04-50 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल है।
- भूमि मौजूदा एचपीपीडबल्यूडी सड़क गलियारे से संबंधित है और शेष खंड के लिए प्रस्तावित पाइपलाइन संरेखण चिह्नित गलियारे का अनुसरण करता है।
- आकलन में प्रभावित निजी भूमि हित के संबंध में एक विस्तारित परिवार और परामर्श के दौरान प्रतिनिधित्व करने वाली चार पारिवारिक शाखाओं की पहचान हुई। सटीक कानूनी स्वामित्व और संबंधित हिस्सों की पुष्टि अधिग्रहण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में प्रमाणित राजस्व अभिलेखों से की जानी चाहिए।
- प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्र में कोई आवासीय या वाणिज्यिक संरचना चिह्नित नहीं हुई है।
- परिवारों का कोई भौतिक विस्थापन चिह्नित नहीं हुआ है।
- आकलन के दौरान कोई किरायेदार या पट्टाधारी चिह्नित नहीं हुआ।
- आकलन के माध्यम से अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि पर प्रत्यक्ष आजीविका निर्भरता की पहचान नहीं हुई।
- साझा संपत्ति संसाधनों या सामुदायिक परिसंपत्तियों पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव चिह्नित नहीं हुआ।

- प्रमुख स्थायी सामाजिक प्रभाव निजी भूमि की हानि तथा अधिग्रहण के माध्यम से उससे जुड़े निजी संपत्ति हित का हस्तांतरण है।
- निर्माण के दौरान विशेष रूप से खुदाई, धूल, शोर, निर्माण वाहनों की आवाजाही, यातायात प्रबंधन और पहुंच पर अस्थायी प्रतिबंधों से अस्थायी प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं।
- आकलन में उचित एवं समयबद्ध मुआवजे तथा प्रभावित व्यक्तियों पर लागू किसी अन्य वैधानिक पात्रता के उचित निपटान की आवश्यकता चिन्हित की गई है।
- परामर्श के दौरान व्यक्त विचार प्रभावित व्यक्तियों द्वारा उचित मुआवजे और अधिग्रहण प्रक्रिया के उचित संचालन को दिए गए महत्त्व को दर्शाते हैं।

9.2 सार्वजनिक उद्देश्य एवं अधिग्रहण की आवश्यकता

आकलन से पता चलता है कि प्रस्तावित अधिग्रहण मौजूदा सार्वजनिक पेयजल आपूर्ति परियोजना को पूरा करने से सीधे संबंधित है। भूमि आवश्यकता शेष पाइपलाइन खंड से जुड़ी है और इसका वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास से संबंध नहीं है।

परियोजना में पहले ही पर्याप्त सार्वजनिक निवेश किया जा चुका है और शेष खंड को पूरा करना नियोजित संचरण अवसंरचना को उसके निर्धारित विन्यास में लाने के लिए आवश्यक है। प्रस्तावित अधिग्रहण मौजूदा सार्वजनिक सड़क गलियारे से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे निजी भूमि हित से भी संबंधित है। इसलिए अधिग्रहण प्रक्रिया लागू वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से शेष पाइपलाइन खंड के लिए भूमि आवश्यकता को संबोधित करने और प्रभावित निजी भूमि हित के लिए मुआवजा निर्धारित करने का अवसर प्रदान करती है।

एसआईए प्रस्तावित अधिग्रहण पर विचार के लिए आवश्यक सामाजिक आकलन प्रदान करता है। सार्वजनिक उद्देश्य, वैधानिक अनुपालन, अधिग्रहण और मुआवजे के संबंध में अंतिम निर्धारण आरएफसीटीएलएआरआर एक्ट , 2013 और लागू नियमों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

9.3 सामाजिक प्रभाव एवं शमन

आकलन से संकेत मिलता है कि सामाजिक प्रभाव प्रभावित निजी भूमि के अधिग्रहण और निर्माण के दौरान अस्थायी व्यवधान के आसपास केंद्रित हैं।

अधिग्रहण से अधिग्रहित भूमि के स्वामित्व या संपत्ति हित में स्थायी परिवर्तन होगा। इस प्रभाव को विधिक रूप से पात्र व्यक्तियों के लिए आरएफसीटीएलएआरआर एक्ट, 2013 और लागू हिमाचल प्रदेश नियमों के अनुसार मुआवजे तथा अन्य लागू वैधानिक पात्रताओं के निर्धारण और भुगतान के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए।

साथ ही, आकलन में भौतिक विस्थापन, आवासीय या वाणिज्यिक संरचनाओं की हानि अथवा प्रभावित भूमि पर प्रत्यक्ष आजीविका निर्भरता की पहचान नहीं हुई है। इन प्रभावों की अनुपस्थिति से वर्तमान में चिन्हित प्रभावित आबादी के लिए आवश्यक पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन उपायों की सीमा सीमित रहती है।

अस्थायी निर्माण प्रभावों का उचित स्थल योजना और पर्यवेक्षण के माध्यम से प्रबंधन किया जा सकता है। सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना में चिन्हित उपायों में पहुंच बनाए रखना, यातायात प्रबंधन, धूल और शोर नियंत्रण, खुली खुदाई की सुरक्षा, जल निकासी की सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना और अस्थायी रूप से प्रभावित क्षेत्रों की पुनर्स्थापना शामिल हैं।

9.4 विकल्प एवं भूमि आवश्यकता

आकलन में भूमि अधिग्रहण को न्यूनतम रखने की आवश्यकता और चिन्हित मौजूदा गलियारे के उपयोग की व्यवहार्यता पर विचार किया गया। चूंकि वृहद संचरण प्रणाली का अधिकांश भाग पहले ही कार्यान्वित हो चुका है, इसलिए इस चरण में संरेखण बदलने से स्थापित परियोजना डिजाइन में परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है और अतिरिक्त भूमि, तकनीकी कार्य, अनुमोदन, लागत तथा कार्यान्वयन समय पर प्रभाव पड़ सकता है।

इस आकलन के लिए उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसा कोई स्पष्ट रूप से व्यावहारिक वैकल्पिक संरेखण चिन्हित नहीं हुआ है जो स्थापित परियोजना विन्यास को प्रभावित किए बिना प्रस्तावित भूमि आवश्यकता से बच सके। हालांकि, आवश्यक न्यूनतम भूमि का अंतिम निर्धारण अनुमोदित इंजीनियरिंग ड्राइंग, संरेखण और भूमि अनुसूची के आधार पर किया जाना चाहिए।

इसलिए प्रस्तावित अधिग्रहण शेष पाइपलाइन खंड के लिए आवश्यक क्षेत्र तक सीमित रहना चाहिए, जिसका सत्यापन वैधानिक अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान किया जाए।

9.5 समग्र आकलन

एसआईए अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र की निजी भूमि से संबंधित सीमित संख्या में प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तियों की पहचान करता है, जिसमें प्रमुख स्थायी प्रभाव प्रभावित संपत्ति हित का अधिग्रहण है। भूमि पर कोई आवासीय विस्थापन या प्रत्यक्ष आजीविका निर्भरता चिन्हित नहीं हुई है। अन्य चिन्हित प्रतिकूल प्रभाव मुख्यतः अस्थायी हैं और निर्माण गतिविधियों से संबंधित हैं।

अपेक्षित सार्वजनिक लाभ नियोजित पेयजल संचरण अवसंरचना के पूरा होने और संचालन से संबंधित है। इसलिए आकलन सक्षम प्राधिकारी को परियोजना के सार्वजनिक उद्देश्य, भूमि

आवश्यकता, प्रभावित निजी हितों, विकल्पों और प्रस्तावित शमन उपायों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित अधिग्रहण पर विचार करने का आधार प्रदान करता है।

निष्कर्षों को स्वामित्व, मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन पात्रताओं अथवा लागू कानून के अंतर्गत आवश्यक अन्य अनुमोदनों के वैधानिक निर्धारण के स्थान पर नहीं समझा जाना चाहिए। इन विषयों का निर्धारण उचित कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए।

9.6 आगे की कार्यवाही

सक्षम प्राधिकारी के निर्णय और लागू वैधानिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के अधीन, कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्यवाहियाँ महत्वपूर्ण मानी जाती हैं:

- अनुमोदित परियोजना संरक्षण, इंजीनियरिंग ड्रॉइंग और भूमि अनुसूची के आधार पर अंतिम अधिग्रहण क्षेत्र और सीमाओं का सत्यापन करना।
- मुआवजे के निर्धारण और वितरण से पहले प्रमाणित राजस्व अभिलेखों से प्रभावित भूमि के कानूनी स्वामित्व और संबंधित हितों की पुष्टि करना।
- आरएफसीटीएलएआरआर एक्ट , 2013, लागू हिमाचल प्रदेश नियमों और अन्य संबंधित सरकारी प्रावधानों के अनुसार मुआवजा तथा लागू वैधानिक पात्रताओं का निर्धारण एवं भुगतान करना।
- अधिग्रहण और निर्माण प्रक्रिया के दौरान प्रभावित व्यक्तियों के साथ संवाद बनाए रखना तथा मुआवजा, कार्यान्वयन व्यवस्था और शिकायत तंत्र के संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना।
- निर्माण के दौरान सामाजिक प्रभाव प्रबंधन योजना लागू करना, विशेषकर पहुंच, यातायात, धूल, शोर, जल निकासी, खुदाई और सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित उपाय।
- कार्यान्वयन के दौरान अप्रत्याशित प्रभावों और शिकायतों की निगरानी करना तथा आवश्यकता होने पर सुधारात्मक कार्यवाई करना।
- निर्माण गतिविधियाँ पूरी होने के बाद अस्थायी रूप से प्रभावित क्षेत्रों और पहुंच व्यवस्थाओं की पुनर्स्थापना करना।

9.7 समापन वक्तव्य

सामाजिक प्रभाव आकलन से संकेत मिलता है कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण मौजूदा सार्वजनिक पेयजल अवसंरचना परियोजना को पूरा करने से जुड़ा है और इसमें निजी भूमि का अपेक्षाकृत छोटा क्षेत्र शामिल है। आकलन ने प्रमुख सामाजिक प्रभावों और उनके प्रबंधन के लिए आवश्यक उपायों की पहचान की है तथा भूमि से संबंधित चिन्हित आवासीय विस्थापन, प्रभावित संरचनाओं और प्रत्यक्ष आजीविका निर्भरता की अनुपस्थिति को भी दर्ज किया है।

यदि सक्षम प्राधिकारी अधिग्रहण को मंजूरी देता है और लागू वैधानिक आवश्यकताएँ पूरी होती हैं, तो कार्यान्वयन निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिसमें प्रभावित भू-स्वामियों के अधिकारों की सुरक्षा तथा मुआवजे और अन्य लागू पात्रताओं का

निर्धारण एवं भुगतान शामिल हो। एसआईएमपी में निर्धारित उपायों का कार्यान्वयन अस्थायी निर्माण-संबंधी व्यवधान को न्यूनतम करने और शेष परियोजना गतिविधियों के दौरान प्रभावित व्यक्तियों के साथ प्रभावी संवाद बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

समग्र रूप से यह एसआईएप्रस्तावित अधिग्रहण पर विचार के लिए आवश्यक सामाजिक साक्ष्य और प्रबंधन ढाँचा प्रदान करता है। अधिग्रहण, मुआवजे और कार्यान्वयन के संबंध में अंतिम निर्णय लागू कानूनी एवं प्रशासनिक ढाँचे के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों के पास रहेगा।

10. संदर्भ

[1] अवार्ड पत्र

[2] एसजेपीनल द्वारा अनुबंध प्रदान किए जाने का दस्तावेज

11. परिशिष्ट

1. परियोजना अधिसूचना
2. प्रश्नावली